दशम माला, खंड 3, अंक 22

गुरुवार, 8 अगस्त, 1991
17 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 3 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय सूची

दशम माला, खंड 3, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 22, गुरुवार, 8 अगस्त, 1991/17 श्रावण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 347 से 365	2-22
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2140 से 2210 और	22-78
2212 से 2333	79-155

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित +चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

लोक सभा

गुरुवार, 8 अगस्त, 1991/17 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो कुछ हुआ, वह ठीक नहीं हुआ । श्री माधवराव सिंधिया ने जो यहां वक्तव्य दिया, जो कार्यवाही हमें प्राप्त हुई, उसमें उन बातों को फिर से दोहराया गया है जिनके बारे में हमने आपत्ति की थी । देशद्रोही शब्द को फिर से उन्होंने लिया है । जब तक श्री माधवराव सिंधिया माफी नहीं मांगेंगे या पद नहीं छोड़ते, हम विवश हैं। हम नहीं चाहते कि सदन की कार्यवाही में बाधा हो, किन्तु ..... [व्यवधान]..... यह परिस्थिति स्वयं श्री माधवराव सिंधिया के वक्तव्य से उत्पन्न हुई है ।

11.02 म०पू०

इस समय श्री फूलचन्द वर्मा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा 40 मिनट बाद पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है ।

11.05 म०पू०

तत्पश्चात् लोक सभा 11.45 म०पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

11.45 म०पू०

लोक सभा 11.45 म०पू० पर पुनः समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

इस समय श्री फूलचन्द वर्मा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा एक घंटे तक के लिये स्थगित होती है ।

11.46 म०पू०

तत्पश्चात् लोक सभा 12.45 म०प० तक के लिए स्थगित हुई ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

*347. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर जिलों में टेलीफ़ोन प्रणाली में अधिकाधिक खराबियां आने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों में टेलीफोन सेवा में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या इन जिलों में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने एवं उनका आधुनिकीकरण की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं। वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर जिलों में टेलीफोन प्रणाली में खराबियों में वृद्धि नहीं हो रही है।

(ख) इन जिलों में टेलीफोन सेवा में और अधिक सुधार लाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

(i) इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज उपलब्ध करा कर सेवाओं को आधुनिक बनाना।

(ii) खराब होने वाले केबलों के स्थान पर नये केबल लगाना।

(iii) भारी ओवर हैड अलाइन्मेंट के स्थान पर भूमिगत केबल और इन्सुलेटिड वायर (ड्राप वायर आदि) लगाना।

(iv) घिसेपिटे टेलीफोन उपकरणों को बदलना।

(v) कर्मचारियों की निपुणता में सुधार लाने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिये प्रशिक्षण देना।

(vi) उपभोक्ताओं के साथ पारस्परिक संबंधों में सुधार लाने पर बल।

(ग) जी हां।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर जिलों में टेलीफोन एक्सचेंजों की विस्तार और आधुनिकीकरण योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

एक्सचेंज का नाम	प्रकार	चालू करने का संभावित वर्ष	अभ्युक्तियां
1. वाराणसी जिला			
भवोही	1000 लाइनों का सी-डॉट	91-92	मैक्स II को 800 लाइनों से बदलना
खमरिया	512 पोर्ट सी-डॉट	91-92	300 लाइनें बदलना
वाराणसी	5000 लाइनों का ई 10 बी	91-92	मैक्स I को 5100 लाइनों से बदलना
2. जौनपुर जिला			
शाहगंज	200 लाइनों का ई एस ए एक्स	91-92	सी बी एक्सचेंज को 200 लाइनों से बदलना
मुगरा बादशाहपुर	128 लाइनों का सी-डॉट	91-92	मैक्स III को 100 लाइनों से बदलना
जौनपुर	2000 लाइनों का आर एल यू (वाराणसी से अलग)	90-91	मैक्स II को 1200 लाइनों से बदलना
3. गाजीपुर जिला			
गाजीपुर	1000 लाइनों का आर एल यू (वाराणसी से अलग)	91-92	एन ई ए एक्स को 600 लाइनों से बदलना

दिल्ली में अपराध

*348. **श्री मदन लाल खुराना :**
श्री कालका दास :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के प्रत्येक जिले में किस-किस श्रेणी की कितनी-कितनी अपराध की घटनाएं हुईं;

(ख) उनमें से महिलाओं द्वारा कितने अपराध किए गए; और

(ग) क्या सरकार ने महिला अपराधों की बढ़ती हुई घटनाओं के बारे में कोई विश्लेषण किया है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में दर्ज किए गए अपराध के मामलों की संख्या का श्रेणीवार और जिले-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अपराध शीर्षों के अधीन इन अपराधों के लिए गिरफ्तार की गई महिलाओं के जिलेवार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण II संलग्न है।

(ग) जी नहीं श्रीमान्।

विवरण—I

वर्ष	जिला	डकैती	हत्या	हत्या का प्रयास	लूटपाट	दंगे	झपटना	चोट पहुंचाना	सेंध-मारी	चोरी	अन्य भा०द० सं०	कुल भा०द० सं०	स्थानीय और विशेष नियम	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1988	उत्तरी	—	21	22	21	9	19	120	50	1068	1233	2563	548	3112
1989	,,	2	33	30	11	9	19	147	57	1067	1214	2589	816	3405
1990	,,	2	27	38	13	26	10	136	52	899	1240	2443	1286	3729
1988	उत्तर-पश्चिमी	3	50	39	31	25	22	259	163	1030	1469	3091	629	3720
1989	,,	4	58	58	24	22	14	289	129	938	1573	3109	1049	4158
1990	,,	3	70	44	35	27	17	273	157	996	1712	3334	1203	4537
1988	केन्द्रीय	—	23	31	10	4	15	172	67	1123	1295	2749	1848	4588
1989	,,	—	28	43	14	7	10	139	34	1189	1487	2951	1726	4677
1990	,,	3	21	40	14	11	18	172	34	1113	1357	2783	1949	4732
1988	नई दिल्ली	1	6	8	14	13	16	39	94	1203	1072	2466	138	2604
1989	,,	—	6	13	11	13	9	43	112	1201	1172	2580	160	2740
1990	,,	—	7	8	9	31	8	63	103	1371	1020	2620	230	2850
1988	पूर्वी	—	33	31	22	6	9	242	120	742	972	2177	541	2718
1989	,,	—	44	41	25	9	11	267	106	847	1111	2461	598	3059
1990	,,	1	49	52	35	29	16	219	141	891	1027	2460	540	3000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1988	उत्तर-पूर्वी	2	32	41	23	11	10	251	138	725	997	2240	455	2695
1989	,,	4	37	46	14	22	16	291	136	889	1121	2566	509	3075
1990	,,	1	59	51	26	32	17	285	143	677	1082	2373	911	3284
1988	दक्षिणी	2	51	25	32	14	33	146	290	1999	1582	4174	462	4636
1989	,,	3	46	36	49	25	49	157	359	2167	1641	4532	625	5157
1990	,,	5	57	52	41	42	47	211	312	2473	2339	5579	837	6416
1988	दक्षिणी-पश्चिमी	—	34	19	15	15	15	111	201	1099	1327	2836	274	3110
1989	,,	1	41	32	19	19	17	125	228	1037	1396	2915	276	3191
1990	,,	1	38	30	17	42	10	147	230	1171	1607	3293	443	3736
1988	पश्चिमी	1	44	31	32	16	34	223	325	1617	1996	4319	601	4920
1989	,,	1	52	67	45	32	55	313	361	2238	2267	5431	1297	6728
1990	,,	1	54	69	35	51	55	322	381	2010	2608	5586	1553	7139
1988	आई०जी०आई०	—	—	—	—	1	—	4	4	62	489	560	19	579
1989	,,	—	—	—	—	1	—	4	1	103	365	473	10	484
1990	,,	—	1	—	—	5	—	6	3	76	548	639	15	654
1988	दिल्ली रेलवे पुलिस	—	2	3	2	—	11	22	—	571	250	851	910	1761
1989	,,	—	6	1	2	1	15	16	—	659	216	916	659	1575
1990	,,	2	7	3	2	5	8	11	—	527	172	737	431	1168
	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली													
1988	कुल	9	296	250	202	114	184	1579	1452	11249	12682	28017	6426	34443
1989	,,	15	351	367	214	150	215	1791	1523	12335	13563	30524	7725	38249
1990	,,	19	390	387	227	301	206	1845	1556	12204	14712	31847	9398	41245

विवरण—II

वर्ष	जिला	डकैती	हत्या	हत्या का प्रयास	लूटपाट	दंगे	झपटना	चोट पहुंचाना	सेंध-मारी	चोरी	अन्य भा०द० सं०	कुल भा०द० सं०	स्थानीय और विशेष नियम	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1988	उत्तरी	—	3	—	—	—	1	3	—	13	39	59	7	66
1989	"	—	6	—	—	2	2	7	—	3	39	59	23	82
1990	"	—	2	3	—	1	1	6	—	8	41	62	23	85
1988	उत्तरी-पश्चिमी	—	12	3	—	5	—	19	2	5	71	117	73	190
1989	"	—	11	4	—	2	—	20	1	4	101	143	97	240
1990	"	—	6	4	—	3	—	19	4	8	108	152	114	266
1988	केन्द्रीय	—	6	1	—	—	1	8	—	16	106	138	104	242
1989	"	—	3	1	—	1	—	9	—	19	118	151	108	259
1990	"	—	2	1	—	1	2	9	—	14	99	128	100	228
1988	नई दिल्ली	—	—	1	1	2	1	2	1	5	20	33	13	46
1989	"	—	1	—	—	2	2	1	1	9	23	39	24	63
1990	"	—	1	—	—	1	1	—	—	11	14	28	27	55
1988	पूर्वी	—	4	—	—	—	—	18	—	6	73	101	43	144
1989	"	—	—	1	—	1	—	15	—	3	86	106	59	165
1990	"	—	5	2	—	1	—	19	1	9	90	127	31	158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1988	उत्तर-पूर्वी	—	7	3	—	2	1	19	—	12	84	128	49	177
1989	,,	1	1	1	—	1	—	15	—	4	66	89	29	118
1990	,,	—	2	3	—	2	3	19	—	2	72	103	40	143
1988	दक्षिणी	1	4	1	—	—	2	11	—	16	53	88	7	95
1989	,,	—	3	—	—	5	6	8	1	15	57	95	20	115
1990	,,	—	3	1	—	4	1	18	—	27	57	111	34	145
1988	दक्षिण-पश्चिमी	—	2	2	—	2	—	12	—	10	38	66	27	93
1989	,,	—	1	1	—	2	1	10	6	9	66	96	20	116
1990	,,	—	3	2	—	2	1	11	—	10	51	80	36	116
1988	पश्चिमी	—	5	1	—	2	2	12	1	9	80	112	67	179
1989	,,	—	2	1	1	1	—	13	—	8	75	101	180	281
1990	,,	—	6	3	—	1	1	11	—	13	79	114	192	306
1988	इंदिरा गांधी	—	—	—	—	—	—	1	—	—	51	52	2	54
1989	अन्तर्राष्ट्रीय	—	—	—	—	—	—	—	—	1	40	41	—	41
1990	हवाई अड्डा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	52	1	5
1988	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	
1989	रेलवे	—	1	—	—	—	—	—	—	8	3	12	—	1
1990	पुलिस	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	—	7
	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली													
1988	कुल	1	43	12	1	13	8	105	4	96	615	898	393	1291
1989	,,	1	29	9	1	17	11	98	9	83	674	932	560	1492
1990	,,	—	30	19	—	16	10	112	5	107	665	964	598	1562

खनिजों की रायल्टी दरें

*349. श्री मोहन सिंह : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार खनिजों पर रायल्टी की दरों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें कब तक वृद्धि किए जाने की संभावना है ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) इस मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा श्रीनगर में मकानों पर कथित कब्जा

[अनुवाद]

*350. श्री अन्वारालु इरा :
श्री पाला के० एम० मैथ्यू :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर तथा घाटी के अन्य हिस्सों में कश्मीरी विस्थापितों द्वारा भयवश खाली किए गए कुछ मकानों पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों ने कब्जा कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मकानों के मालिकों को कोई किराया दिया जा रहा है;

(ग) क्या इस संबंध में इन मकानों के मालिकों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों द्वारा घाटी में, विशेषकर श्रीनगर में खाली किए गए मकानों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों को रहने के लिए दिया हुआ है । किराये का निर्धारण और उचित प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ मामलों में किराये का भुगतान किया गया है ।

(ग) और (घ) दो शिकायतें, एक अर्चना गेस्ट हाउस के मालिक से और दूसरी एच० एन० टूटू से प्राप्त हुई है और उन्हें उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है ।

कृषि उद्योग के रूप में गुलाब की खेती

[हिन्दी]

*351. डा० लाल बहादुर रावल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुलाब की खेती को कृषि उद्योग के रूप में मान्यता देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हाथरस (उत्तर प्रदेश) में बरवाना में गुलाब-आधारित कृषि उद्योग की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) सरकार का गुलाब की खेती को कृषि उद्योग मानने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) से (घ) जी नहीं, गुलाब के तेल की पैदावार तथा क्वालिटी में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक अनुसंधान योजना 15-10-1990 से नरेन्द्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद में लागू की जा रही है ।

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड संबंधी बहु-विषयक समिति की रिपोर्ट

[अनुवाद]

*352. **श्री सुधीर गिरि** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के पुनर्गठन और उसके लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की पुनरीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा गठित स्वामीनाथन बहु-विषयक समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उनके अनुसरण में क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां । सितम्बर 1989 में गठित समिति ने 16 अगस्त, 1990 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की ।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट में 70 मुख्य सिफारिशें शामिल की हैं । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

(ग) समिति द्वारा दी गई सिफारिश के अनुसार अधिकारियों का एक छोटा दल स्थापित किया गया है और उससे क्षेत्रीय निदेशालयों और मुख्यालय में कार्य करने के लिए अपेक्षित कार्मिकों की संख्या का हिसाब लगाने का कार्य सौंपा गया है । दल ने अपनी रिपोर्ट 31 मई, 1991 को प्रस्तुत की है । उसके बाद, रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई करने के लिए अन्तर-मंत्रालयीय शक्ति प्राप्त समिति की स्थापना की जा रही है ।

विवरण

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड की संगठनात्मक संरचना, उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों की पुनरीक्षा करने के लिए स्थापित उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं :—

(i) देश के भू-जल संसाधनों का समय-समय पर मूल्यांकन करना ।

(ii) भू-जल विकास के पोष्य प्रबन्ध को बढ़ावा देने के लिए मानीटरी करना तथा दिशा-निर्देश देना ।

(iii) पोष्य भूजल विकास तथा प्रबन्ध के लिए बेसिन विशेष प्रौद्योगिकी का स्वयं तथा अन्य अभिकरणों के सहयोग से विकास करना, परिष्कृत करना और उनका प्रसार करना जिसमें खारा अथवा समुद्री जल सहित भू-जल तथा सतही जल के संयुक्त प्रयोग जैसे प्राथमिकता क्षेत्र, कृत्रिम पुनर्भरण सहित परिवर्द्धन और संरक्षण, प्रदूषण और लवणीयता प्रवेश का निवारण तथा उपचार और भू-जल निष्कर्षण संरचनाओं और साधनों की स्थिति, डिजाइन, प्रचालन और अनुरक्षण, जल का पुनः चक्रण और पुनः प्रयोग तथा शहरी समस्याओं का हल शामिल है ।

(iv) प्रयोक्ता अभिकरणों को सूचना संवितरित करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य अभिकरणों के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना प्रणाली की स्थापना करना ।

(v) भू-जल अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रबन्ध के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना और भू-जल संरक्षण और उपयोग के विभिन्न पहलुओं की आवृत्त करने वाले अनुसंधान और विकास संस्थानों के राष्ट्रीय ग्रिड के विकास की तीव्र करने की दृष्टि से उपयुक्त संस्थानों और विश्वविद्यालयों को शामिल करते हुए अखिल भारत समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं स्थापित करना ।

(vi) बेसिन अथवा उप-बेसिन को यूनिट मानते हुए जल संतुलन अध्ययन करना । एक से अधिक राज्य में फैले बेसिनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भू-जल संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण समन्वयक की होगी । राज्य के भीतर प्रत्येक उप-बेसिन का अध्ययन राज्य स्तरीय भू-जल संगठन द्वारा किया जाए । संबंधित क्षेत्रीय निदेशालय अध्ययन का मार्गदर्शन कर सकता है और सम्पूर्ण बेसिन के लिए रिपोर्ट संकलित कर सकता है ।

(vii) पांच वर्ष के चक्र में पुनर्मूल्यांकन सर्वेक्षण करना ।

(viii) दो से तीन वर्ष की अवधि में एकीकृत हाइड्रोग्राफ नेटवर्क प्रकाशित करना ।

(ix) भू-जल बचत तथा बंटवारे के सामाजिक इंजीनियरी पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान देने के लिए सामाजिक विज्ञान संस्थानों के साथ सम्पर्क स्थापित करना ।

(x) 18,000 वेधन छिद्रों के दीर्घकालीन लक्ष्य को पूरा करने के लिए संशोधित लक्ष्य-तिथि अपनाना ।

(xi) इस दशक के दौरान केवल राष्ट्रीय भू-जल संगठन द्वारा अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग विशेषकर गहरे जलभृतों के लिए की जानी होगी ।

(xii) राष्ट्रीय स्तर पर भू-जल संगठन की अध्यक्षता अपर सचिव के वेतनमान में महानिदेशक द्वारा की जानी चाहिए और उनकी सहायता के लिए संयुक्त सचिव के वेतनमान में चार उप महानिदेशक होने चाहिएं । क्षेत्र में एकीकृत कार्य प्रबन्ध प्राप्त करने के लिए ताकि आदेश और नियंत्रण बिखर न जाए, संगठन के सभी कार्य करने के लिए वैज्ञानिक तथा इंजीनियरी स्कन्धों को मिलाकर संगठन के 17 क्षेत्रीय निदेशालय होने चाहिएं ।

(xiii) इंजीनियरी स्कन्ध के अधिकारियों को नम्य पूरक सुविधा प्रदान की जानी चाहिए ।

(xiv) उपयुक्त भण्डार प्रबन्ध प्रणाली तैयार करने के लिए किसी सलाहकार को लगाया जाए ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

*353. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत 16 मुख्य टर्नकी पैकेजों में से 14 के लिये आधारभूत और विस्तृत रूपांकन इंजीनियरी तथा संयंत्रों और उपस्करों के लिये आर्डर देने संबंधी कार्य लगभग पूरे हो गये हैं । शेष दो पैकेजों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । हालांकि उपस्करों की सप्लाई और संरचनात्मक और उपस्करों को स्थापित करने जैसे कुछ कार्य समय पर पूरा करने में कुछ चूक रही है, फिर भी, सिविल निर्माण कार्य और संरचनात्मक सप्लाई में काफी प्रगति हुई है ।

(ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया आशा करती है कि समग्र परियोजना के लिये निर्धारित मार्च, 1993 की कार्यान्वयन समय-सूची का अनुपालन किया जायेगा ।

उर्वरकों के मूल्य

*354. **श्री छेदी पासवान** :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों के मूल्य पिछली बार कब निर्धारित किये गये थे;

(ख) क्या सरकार का उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस मूल्य-वृद्धि का किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग) उर्वरकों के सांविधिक उपभोक्ता मूल्य 25 जुलाई, 1991 से संशोधित किये गये थे । इन मूल्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । मूल्यों में अभी-अभी कमी की घोषणा की गई है, जिससे 24 जुलाई, 1991 को प्रचलित मूल्यों की तुलना में उर्वरकों के मूल्य 40 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत बढ़ जायेंगे ।

जुलाई, 1981 से उर्वरकों के मूल्यों में कोई प्रभावी वृद्धि नहीं हुई थी, जबकि विभिन्न फसलों के अधिप्राप्ति और बाजार मूल्यों में लगातार वृद्धि होती रही है । उर्वरक सबसिडी बिल, जो कि 1977-78 में 24.80 करोड़ रुपये का था तथा जो 1990-91 में बढ़कर 4387.73 करोड़ रुपये हो गया था, को नियंत्रित करने के लिये उर्वरकों के मूल्य संशोधित किये गये थे ।

(घ) और (ङ) उर्वरक मूल्यों में कमी करने के अतिरिक्त, भारत सरकार यह अनुदेश जारी कर रही है कि राज्यों के साथ परामर्श करके एक विशेष योजना तैयार की जानी चाहिये

ताकि छोटे और सीमांत किसानों को 25 जुलाई, 1991 से पहले के प्रचलित मूल्यों पर उर्वरक दिया जा सके ।

उर्वरकों की खपत न केवल उर्वरक के उपभोक्ता मूल्यों पर निर्भर करती है, बल्कि अन्य ऐसे संबंधित कारकों पर भी निर्भर करती है, जिनमें सिंचाई सुविधाओं तथा अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों की उपलब्धता, मौसम की स्थिति, ऋण सुविधायें, फसल-मूल्यों के संबंध में किसानों की अपेक्षायें आदि शामिल हैं । यह मूल्य संशोधन जिस हद तक उत्पादन लागत को प्रभावित करेगा, लागतों की वृद्धि का प्रतिकार करने के लिये समर्थन तथा अधिप्राप्ति मूल्य उसी के अनुरूप उपयुक्त ढंग से समायोजित किये जायेंगे ।

विवरण

उर्वरक का नाम	25-7-91 को प्रति मीटरी टन (निवल) अधिकतम मूल्य (रुपये में)
(1)	(2)
1. यूरिया (46% एन)	3300
2. म्यूरिएट आफ पोटाश (60% के)	1820
3. डाई-अमोनियम फास्फेट (18-46-0)	5040
4. एन०पी०के० (17-17-17)	3640
5. एन०पी०के० (15-15-15)	2940
6. एन०पी०के० (19-19-19)	4140
7. अमोनियम फास्फेट सल्फेट (20-20-0)	3640
8. नाइट्रो-फास्फेट (20-20-0)	3360
9. नाइट्रो फास्फेट (23-23-0)	4120
10. अमोनियम फास्फेट सल्फेट (16-20-0)	3220
11. यूरिया अमोनियम फास्फेट (24-24-0)	4280
12. यूरिया अमोनियम फास्फेट (28-28-0)	5040
13. एन०पी०के० (14-28-14)	4280
14. एन०पी०के० (14-35-14)	4760
15. एन०पी०के० (10-26-26)	4140
16. एन०पी०के० (12-32-16)	4560
17. ट्रिपल सुपर फास्फेट (46% पी$_2$ ओ$_{05}$) (दानेदार)	3640
18. ट्रिपल सुपर फास्फेट (पाउडर)	3360
19. सिंगल सुपर फास्फेट (पाउडर) (14% पी$_2$ ओ$_5$)	1160
20. सिंगल सुपर फास्फेट (पाउडर) (16% पी$_2$ ओ$_5$)	1340
21. सिंगल सुपर फास्फेट (दानेदार) (16% पी$_2$ओ$_5$)	1540
22. एनहाइड्रस अमोनिया	5280

ग्राम पंचायतों को डाकघर और टेलीफोन सुविधाएं

[हिन्दी]

*355. श्री दाऊ दयाल जोशी :
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश की सभी ग्राम पंचायतों को डाकघर और टेलीफोन सुविधायें प्रदान करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान में अब तक कितनी ग्राम पंचायतों को डाकघर और टेलीफोन सुविधायें प्रदान कर दी गई हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) :(क) और (ख) जी हां, जहां तक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की बात है, आठवीं योजना के अंत तक सभी ग्राम पंचायतों में यह सुविधा प्रदान किये जाने की योजना है । जहां तक डाक नेटवर्क का संबंध है, इस समय 1,32,646 डाकघर ग्रामीण इलाकों में डाक सुविधायें प्रदान कर रहे हैं, जिनमें ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं । आठवीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा मानदंडों के आधार पर लगभग 6000 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ।

(ग) राजस्थान में जितनी ग्राम पंचायतों में डाकघर और टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई हैं, उनकी संख्या नीचे दी गई है :

डाकघर : 7014

टेलीफोन : 2448

व्यर्थ जाने वाले नदी-जल के संबंध में सर्वेक्षण

[अनुवाद]

*356. श्री विजय नवल पाटिल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मानसून और बाढ़ के दौरान व्यर्थ जाने वाले नदी-जल के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) मानसून और बाढ़ से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त पानी के भंडारण हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का देश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिये एक बेसिन के पानी का दूसरे बेसिनों में सदुपयोग करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :(क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग ने भारत की नदी बेसिनों का औसत वार्षिक प्रवाह 1880 बिलियन घन मीटर आंका है, जिसमें से जल के अन्तर बेसिन अंतरण के बिना वार्षिक औसत उपयोज्य सतही जल 690 बिलियन घन मीटर होने की आशा है। जल भंडारणों तथा नदी से सीधे प्रवाह से सतही जल का विद्यमान उपयोग 380 बिलियन घन मीटर है।

(ग) जल के भंडारण के लिए छोटे टेंकों सहित अनेक भंडारण परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। देश में विद्यमान भंडारण क्षमता 193.2 बिलियन घन मीटर है। परियोजनायें जिनमें 76.8 बिलियन क्यूबिक मीटर भंडारण की परिकल्पना की गयी है, निर्माणाधीन हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) यह आंका गया है कि अन्तर-बेसिन जल अंतरणों के माध्यम से 224 बिलियन घन मीटर अतिरिक्त जल का उपयोग संभव हो सकता है। इस उद्देश्य के लिये अध्ययन और सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड में लौह अयस्क के कन्सेन्ट्रेट और पैलेटों का उत्पादन

*357. **श्री वी० कृष्ण राव :**
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90 और 1990-91 के दौरान कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड में लौह अयस्क के कन्संट्रेट और पैलेटों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कम्पनी द्वारा इन वस्तुओं का कितना निर्यात किया गया;

(ग) क्या इन मदों के निर्यात के लिये चीन और भारत के बीच किसी नये समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) वर्ष 1989–90 और 1990-91 के दौरान कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि० का लौह अयस्क सांद्रण और पैलेटों का उत्पादन निम्नानुसार था :—

(लाख शुष्क टनों में)

मद	1989-90	1990-91
लौह अयस्क सांद्रण	53.89	60.06
लौह अयस्क पैलेट	19.76	19.19

(ख) सूचना निम्नलिखित है :—

(लाख शुष्क टनों में)

मद	1989-90	1990-91
लौह अयस्क सांद्रण . . .	34.04	39.06
लौह अयस्क पैलेट . . .	19.46	18.36

(ग) और (घ) जी, हां। कुद्रेमुख आयरन ओर, कम्पनी लिमिटेड ने वर्ष 1991-92 दौरान चीन को 3.70 लाख टन लौह अयस्क सांद्रण का निर्यात करने के लिये तीन पार्टियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।

उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

*358. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आज तक कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं; और

(ख) विशेष रूप से पश्चिम उड़ीसा में, टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उड़ीसा में 30-6-1991 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों के लिये 5346 व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(ख) वर्तमान प्रतीक्षा सूची को उत्तरोत्तर निपटाने के लिये आठवीं योजना अवधि के दौरान विस्तार योजनायें तैयार की गई हैं।

पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों को पहचान-पत्र जारी करना

*359. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और जम्मू व कश्मीर की सरकारों ने सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों को पहचान-पत्र जारी करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के पहचान-पत्रों को प्राप्त करने के पात्र कौन लोग होंगे, इस बारे में क्या मानदंड रखे गये है ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रशासनिक सतर्कता बरती गई है कि पहचान-पत्र केवल पात्र व्यक्तियों को ही जारी किये जायें ;

(घ) क्या इन दोनों राज्यों में पहचान-पत्र जारी करने का काम आरंभ हो गया है, यदि हां तो इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ङ) दोनों राज्यों में से प्रत्येक में इस प्रकार के पहचान-पत्र पाने के हकदार अनुमानत: कितने व्यक्ति हैं; और

(च) यह योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) पंजाब में 13 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले सभी स्थायी निवासियों तथा जम्मू और कश्मीर में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले केवल पुरुषों को विनिर्दिष्ट सीमावर्ती क्षेत्रों में पहचान-पत्र जारी किये जाने हैं ।

(ग) पुलिस/जिला प्राधिकारियों द्वारा आवेदक की पहचान तथा पात्रता का उचित सत्यापन करने के बाद ही राज्य सरकार द्वारा पहचान-पत्र जारी किये जाते हैं ।

(घ) पंजाब राज्य सरकार तो पहचान-पत्रों के वास्तविक वितरण के लिये औपचारिकताओं को पूरा करने में लगी हुई है परन्तु जम्मू और कश्मीर सरकार अधिकांश पात्र व्यक्तियों को पहचान-पत्र वितरित कर चुकी है ।

(ङ) पंजाब : 1.14 लाख

जम्मू और कश्मीर : 1.80 लाख

(च) योजना को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

औद्योगिक सुरक्षा प्रकोष्ठ

*360. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आतंकवादियों और विघटनकारी गतिविधियों से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिये कोई औद्योगिक सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को इस संरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत ले लिया गया है; और

(ग) क्या यह प्रकोष्ठ अभी तक किसी दुर्घटना को रोकने में सफल रहा है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) :(क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान । तथापि, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों और कुछ अन्य औद्योगिक उपक्रमों को संरक्षण और सुरक्षा के लिये एक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कार्यरत है ।

संसद सदस्यों की सिफारिश पर टेलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

*361. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) एक संसद सदस्य द्वारा एक वर्ष में कितने टेलीफोन कनेक्शनों की सिफारिश की जा सकती है ;

(ख) इस प्रकार के टेलीफोनों को लगाने में आम तौर पर कितना समय लगता है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि इस प्रकार के टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र लगा दिये जायें ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) :(क) एक संसद सदस्य बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शनों की इस प्रकार सिफारिश कर सकते हैं :—

संसद सदस्य (लोक सभा) —अपने निर्वाचन क्षेत्र के 10 मामले ।
—5 मामले भारत के किसी भी क्षेत्र के लिये ।

संसद सदस्य (राज्य सभा) —अपने प्रदेश के 10 मामले ।
—5 मामले भारत के किसी भी क्षेत्र के लिये ।

(ख) और (ग) इस प्रकार के टेलीफोन कनेक्शन उत्तरोत्तर प्राथमिकता के आधार पर संस्थापित किये जाते हैं, बशर्ते कि तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हो । उपयुक्त अनुदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं ।

महिलाओं को कृषि प्रशिक्षण

[अनुवाद]

*362. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय किन-किन राज्यों में "महिलाओं को कृषि प्रशिक्षण" संबंधी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ;

(ख) क्या सरकार का सभी राज्यों में विशेषकर राजस्थान में ऐसी परियोजनाओं को लागू करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) अन्य ऐसे कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं जिनमें महिलाओं को कृषि में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) "महिलाओं का कृषि में प्रशिक्षण" संबंधी परियोजना अभी कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और उड़ीसा में क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) जी, हां। दाता एजेन्सियों की सहायता से ऐसी परियोजनाओं का, राजस्थान सहित अन्य राज्यों तक, विस्तार करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) दाता एजेंसियां, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में दो परियोजनाओं के लिये निधि उपलब्ध कराने के लिये सहमत हो गई हैं। राजस्थान सहित कुछ और राज्यों की परियोजनायें भी प्राप्त हो चुकी हैं।

(घ) 185 किसान प्रशिक्षण केन्द्रों और 109 कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं को कृषि में नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युवा फार्म महिलाओं को कृषि-आधारित कार्य-कलापों में प्रशिक्षण 'ट्राईसेम' कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में खनिजों की रायल्टी दरें और उत्पादन

[हिन्दी]

*363. **श्री विश्वेश्वर भगत** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संघ सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को खनिजों पर किस दर से रायल्टी दी गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश की विभिन्न खानों का खनिज उत्पादन कितना रहा और संघ सरकार को कितनी मात्रा में खनिज प्राप्त हुए ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) खनिजों पर रायल्टी की दरें भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2 खंड 3(1) में सा०का०नि० 458(इ) दिनांक 5-5-1987 द्वारा अधिसूचित की गई थी। ये दरें जो 5 मई, 1987 से लागू हैं, मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में समान रूप से प्रभावी हैं।

(ख) वर्ष 1988 से 1990 तक मध्य प्रदेश में खनिजों का उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1988 से 1990 के दौरान मध्य प्रदेश में खनिज उत्पादन

(मूल्य हजार रुपए में)

खनिज	मात्रा की इकाई	1988		1989		1990 (अनंतिम)	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बेराइट्स . .	टन	68	6	16	2	280	8
बाक्साइट . .	टन	566,298	890,97	485,879	843,22	499,692	824,52
कैल्साइट . .	टन	4,287	5,24	6,792	7,05	5,116	6,08
क्ले (अन्य) . .	टन	2,748	82	906	45	709	24
कोयला . .	हजार टन	52,577	1234,93,56	59,834	1586,68,00	67,517	1783,44,03
तांबा अयस्क . .	टन	1824,277	2295,67	1993,298	3358,37	2065,227	4249,56
कोरंडम . .	टन	13	10,53	23	839	2	816
हीरा . .	कैरट	14,162	3,75,16	15,294	456,25	18,081	620,28
डायस्पोर . .	टन	6,656	36,73	8,795	40,54	5,743	26,96
डोलोमाइट . .	टन	023,923	430,62	582,347	385,98	617,589	403,89
फेलस्पार . .	टन	2,779	1,11	443	9	670	34
फायरक्ले . .	टन	79,156	32,77	78,183	25,67	28,664	10,32
लौह अयस्क . .	हजार टन	10,269	8096,56	11,722	9439,67	11,462	14161,25
काओलिन . .	टन	14,276	5,42	22,674	9,00	16,402	6,42
चूना पत्थर . .	हजार.टन	16,290	66,87,19	17,338	7256,94	17,693	7539,81

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मैंगनीज अयस्क	टन	279,894	15,22,64	275,131	15,37,34	2,55,455	16,84,98
ओकर	टन	23,355	15,86	22,536	15,15	11,996	7,61
फास्फोराइट	टन	104,118	4,30,05	116,007	4,64,04	135,089	9,00,45
पाइरोफिलाइट	टन	28,542	20,35	42,813	29,27	32,513	26,13
क्वार्ट्ज	टन	10	नगण्य	—	—	—	—
क्वार्टजाइट	टन	36,735	95,82	42,095	1,77,31	32,020	1,13,31
सिलिका बालू	टन	14,904	9,13	25,177	16,07	6,172	4,12
सिलिमेनाइट	टन	44	30	72	43	14	11
स्लेट	टन	5,495	5,08	10,929	8,64	21,231	17,27
स्टीटाइट	टन	1,178	54	2,542	1,11	648	23
टिन सान्द्र	कि० ग्रा०	18,193	10,92	12,066	7,24	1,26,804	76,08
गौण खनिज	मूल्य		40,70,45	—	—	—	—

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

*364. **श्री राजवीर सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश में किन-किन टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले जाने एवं उन्हें एस०टी०डी० सुविधा से जोड़े जाने का प्रस्ताव था;

(ख) क्या ये सुविधाएं उन टेलीफोन एक्सचेंजों में प्रदान कर दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उत्तर प्रदेश में 1990-91 के दौरान 38 टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलना और इन्हें एस०टी०डी० सुविधा के साथ जोड़ा जाना था। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) यह सुविधा 33 टेलीफोन एक्सचेंजों में प्रदान की गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) उपस्कर की सप्लाई विलंब से होने के कारण टिहरी, उत्तरकाशी, फर्रुखाबाद, सोनभद्र और झांसी में यह सुविधा नहीं प्रदान की जा सकी।

विवरण

उत्तर प्रदेश के उन स्थानों की सूची जिन्हें वर्ष 1990-91 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना तथा वहां एस०टी०डी० सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है :

1. अयोध्या	20. महमूदाबाद
2. बरौसा	21. मथुरा रिफाइनरी
3. बरहलगंज	22. मऊआईना
4. बीरपुर (रिहन्दनगर)	23. मोहनलालगंज
5. भाटपार रानी	24. नंदगंज
6. देवाशरीफ	25. नवाबगंज
7. धनपतगंज	26. फूलपुर
8. फिरोजाबाद	27. फूलपुर-इलाहाबाद
9. गोपेश्वर	28. रामगंज
10. हांडिया	29. रानीगंज
11. जसवंतनगर	30. सलेमपुर
12. कादीपुर	31. संडीला
13. कप्तानगंज	32. सरदार नगर
14. कोइदीपुर	33. सिमिरी
15. कुखाड़	34. टिहरी
16. कूड़ेभार	35. उत्तरकाशी
17. लांबुआ	36. फर्रुखाबाद
18. लोनी	37. सोनभद्र
19. महाराजगंज	38. झांसी

दूरसंचार सलाहकार समितियों का गठन

[अनुवाद]

*365. श्री बापू गोबर्धन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के लिए गठित दूरसंचार सलाहकार समितियों का अधिक्रमण कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नई समितियां कब तक गठित कर दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जी नहीं ।

तथापि पिछली केयरटेकर सरकार द्वारा गठित टेलीफोन/दूरसंचार सलाहकार समितियों और केन्द्रीय सलाहकार समिति की पुनरीक्षा की जा रही है ।

सीमा सुरक्षा बल में स्थानीय व्यक्तियों की भर्ती

[हिन्दी]

2140. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के हजारीबाग जिले में सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय गत बीस वर्षों से कार्य कर रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार सीमा सुरक्षा बल में श्रेणी तीन और श्रेणी चार के पदों पर भर्ती करने में स्थानीय और विस्थापित व्यक्तियों को प्राथमिकता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान । सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है ।

(ख) और (ग) सीमा सुरक्षा बल में सामान्य ड्यूटी में ग्रुप "सी" और "डी" के पदों पर भर्ती में पहले से ही वार्षिक रिक्तियों के राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार निर्धारण की प्रणाली और इन रिक्तियों पर संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र में रह रहे व्यक्तियों को भर्ती करने के प्रणाली माध्यम से स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है । इस प्रक्रिया ने सीमा सुरक्षा बल में प्रत्येक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया है और स्थानीय और विस्थापित व्यक्तियों के हितों को पूरा करता है । अत: भर्ती की इस वर्तमान प्रक्रिया को बदलने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है ।

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी के कर्मचारी

[अनुवाद]

2141. श्री के० प्रधानी : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा स्थित दामनजोड़ी और अंगुल में पृथक-पृथक रूप से नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी के श्रेणी-वार कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी-वार कितने कर्मचारी हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नाल्को) की दामनजोड़ी और अंगुल स्थित यूनिटों में कार्यरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित कर्मचारियों की कुल संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:—

समूह	दामनजोड़ी			अंगुल		
	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
क . .	289	28	13	623	72	25
ख . .	170	14	10	276	25	16
ग .	1229	238	296	2242	474	507
घ . .	148	9	69	121	33	24
कुल जोड़ : .	1836	289	388	3262	604	572

भिन्न-भिन्न भाषाएं और बोलियां बोलने वाले व्यक्ति

[हिन्दी]

2142. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 की जनगणना करने वाले गणनाकारों को जारी किये गये निर्देशों के अनुसार भिन्न-भिन्न भाषाएं और बोलियां बोलने वाली जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो मैथिली और अन्य भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो ये आंकड़े कब तक जारी किये जायेंगे ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) जम्मू और कश्मीर को छोड़कर जहां पर 1991 की जनगणना नहीं की जा सकी, सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 1991 की जनगणना से प्रत्येक व्यक्ति की मातृभाषा तथा दो अन्य ज्ञात भाषाओं के बारे में सूचना एकत्र की गई है ।

(ख) और (ग) 1991 की जनगणना में एकत्र किए गए आंकड़ों को तैयार करने और सारणीबद्ध करने का कार्य किया जा रहा है । 1991 की जनगणना के आधार पर मातृभाषा/भाषाओं को बोलने वालों की संख्या 1993-94 तक उपलब्ध होने की संभावना है ।

उड़ीसा में डाक और दूरसंचार विभागों के कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण

[अनुवाद]

2143. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के शहरी तथा ग्रामीण/क्षेत्रों में डाक और दूरसंचार विभागों के कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टर मुहैया कराने के लिए सरकार की क्या नीति है;

(ख) 31 मार्च, 1991 तक उड़ीसा में दोनों विभागों के लिए अलग-अगल कितने स्टाफ क्वार्टर उपलब्ध थे; और

(ग) उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर कितने स्टाफ क्वार्टर निर्माणधीन हैं/निकट भविष्य में निर्मित करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) इस मामले में डाक और दूरसंचार विभागों द्वारा अपनाई गई नीति क्रमश: निम्नानुसार है :—

डाक विभाग : विभाग की नीति यह है कि जिस सीमा तक संसाधन उपलब्ध हैं उसे देखते हुए संतुष्टि स्तर लगभग 15 प्रतिशत तक सुनिश्चित किया जाए। जिन श्रेणियों के कर्मचारियों का स्थानांतरण होता रहता है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। वास्तविक निर्माण कार्यक्रम रुपये-पैसे और भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

दूरसंचार विभाग : सरकार की नीति आठवीं योजना में दूरसंचार विभाग के कार्मिकों की कुल संख्या की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत स्टाफ क्वार्टरों की व्यवस्था करने की है। मकान किराया भत्ता के प्रयोजन से ए, बी-1, बी-2 और सी श्रेणियों के बतौर वर्गीकृत बड़े-बड़े शहरों तथा नए परियोजना क्षेत्रों, दुर्गम स्थानों, पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों, जहां निजी मकान उपलब्ध नहीं हैं, वहां मकान बनाने के कार्य को उचित प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) उड़ीसा सर्किल में 31 मार्च, 1991 तक उपलब्ध स्टाफ क्वार्टरों की विभागवार संख्या निम्नानुसार है :

(1) डाक विभाग—704

(2) दूरसंचार विभाग—962 (किराए के 74 स्टाफ क्वार्टरों सहित)

(ग) निर्माणाधीन स्टाफ क्वार्टरों/निकट भविष्य में बनाए जाने के लिए प्रस्तावित स्टाफ क्वार्टरों की विभागवार संख्या निम्नानुसार है :—

(1) डाक विभाग—205

(2) दूरसंचार विभाग—305

स्थानों का विभागवार सलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उड़ीसा सर्किल में उन स्थानों का विवरण जहां निकट भविष्य में स्टाफ क्वार्टर बनाए जा रहे हैं/बनाए जाने का प्रस्ताव है।

क. डाक विभाग

1. रैरंगपुर
2. सुन्दरगढ़
3. कोरापुट

4. कामाख्यानगर
5. जैपोर (के)
6. भुवनेश्वर
7. कटक
8. बालासोर
9. भद्रक
10. खुर्द
11. पारादीप
12. बारीपाड़ा
13. बरहामपुर (गंजाम)
14. परलखेमुंडी

ख. दूरसंचार विभाग

1. बालासोर
2. बहरामपुर
3. बोलनगीर
4. कटक
5. धेनकनाल
6. कोरापुट
7. राउरकेला
8. संबलपुर
9. भुवनेश्वर

पुणे में और डाकघर खोलना

2144. **श्री अन्ना जोशी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र से पुणे जिला और पुणे शहर में और डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों की संख्या और नाम क्या हैं जहां ये डाकघर खोले जाने हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) पुणे शहर की सहकारनगर, पत्रकारनगर, बनज और धानुकर कालोनी में चार विभागीय उप-डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

पुणे जिले में निम्नलिखित स्थानों पर 20 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है ।

1. ओंडवाखुर्द
2. मर्गसानी
3. दलज
4. लखेवाड़ी
5. केलवाड़ी
6. बरुड़े
7. मंजैयासनी
8. ननवीज
9. दपकेघर
10. नंदगांव
11. पिसोली
12. शीरगांव
13. रंजानी
14. वरोड़ी
15. खानगांव
16. शिवाली
17. अम्बाले
18. पानवाडी
19. करांडी खेड़ेवाड़ी
20. वेनेवाड़ी

केरल में आयल पाम अनुसंधान केन्द्र

2145. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल के त्रिवेन्द्रम जिले स्थित पालोड में राष्ट्रीय आयल पाम अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मिजोरम स्वायत्त जिला परिषद

2146. **डा० जयन्त रंगपी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मिजोरम के हमार जन सम्मेलन की जानकारी है जिसमें मिजोरम और पड़ौसी राज्यों के हमार बहुल क्षेत्रों की एक स्वायत्त शासी जिला परिषद बनाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार बातचीत द्वारा समस्या का हल खोजने का प्रयास कर रही है तथा हमार जन सम्मेलन और राज्य सरकार के बीच वार्ता के दो दौर हुए हैं ।

जिला मुख्यालयों में एस०टी०डी० की सुविधा

[हिन्दी]

2147. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस० टी० डी० की सुविधा कितने जिला मुख्यालयों में प्रदान की गई है;

(ख) क्या उक्त सुविधा राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय में उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार का जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त बड़े कस्बों में भी एस०टी०डी० की सुविधा मुहैया कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) देश के कुल 464 जिला मुख्यालयों में से 423 में एस०टी०डी० सुविधा प्रदान कर दी गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ।

खाद्यान्न उत्पादन

[अनुवाद]

2148. **श्री टी० जे० अंजलोज** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के लिए राज्य-वार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अब तक क्या प्रयास किये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान 176.5 मिलियन मीटरी टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा, संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया । कम गहरे नलकूपों/खुदे कुओं के निर्माण के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता देने की योजना क्रियान्वित की गई ताकि कृषि के लिए सिंचाई क्षमता में वृद्धि की जा सके । तिलहन और दलहन संबंधी तकनीकी मिशन के जरिए उत्पादन पर भी बल दिया गया ताकि दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राज्यों की सहायता की जा सके । किसानों को उचित मूल्यों पर उर्वरक कीटनाशी/कृमिनाशी उपलब्ध कराने की दृष्टि से आदान बिक्री केन्द्र भी खोले गए । कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली, पावर और डीजल उपलब्ध कराए गए ।

विवरण

1990-91 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	चावल	गेहूं	मोटा अनाज	दलहन	कुल खाद्यान्न
1. आन्ध्र प्रदेश	98.00	0.10	22.00	6.70	126.80
2. अरुणाचल प्रदेश	1.35	0.05	0.60	0.05	2.05
3. असम	32.50	1.20	0.20	0.70	34.60
4. बिहार .	66.00	40.00	15.00	10.00	131.00
5. गोवा .	1.50	—	0.06	0.05	1.61
6. गुजरात .	9.50	16.00	24.00	6.85	56.35
7. हरियाणा .	19.00	56.00	8.00	6.30	89.30
8. हिमाचल प्रदेश	1.30	5.00	6.20	0.20	12.70
9. जम्मू व कश्मीर	6.00	3.00	5.50	0.30	14.80
10. कर्नाटक .	25.00	2.25	45.00	6.90	79.15
11. केरल .	12.30	—	0.03	0.30	12.63
12. मध्य प्रदेश .	56.00	48.00	37.00	28.30	169.30
13. महाराष्ट्र .	27.00	8.75	66.00	15.00	116.75
14. मणिपुर .	4.00	0.10	0.20	0.12	4.42
15. मेघालय .	1.30	0.05	0.25	0.03	1.63
16. मिजोरम .	0.60	—	0.10	—	0.70
17. नागालैंड .	1.40	—	0.15	0.03	1.58
18. उड़ीसा .	56.00	1.15	5.50	12.00	74.65
19. पंजाब .	60.00	115.00	6.30	2.20	183.50
20. राजस्थान .	1.25	41.10	31.50	19.00	92.85
21. सिक्किम .	0.20	0.20	0.60	0.10	1.10
22. तमिलनाडु .	60.00	—	17.00	3.60	80.60
23. त्रिपुरा .	4.50	0.05	—	0.04	4.59
24. उत्तर प्रदेश .	96.00	198.00	40.00	28.50	362.50
25. पश्चिम बंगाल	95.00	7.55	1.60	2.65	106.80
26. अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह .	0.30	—	—	0.01	0.31
27. चण्डीगढ़ .	—	—	—	—	—
28. दादर एवं नगर हवेली .	0.20	—	0.05	0.03	0.28
29. दमन एवं दीव	0.02	—	0.01	—	0.03
30. दिल्ली .	0.08	1.45	0.10	0.02	1.65
31. लक्षद्वीप .	—	—	—	—	—
32. पाण्डिचेरी .	0.70	—	0.05	0.02	0.77
कुल .	737.00	545.00	333.00	150.00	1765.00

खाद्यान्नों के लिए समर्थन मूल्य का निर्धारण

2149. **श्री प्रकाशबापू वसंतराव पाटील** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खाद्यान्नों का समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय इसमें ढुलाई लागत को भी शामिल करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) कृषि लागत और मूल्य आयोग, अपनी मूल्य नीति रिपोर्ट में, मूल्यों की सिफारिश करते समय किसान के खेत/गांव से अधिप्राप्ति केन्द्र/मण्डी/कारखाने के दरवाजे, जैसी भी स्थिति हो, तक की परिवहन लागत पर भी विचार करता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य तेल का आयात

2150. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान कितना खाद्य तेल आयात किया गया और उसका वास्तविक मूल्य कितना था; और

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम ने वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्येक राज्य को वास्तविक मांग की तुलना में कितनी मात्रा में तिलहन सप्लाई किये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) तेल वर्ष 1990-91 (नवम्बर, 1990 से जुलाई, 1991 तक) के दौरान आयातित खाद्य तेल की मात्रा 89,941 मीटरी टन और आयात का मूल्य 62.25 करोड़ रुपये है ।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम ने 1990-91 के दौरान बीजों की 22,355 क्विंटल की वास्तविक मांग के प्रति विभिन्न राज्यों को 25,553 क्विंटल तिलहनों की आपूर्ति की है । ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

1990-91 (वित्तीय वर्ष) में तिलहनों की राज्यवार मांग पत्र तथा आपूर्ति को प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य	क्षेत्रीय सम्मेलन के अनुसार मांग (क्विंटल)	आपूर्ति की गई कुल मात्रा क्विंटल में	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आंध्र प्रदेश . .	1	34	
2.	अण्डमान तथा निकोबार .	5	5	
3.	अरुणाचल प्रदेश . .	50	29	उनको 50 क्विंटल देने का प्रस्ताव किया गया था। उन्होंने केवल 29 क्विंटल ही लिया ।

(1) (2)	(3)	(4)	(5)
4. बिहार . . .	1456	1485	
5. दिल्ली . . .	10	938	
6. गुजरात . . .	200	780	
7. हिमाचल प्रदेश . .	530	14	सोयाबीन ब्रेग के 500 क्विंटल के मांग-पत्र की सरकार ने पुष्टि नही की। 30 क्विंटल सूरजमुखी बीज नहीं ले जाया गया।
8. जम्मू तथा कश्मीर	155	70	राष्ट्रीय बीज निगम 70 क्विंटल सरसों आर०एल० एम० की आपूर्ति के लिये सहमत नहीं हुआ था, क्योंकि राष्ट्रीय बीज निगम इस किस्म का उत्पादन नहीं कर रहा था। सूरजमुखी बीज की मांगी गयी मात्रा की आपूर्ति कर दी गई थी।

आतंकवादियों द्वारा आत्मसमर्पण

2151. **श्री जे० चोक्काराव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा रखे गये शांति प्रस्ताव के जवाब में गत दो वर्षों के दौरान पंजाब, जम्मू और कश्मीर में आज तक पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त कितने आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया है तथा उनसे कितने हथियार पकड़े गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब): उपलब्ध सूचना के आधार पर वर्ष 1990 और 1991 (6-8-91 तक) के दौरान जम्मू और कश्मीर में शस्त्र और गोला बारूद के साथ 473 पाकिस्तानी प्रशिक्षित आतंकवादियों ने आत्म-समर्पण किया। पंजाब में ऐसा कोई आत्म-समर्पण नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश में बरेली स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

[हिन्दी]

2152. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बरेली पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किये गये पासपोर्टों की वर्ष-वार कुल संख्या क्या है;

(ख) इस कार्यालय में एक पासपोर्ट जारी करने में सामान्यतः कितना समय लगता है;

(ग) इस कार्यालय में नब्बे दिनों के अधिक समय से लम्बित पड़े पासपोर्ट आवेदनों की संख्या क्या है;

(घ) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान इस कार्यालय में पासपोर्ट जारी करने के मामले में कोई अनियमिततायें बरती गई;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उस पर क्या कार्रवाई की गयी;

(छ) क्या इस कार्यालय द्वारा ऐसे व्यक्तियों को भी पासपोर्ट जारी किये गये जो भारत के नागरिक भी नहीं थे; और

(ज) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और ऐसे मामले में क्या कार्रवाई की गयी है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) विगत तीन वर्षों में पासपोर्ट कार्यालय, बरेली से जारी किये गये पासपोर्टों के वर्षवार आंकड़े नीचे लिखे अनुसार हैं :

वर्ष, 1988 : 53,587
वर्ष, 1989 : 58,543
वर्ष, 1990 : 43,432

(ख) 65 दिन ।

(ग) 31-7-1991 को 6716

(घ) जी हां ।

(ङ) पासपोर्ट जारी करने के मामले में अब तक निम्नलिखित प्रमुख अनियमिततायें देखने में आई हैं :

(i) बहुत से पासपोर्ट बारी के बिना जारी किये गये और न ही रिकार्ड पर उनकी तात्कालिकता का कोई प्रमाण ही रखा गया और न सकारण आदेश ही दर्ज किये गये थे, जबकि ऐसा करने के स्थायी आदेश हैं;

(ii) बहुत से मामलों में काउंटर पर सुपुर्दगी के उद्देश्य से उन्हें "डेट केस" मार्क किया गया जबकि उनकी तात्कालिकता का कोई प्रमाण नहीं दिया गया;

(iii) ऐसे मामलों में भी पासपोर्ट जारी किये गये हैं जहां पासपोर्ट के आवेदन अधूरे भरे गये थे;

(iv) कुछ मामलों में पुलिस की प्रतिकूल रिपोर्ट के बावजूद पासपोर्ट जारी किये गये;

(v) सत्यापन के संदेहास्पद प्रमाण-पत्रों के बावजूद पासपोर्ट जारी किये गये;

(vi) पासपोर्ट तीसरे पक्षों के सुपुर्द कर दिये गये ।

(च) इस मामले में समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की गई जिसमें पासपोर्ट अधिकारी तथा उक्त कार्यालय के प्रवर श्रेणी लिपिक निलम्बित करना तथा एक अवर श्रेणी लिपिक को स्थानान्तरित करना भी शामिल है।

(छ) और (ज) अभी तक ऐसा कोई विशिष्ट मामला जानकारी में नहीं आया है।

बिहार के औरंगाबाद में डाक और तार विभागों के कर्मचारियों के लिए मकान बनाना

[अनुवाद]

2153. **श्री राम नरेश सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औरंगाबाद (बिहार) में डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के लिये मकानों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की औरंगाबाद (बिहार) के विभागीय कर्मचारियों के लिये मकान बनाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां। औरंगाबाद (बिहार) में स्टाफ क्वार्टरों की उपलब्धता में कमी आई है।

(ख) डाक विभाग क्वार्टरों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिये और अधिक आवासों के निर्माण पर विचार कर रहा है। दूरसंचार विभाग में 12 क्वार्टरों (टाइप II के 6 तथा टाइप III के 6) का निर्माण करने की योजना है।

(ग) डाक विभाग ने राज्य सरकार से भूमि के आवंटन के बारे में बात की है। दूरसंचार विभाग में नक्शे तैयार किये जा रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली होम गार्ड में कार्यरत कर्मचारी

[हिन्दी]

2154. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली होम गार्ड में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) इन होम गार्डों को क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या सरकार को हाल में इन होम गार्डों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) होम गार्ड, स्वयं सेवकों तथा कमांड, नियंत्रण और प्रशिक्षण के लिये पूर्ण कालिक कर्मचारियों का एक संगठन है। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में होम गार्ड स्वयं सेवकों की बढ़ी हुई संख्या 9,920 है। पूर्णकालिक भुगतान पाने वाले कर्मचारियों की संख्या 155 है।

(ख) जहां तक होम गार्ड स्वयं सेवकों का संबंध है, वर्दी के दो सेटों की निःशुल्क आपूर्ति के अतिरिक्त दी जाने वाली सुविधाओं में उनको ड्यूटी पर बुलाए जाने पर 32.85 रु० प्रतिदिन की दर से ड्यूटी भत्ता, 20 रु० प्रशिक्षण भत्ता, 3 रु० प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से यातायात भत्ता, 3 रु० प्रति सप्ताह की दर से वर्दी धुलाई भत्ता देना शामिल है। पूर्णकालिक कर्मचारियों को वही सुविधायें दी जाती हैं जो दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को दी जाती हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय जल आयोग के सावधिक प्रकाशन

[अनुवाद]

2155. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित सावधिक पत्र-पत्रिकाओं के नाम क्या हैं, तथा उनकी कितनी-कितनी प्रतियां छापी जाती हैं ;

(ख) ऐसे प्रकाशनों का वार्षिक व्यय कितना है;

(ग) 31 मार्च, 1996 को इसके चंदादायी सदस्यों की सख्या कितनी थी; और

(घ) ऐसे प्रकाशनों से वार्षिक घाटा कितना होता है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग भगीरथ (हिन्दी) और भगीरथ (अंग्रेजी) पत्रिकायें त्रैमासिक रूप से प्रकाशित करता है। ये पत्रिकायें भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद से मुद्रित करायी जाती हैं। वर्ष 1988, 1989 और 1990 के अंकों के लिये सरकारी मुद्रणालय को दिये गये मुद्रण आदेशों और किये गये भुगतानों के संबंध में विवरण संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है।

(ग) 31 मार्च, 1991 को भगीरथ (हिन्दी) और भगीरथ (अंग्रेजी) के लिये चन्दा देने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः 137 और 279 थी।

(घ) इन पत्रिकाओं के माध्यम से जल संसाधन विकास के विभिन्न पहलुओं पर सूचना के प्रसार की मांग की जाती है। संसद सदस्यों और इस विषय से संबंधित केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के प्राधिकारियों को बड़ी संख्या में निशुल्क प्रतियां भेजी जाती हैं। चूंकि इसका प्रकाशन व्यापारिक आधार पर नहीं किया जाता है, इसलिये इस पर हुए कुल व्यय का विवरण नहीं रखा जाता है।

विवरण

वर्ष	मुद्रित की गयी प्रतियों की संख्या	सरकारी मुद्रणालय से प्राप्त बिल की राशि	निर्मुक्त किया गया भुगतान	अभ्युक्ति
भगीरथ (अंग्रेजी)				
1988 .	13,400	1,51,640	1,51,640	जनवरी-मार्च, 1989, अक्तूबर-दिसम्बर, 1989, जनवरी-मार्च, 1990 और जुलाई-सितम्बर, 1990 के अंकों के बिल निबटान हेतु पड़े हुए हैं तथा जुलाई-सितम्बर, 1988 (भाग), अप्रैल-जून, 1990 और अक्तूबर-दिसम्बर, 1990 के बिल भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।
1989 .	13,400	3,12,781	1,19,254	
1990 .	10,600	1,03,194	शून्य	
भगीरथ (हिन्दी)				
1988	10,000	1,07,569	1,07,569	जनवरी-मार्च, 1989, अप्रैल-जून, 1989, जनवरी-मार्च, 1990 तथा जुलाई-सितम्बर, 1990 के अंकों के बिल निबटान हेतु लंबित हैं और अक्तूबर-दिसम्बर, 1989, अक्तूबर-दिसम्बर, 1990 के बिल प्राप्त नहीं हुए हैं।
1989	10,200	3,66,728	59,452	
1990 .	9,600	62,809	शून्य	

राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण-तीन

[हिन्दी]

2156. **श्री शूरसेन चौधरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण-तीन के अन्तर्गत अब तक क्या उपलब्धि प्राप्त की गयी है;

(ख) इस परियोजना की भावी योजनायें क्या हैं;

(ग) क्या बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को भी लाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कितने किसानों को लाया गया है और राज्यवार बीज उत्पादन कार्यक्रम कितने क्षेत्र में चलाया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) $6\frac{1}{2}$ वर्षीय परियोजना राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण-III को मार्च, 1990 में स्वीकृति दी गई थी। अब तक परामर्श-दात्री अध्ययन के लिये राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम और आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के राज्य बीज निगमों को हाथ में लिया है। आन्ध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम के लिये 12 मान्य कार्यकारी योजना को अन्तिम रूप दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की 52 परियोजनाओं में उपजातीय विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है। आन्ध्र प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरण और असम राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरण को सुदृढ़ करने संबंधी प्रस्तावों के लिये क्रमश: 110 लाख रुपये और 71 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इस परियोजना के तहत नाबार्ड ने अब तक निजी क्षेत्र में 757.06 लाख रुपये की राशि के निवेश ऋण प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं।

(ख) सभी परियोजना घटक निर्धारित अवधि में क्रियान्वित किये जाने हैं।

(ग) जी, नहीं। नाबार्ड से निवेश ऋण संबंधी सुविधायें प्राप्त करने के लिये केवल बीज उत्पादक अभिकरण शामिल किये जाते हैं।

(घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन को संदेश

[अनुवाद]

2157. **श्रीमती विभू कुमारी देवी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में सम्पन्न हुए अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन को कोई संदेश भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सम्मेलन के निष्कर्ष की कोई जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने वहां के योजनाबद्ध संघर्ष को प्रभावी सहायता और अनुदान देने का कोई प्रस्ताव रखा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां ।

(ख) प्रधानमंत्री ने 2 से 7 जुलाई, 1991 तक दरबन में आयोजित अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन को दो संदेश भेजे थे । एक संदेश उन्होंने प्रधान मंत्री की हैसियत से भेजा था और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, (आई) के अध्यक्ष की हैसियत से । इन संदेशों में प्रधान मंत्री ने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति तथा सार्वभौम मताधिकार पर आधारित जातीय भेदभाव से मुक्त, लोकतांत्रिक और अखण्ड दक्षिण अफ्रीका के सृजन के प्रयासों के प्रति भारत का समर्थन दोहराया ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन ने श्री नेल्सन मण्डेला को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर अपने आन्दोलन में उनके नेतृत्व को सुदृढ़ किया तथा दक्षिण अफ्रीका की सरकार के साथ बातचीत के लिये इसे तैयार किया । इसके अतिरिक्त, इस सम्मेलन ने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व को यह आदेश दिया कि वह एक अखिल दल सम्मेलन के माध्यम से संविधान सभा के भावी मार्ग-निर्देशों के संवैधानिक सिद्धांतों के संबंध में दक्षिण अफ्रीका की सरकार के साथ बातचीत आगे बढ़ाये । इस सम्मेलन ने बातचीत के मार्ग की रुकावटें दूर हो जाने, एक आन्तरिक सरकार की स्थापना और एक लोकतांत्रिक संविधान स्वीकृत हो जाने के बाद प्रतिबन्ध उठाने के लिये तीन चरण की एक योजना भी स्वीकार की ।

(ङ) जी हां ।

(च) भारत जातीय पृथक्वासन विरोधी संघर्ष में हमेशा आगे रहा है । भारत सरकार अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा जाति-वाद विरोधी संगठनों को सदैव नैतिक, भौतिक और राजनैतिक समर्थन देती आई है । डा० नेल्सन मण्डेला की भारत यात्रा के दौरान अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्वासितों को फिर से बसाने के लिये 50,00,000 अमरीकी डालर का चैक उन्हें दिया गया था । दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत बहुसंख्यक समाज के सदस्यों को व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान करने में कारगर सहायता दी जा रही है ।

नये इस्पात संयंत्र

2158. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना में नये बड़े इस्पात संयंत्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) कर्नाटक में विजयनगर तथा उड़ीसा में दैतारी में इस्पात संयंत्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव, सरकार के विचाराधीन हैं । इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर अन्तिम निर्णय, आठवीं योजनावधि में निधि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

बासमती चावल

2159. **श्री गोविन्दराव निकम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बासमती चावल देश की प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाले खाद्यान्नों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बासमती चावल के उत्पादन में वृद्धि करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को बासमती चावल के बीजों की सप्लाई रियायती दरों पर करने का है ?

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी हां।

(ख) निर्यात के लिये बासमती चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिये चावल विकास के समेकित कार्यक्रम से संबद्ध केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 20 जिले अभिशात किये गये हैं। बासमती चावल के उत्पादन की उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रचार करने के लिये बीज, माइक्रो पोषक तत्वों, कीटनाशकों, फार्म उपकरणों, वनस्पति रक्षण उपकरण आदि जैसे आदानों के इस्तेमाल के लिये अभिशात जिलों के किसानों को सहायता मुहैया कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त बासमती चावल के उत्पादन में किसानों और फार्म श्रमिकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के अलावा फील्ड प्रदर्शनों का भी आयोजन किया जाता है।

(ग) से (ङ) 20 चुनिन्दा जिलों के किसानों को बासमती चावल के बीज मुहैया कराये जा रहे हैं जिस पर उन्हें प्रति क्विंटल 200 रुपये की सबसिडी दी जा रही है। इस योजना के जरिये मुख्यतः छोटे और सीमांत किसानों को सहायता दी जा रही है। तथापि, इन कार्यक्रम के तहत अन्य श्रेणी के किसान भी कुछ हद तक सबसिडी प्राप्त करते हैं। पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को बासमती चावल के बीजों की आपूर्ति सबसिडी के आधार पर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये बासमती चावल के अभिशात प्रमुख चावल उत्पादक जिलों के किसानों को सहायता प्रदान की जा रही है।

मिदनापुर जिले में नये टेलीफोन एक्सचेंज

2160. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थापित किये जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में 1991-92 के दौरान संस्थापित किये जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में 1991-92 के दौरान विभिन्न स्थानों पर संस्थापित किये जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्र० सं०	केन्द्र का नाम	1991-92 में संस्थापित किये जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंज का प्रकार
1.	कोंटाई	512 पोर्ट आई एल टी
2.	पनेकुरा	256 पोर्ट सी डॉट
3.	इगरा	—वही—
4.	चन्द्रकोना	—वही—
5.	बेल्डा	200 लाइनों का ई एस ए एक्स पी ए एम (29-7-91 को चालू किया गया)
6.	डिघा	—वही—
7.	कोलाघाट	—वही—
8.	रामनगर	128 पोर्ट सी-डॉट
9.	सिलवोनी	—वही—
10.	केशपुर	—वही—
11.	दासपुर	—वही—
12.	सिल्दा	—वही—
13.	चैतन्यपुर	—वही—
14.	खकुरडा	—वही—
15.	मायना	64 पोर्ट एम आई एल टी
16.	लोवाडा	—वही—
17.	प्रतापडिघी	—वही—
18.	सतमिले	—वही—
19.	डेटोन	—वही—
20.	केशयारी	—वही—

सभी इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं ।

उड़ीसा में डाकघर

[हिन्दी]

2161. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के क्योंझर मयूरभंज और सुन्दरगढ़ जिलों में नये डाकघर और उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) उड़ीसा और दूसरे सर्किलों में डाकघर खोलने के लिये समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं । इन प्रस्तावों की मानदण्डों एवं वित्तीय व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर जांच की जाती है ।

(ख) इस समय निम्नलिखित अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के प्रस्तावों की जांच की जा रही है :—

क्योंझर जिला

1. तन्दरा

मयूरभंज जिला

1. पाइकबासा
2. गोदरुमा
3. खुंटापाल
4. महाबिला
5. केशडीह

सुंदरगढ़ जिला

1. कायंकचर
2. तेंलिनदिहा
3. अलान्दा

कर्नाटक और केरल की सागर से होने वाले भू-क्षरण को रोकने के लिए केन्द्रीय सहायता
[अनुवाद]

2162. **श्री एच०डी० देवगौड़ा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कर्नाटक केरल को सागर से होने वाले भू-क्षरण को रोकने के लिये दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समुद्र कटाव रोकने के लिये कर्नाटक और केरल को प्रदान की गयी केन्द्रीय ऋण सहायता का विवरण इस प्रकार है:—

कर्नाटक — शून्य

	वर्ष	राशि करोड़ रु० में
केरल . . .	1985-86	2.31
	1986-87	2.50
	1987-88	2.50
	1988-89	2.50
	1989-90	2.37
	योग	12.18

बोकारो इस्पात संयंत्र के अधीन चलाए जा रहे स्कूल

[हिन्दी]

2163. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा जिन प्राइवेट स्कूलों को भूमि और धन दिया गया है उनका ब्यौरा क्या है तथा उनके द्वारा ली जाने वाली ट्यूशन फीस की दरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों की संख्या का उनके छात्रों तथा अध्यापकों की संख्या सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या छात्र-अध्यापक अनुपात सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा जिन प्राइवेट स्कूलों को भूमि और धन दिया गया है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्राइवेट स्कूलों द्वारा वसूल की जाने वाली मासिक ट्यूशन फीस और दरें निम्नलिखित हैं :—

क्रम संख्या	स्कूल	कक्षावार ट्यूशन फीस की मासिक दरें			
		नर्सरी से पांचवीं	छठी से आठवीं	नवीं और दसवीं	ग्यारहवीं और बारहवीं
		रु०	रु०	रु०	रु०
1.	दिल्ली पब्लिक स्कूल				
	(क) केवल बोकारो इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के बच्चों के लिए	110	120	130	140
	(ख) दूसरों के लिए	205	210	215	225
2.	सेंट जेवियर स्कूल . .	195	200	225	235
3.	चिलमाया विद्यालय .	125	140	155	180
4.	डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल .	110	120	120	135
5.	अन्य स्कूल . .	मासिक फीस 100 रु० से 115 रु० के बीच वसूल की जाती है			

(ख) बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों की संख्या और इन स्कूलों में विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या निम्नानुसार है :—

क्रम संख्या	स्कूल का स्तर	स्कूलों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या	अध्यापकों की संख्या
1.	हाई स्कूल और+2 स्कूल . . .	15	25176	688
2.	माध्यमिक स्कूल			
	(1) हिन्दी माध्यम-20 (2) अंग्रेजी माध्यमिक-7 . .	27	27628	702
	कुल .	42	52804	1390

(ग) जी, हां।

विवरण

बोकारो स्टील सिटी स्थित प्राइवेट स्कूलों को बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा दी गई भूमि का क्षेत्रफल, दिए गए ऋण और प्राइवेट स्कूलों की संख्या

बोकारो इस्पात संयंत्र

क्रम संख्या	स्कूल	भूमि का क्षेत्रफल	ऋण की राशि
1.	सेंट जेवियर स्कूल	18.00 एकड़	12.00 लाख रु०
2.	डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल	8.00 एकड़	12.00 लाख रु०
3.	चिनमाया विद्यालय	4.00 एकड़	8.00 लाख रु०
4.	गुरु गोविन्द सिंह पब्लिक स्कूल	8.00 एकड़	8.00 लाख रु०
5.	होली क्रास स्कूल	8.00 एकड़	10.00 लाख रु०
6.	एम० जी० एम० हाई स्कूल	8.00 एकड़	18.00 लाख रु०
7.	अय्यप्पा पब्लिक स्कूल	8.00 एकड़	10.00 लाख रु०
8.	बिशप वेस्ट काट ब्योज स्कूल	16.00 एकड़	—
9.	शिशु शिक्षा प्रबन्ध समिति	8.00 एकड़	—
10.	स्वामी शहजानन्द हाई स्कूल	8.00 एकड़	—
11.	क्रिश्चियन असेम्बली हाई स्कूल	8.00 एकड़	—
12.	डी०ए०वी० हाई स्कूल नं० 2	8.00 एकड़	—
13.	रण विजय स्मारक हाई स्कूल	7.00 एकड़	—
14.	लायन्स क्लब नर्सरी स्कूल	0.48 एकड़	0.30 लाख रु०
15.	नर्सरी स्कूल, चित्रा गुप्ता महापरिवार	0.49 एकड़	0.30 लाख रु०
16.	शिशु मंदिर भारतीय संस्कृति ज्ञान मंदिर	0.48 एकड़	—
17.	शिशु सौरभ महिला समिति नर्सरी स्कूल	0.49 एकड़	—
18.	रोटरी क्लब नर्सरी स्कूल	0.50 एकड़	—
19.	महिला अकादमी नर्सरी स्कूल	0.50 एकड़	—
20.	सेंट मेरी नर्सरी स्कूल	0.50 एकड़	—
21.	संत निरंकारी मंडल नर्सरी स्कूल	0.50 एकड़	—
22.	पटेल सेवा संघ नर्सरी स्कूल	0.50 एकड़	—
23.	अकेडेमिक क्वेस्ट नर्सरी स्कूल	0.50 एकड़	—
24.	ज्ञानदीप शिक्षण संस्थान नर्सरी स्कूल	0.50 एकड़	—
25.	केरली कल्चरल एशोसिएशन नर्सरी स्कूल	0.50 एकड़	—
26.	भारतीय संस्कृति ज्ञान मंदिर नर्सरी स्कूल	0.57 एकड़	—
27.	नर्सरी स्कूल (भारतीय संस्कृति ज्ञान मंदिर)	0.42 एकड़	—
28.	इमामुल हाई खान उर्दू हाई स्कूल	2.00 एकड़	—
29.	अपनी स्कूल बिल्डिंग बनाने तक अंस्थायी व्यवस्था के रूप में दिल्ली पब्लिक स्कूल को खेल के मैदान की सुविधाओं और फर्नीचर आदि सहित स्कूल को दो बिल्डिंग दी गई हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल को 30 लाख रु० का अनुदान/राज सहायता भी दी गई है।		

तमिलनाडु को आतंकवाद की रोकथाम के लिए वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

2164. **श्री कादम्बुर एम०आर० जनार्दनन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु सरकार को आतंकवाद की रोकथाम के लिए कोई वित्तीय सहायता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) भारत सरकार तमिलनाडु सरकार को सभी संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। तटीय क्षेत्रों में पुलिस प्रबन्ध को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई राशि की प्रति-पूर्ति के लिए एक प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

डाक और दूरसंचार विभागों के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

2165. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण की प्रधान खण्डपीठ के 11 जून, 1991 के ओ०ए०सं० 2489/1989 में यह निर्देश देने वाला निर्णय प्राप्त हो गया है कि डाक और दूरसंचार विभागों के उन कर्मचारियों को, जो 3500 रुपए प्रति माह वेतन ले रहे हैं, रेल कर्मचारियों के बराबर बोनस का भुगतान किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या यह लाभ केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को भी मिलेगा ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) यह निर्णय दूरसंचार विभाग और डाक विभाग दोनों पर लागू होता है। दोनों विभागों ने न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक विशेष छूट याचिका दायर करने का फैसला किया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद

2166. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा**
श्रीमती वासवराजेश्वरी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्णय हेतु लम्बित पड़े अन्तर्राज्यीय जल-विवादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन विवादों को हल करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) जो विवाद पहले ही हल कर लिये गए हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत, रावी तथा व्यास जल के बंटवारे तथा कावेरी जल के बंटवारे संबंधी दो विवाद क्रमशः अप्रैल, 1986 तथा जून, 1990 में न्यायाधिकरणों को भेजे गये हैं। रावी तथा व्यास जल अधिकरण ने जनवरी, 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, लेकिन भारत सरकार तथा संबंधित राज्यों ने इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकरण की रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन प्राप्त करने के वास्ते अधिकरण को और आगे लिखा है। कावेरी जल विवाद अधिकरण ने तमिलनाडु तथा पांडिचेरी को अंतरिम राहत प्रदान करने के वास्ते 25-6-1991 को एक आदेश पारित किया है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अंतर्गत माही बजाज सागर से संबद्ध प्रश्नों पर विचार करने के वास्ते मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में 6 फरवरी, 1991 को एक प्रारंभिक अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई थी।

इसके अतिरिक्त, करारों की व्याख्या तथा अधिशेष जल का बंटवारा अर्थात् यमुना जल का बंटवारा (ओखला तक), सोन जल के संबंध में बाणसागर करार की व्याख्या, राजस्थान तथा गुजरात के बीच माही जल करार की व्याख्या जैसे मामलों से संबंधित कुछ अंतर्राज्यीय मुद्दे हैं। राज्यों के बीच जल संसाधनों में अंतर्राज्यीय मुद्दों को सौहार्दपूर्वक निपटाने के वास्ते अप्रैल, 1990 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की एक स्थायी समिति गठित की गई है। यमुना जल के हिस्से (ओखला तक) से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिये स्थायी समिति की एक बैठक सितम्बर, 1990 में आयोजित की गई थी।

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच कृष्णा नदी के जल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के बीच गोदावरी नदी के जल तथा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के बीच नर्मदा नदी के जल वितरण से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरणों के गठन के जरिये केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले ही हल किये जा चुके हैं। कृष्णा, गोदावरी तथा नर्मदा जल विवादों के संबंध में इन अधिकरणों की अंतिम रिपोर्टें क्रमशः 27-5-1976, 7-7-1980 तथा 7-12-79 को दी गई थीं।

पशुओं और मनुष्यों पर बोवाइन विकास हारमोन का प्रभाव

2167. **श्रीमती डी०के० भंडारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुधारू पशुओं के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिये उन्हें बोवाइन विकास हारमोन का टीका लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस हारमोन के पशुओं और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा इस बारे में क्या अनुसंधान किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०सी० सेंका) : (क) जी हां।

(ख) भैंसों की मांसपेशियों में रोजाना 25 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम हारमोन के इंजेक्शन देना कारगर पाया गया। इससे दुग्ध उत्पादन में 16.8 से 29.5 प्रतिशत बढ़ोतरी देखी गयी।

(ग) से (ङ) दूध देने वाली संकर नस्ल की गायों और भैंसों के स्वास्थ्य पर बी०जी०एच० के प्रभाव की जांच के लिये राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में अनुसंधान परीक्षण किये गये हैं; अभी तक बी०जी०एच० के प्रयोग से पशुओं या मानवों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नजर नहीं आया।

दिल्ली में मारुति कार डीलरों द्वारा बिक्री कर का भुगतान न करना

[हिन्दी]

2168. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में बिक्री कर का भुगतान न करने वाले कुछ मारुति कार डीलरों के विरुद्ध कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1990-91 के संबंध में बिक्री कर निर्धारण करने की प्रक्रिया के दौरान, दिल्ली के मारुति कारों के डीलरों के नाम में 6,45,109 रु० बकाया पाये गये हैं। दिल्ली के बिक्री कर प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उनको मामले की जानकारी है तथा बकाया राशि की वसूली करने के लिये उचित कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

दिल्ली में "फैक्स" सुविधा

2169. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां "फैक्स" सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या शास्त्री भवन में मीडिया सेन्टर में उधार पत्र (क्रेडिट कार्ड) द्वारा फैक्स सुविधा नहीं दी जाती; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी०जी० रंगराजा नायडु) : (क) दिल्ली में दूरसंचार विभाग/महानगर टेलीफोन निगम लि० ने जिन स्थानों पर फैक्स सुविधा प्रदान की है उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिल्ली में, केन्द्रीय तार घर, विभागीय तार घर तथा दूरसंचार केन्द्रों के नाम जहां फैक्स सुविधा उपलब्ध है ।

1. ईस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय तार घर

2. निम्नलिखित स्थानों पर स्थित विभागीय तार घर
   - (क) आजादपुर
   - (ख) चांदनी चौक
   - (ग) कश्मीरी गेट
   - (घ) दरियागंज
   - (ङ) कृष्णा नगर
   - (च) लोदी रोड
   - (छ) प्रसाद नगर
   - (ज) नेहरू प्लेस
   - (झ) संसद भवन
   - (ञ) राजौरी गार्डन
   - (ट) परिवहन केन्द्र
   - (फ) अन्तर्राष्ट्रीय तार घर, बंगला साहिब मार्ग
   - (ब) चाणक्यपुरी

3. निम्न स्थानों पर स्थित दूरसंचार केन्द्र
   - (क) इन्दिरागांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
   - (ख) पालम हवाई अड्डा
   - (ग) प्रगति मैदान
   - (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
   - (ङ) लक्ष्मी नगर
   - (च) लाजपत राय मार्केट
   - (छ) हौजखास
   - (ज) जोरबाग
   - (झ) अरुणाचल भवन
   - (ञ) शास्त्री भवन मीडिया केन्द्र
   - (ट) संसदीय सौध
   - (ठ) उपभोक्ता सेवा केन्द्र, ईस्टर्न कोर्ट
   - (ड) राजौरी गार्डन

बनास और चम्बल नदियों को जोड़ना

2170. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनास और चम्बल नदियों को जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

शिया पवित्र स्थलों की क्षति रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग

[अनुवाद]

2171. **श्री राम नाईक :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उलेमा और खुतबा की सर्वोच्च परिषद् ने ईराक में शिया पवित्र स्थल की और अधिक क्षति और विनाश रोकने के लिये भारत सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसे संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी हां । बदगदाद स्थित अपने राजदूतावास को यह हिदायत दी गई है कि वह इस मामले के पूरे तथ्यों का पता लगाये ताकि इस संबंध में समुचित कार्रवाई पर विचार किया जा सके ।

उर्वरकों की खपत

2172. **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान धान और गेहूं के खेतों में राज्य-वार प्रति एकड़ कितने उर्वरकों की खपत हुई; और

(ख) सरकार ने देश में उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ख) सुदूर तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने को बढ़ावा देने की योजना छोटे पैक के प्रयोग को बढ़ावा देने, समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा विस्तार संदेशों के माध्यम से देश में उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेना की तैनाती

[हिन्दी]

2173. **श्री दिलीप भाई संघानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में वर्ष 1990 के दौरान और 1991 से अब तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अथवा सेना को कितनी बार राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार तैनात किया गया;

(ख) इस प्रकार तैनात किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) राज्य सरकार के अनुरोध पर कानून और व्यवस्था बनाये रखने में उनकी मदद के लिये के०रि०पु० बल/सैना तैनात किये गये हैं । देश के विभिन्न भागों में के०रि०पु० बल और सेना की तैनाती के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

(I) के० रि० पु० बल

1990 और 1991 की अवधि के दौरान (30–6–1991 तक की सूचना दी गई है) के० रि०पु० बल आन्ध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, पंजाब, पांडिचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तैनात रही ।

2. अन्य राज्यों के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :—

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	के०रि०पु० बल को कितनी बार तैनात किया गया, उसकी संख्या	
		1990	1991 (30 जून, 1991 तक)
1.	गोवा	1	—
2.	हिमाचल प्रदेश	1	—
3.	हरियाणा	2	1
4.	कर्नाटक	1	—
5.	महाराष्ट्र	1	—
6.	मिजोरम	1	1
7.	उड़ीसा	2	1
8.	तमिलनाडु	1	1
9.	दादर और नगर हवेली	—	1

(II) सेना

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कितनी बार सहायता दी गई, उसकी संख्या	
		1990	1991
1.	जम्मू और कश्मीर	150	6
2.	उत्तर प्रदेश	47	2
3.	हरियाणा	12	3
4.	पंजाब	3	70
5.	बिहार	5	—
6.	असम	2	—
7.	मेघालय	2	—
8.	गुजरात	3	—
9.	हिमाचल प्रदेश	20	—
10.	चंडीगढ़	1	—
11.	राजस्थान	26	3
12.	आन्ध्र प्रदेश	2	1
13.	त्रिपुरा	—	1
14.	पश्चिम बंगाल	—	2
15.	तमिलनाडु	—	4
16.	दिल्ली	—	1
17.	दादर और नागर हवेली	—	1

उपरोक्त के अलावा, सेना ने असम में "आपरेशन बजरंग" चलाया और जम्मू और कश्मीर और पंजाब में उग्रवादी आतंकवादी-विरोधी अभियान के लिये अभी भी सहायता उपलब्ध करा रही है ।

बिहार में नारायणपुर को कुरूसेला से जोड़ने के लिये तटबंध योजना

2174. **श्री राम शरण यादव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार में नारायणपुर को कुरूसेला से जोड़ने के लिये तटबंध योजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये दी गयी या दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक मंजूरी मिल जायेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) 13.12 करोड़ रुपये लागत की स्कीम राज्य सरकार से दिसम्बर, 1984 में प्राप्त हुई थी । अगस्त, 1985 में और स्पष्टीकरण के लिये भेजी गई टिप्पणियों का उत्तर राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

डेरी उत्पादों का आयात व निर्यात

[अनुवाद]

2175. **श्री लोकनाथ चौधरी**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जुलाई, 1991 को "टाइम्स आफ इंडिया" में "मिल्क पाउडर में हैव टु बी इम्पोर्टिड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विभिन्न देशों को डेरी उत्पादों का निर्यात भी किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेम्का) : (क) जी, हां ।

(ख) स्किम्ड दुग्ध चूर्ण के वाणिज्यिक आयात के बारे में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से एक प्रस्ताव 6-8-1991 को प्राप्त हुआ है ।

(ग) और (घ) दुग्ध चूर्ण का निर्यात पहले किया गया था क्योंकि 1989-90 के दौरान उत्पादन बहुत अच्छा हुआ था । ऐसे निर्यात को पामोलीन के आयात के साथ जोड़ दिया गया जिसका उपयोग राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा खाद्य तेल के लिये कार्यान्वित किये जा रहे मण्डी हस्तक्षेप कार्य के लिये किया गया । घी और मक्खन जैसे अन्य डेरी उत्पादों का निर्यात स्थितियों के अनुकूल किया जाता है ।

हिमाचल प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

2176. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश की उन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा किया गया है ; और

(ख) राज्य की उन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सातवीं योजना के दौरान निम्न अनुमोदित मध्यम परियोजनाओं को जारी रखा गया ।

नाम	लागत (करोड़ रु० में)		लाभान्वित किया जाने वाला अधिकतम क्षेत्र (हैक्टेयर)	अभ्युक्ति
	अनुमोदित	संशोधित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. बालू घाटी परियोजना	3.02	8.27 (अनुमोदित किया जाना है)	2410	1991-92 में पूर्ण किये जाने की संभावना है । अब तक 1950 हैक्टेयर क्षमता सृजित की गयी है जिसमें से सातवीं योजना में 1750 हैक्टेयर था ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. भाबर साहिब परियोजना	4.26	9.00 (अनुमोदित किया जाना है)	2649	कार्य 1988–89 में प्रारम्भ किया गया और सातवीं योजना में 0.68 करोड़ रुपये व्यय किये गये। इसे पूरा करने का काम आठवीं योजना के बाद तक किये जाने की संभावना है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सातवीं योजना में नलकूपों, नदी व्यपवर्तन स्कीमों और लिफ्ट सिंचाई स्कीमों के द्वारा लघु सिंचाई क्षेत्र में 9600 हैक्टेयर की क्षमता सृजित की गयी थी ।

(ख) निम्न नई अनुमोदित परियोजनाओं को आठवीं योजना में शामिल करने की सिफारिश की गयी है :—

नाम	लागत (करोड़ रु० में)	लाभान्वित क्षेत्र (हैक्टेयर)	अभ्युक्ति
(i) शाहनपुर सिंचाई परियोजना	49.30	26,536	इन परियोजनाओं के द्वारा आठवीं योजना में 1560 हैक्टेयर क्षेत्र सृजित करने की आयोजना है ।
(ii) आनन्दपुर जल परियोजना	15.00		अनन्तिम लागत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है ।
(iii) पेइना सिंह परियोजना	25.00		

राज्य सरकार, 3 अन्य परियोजनाओं—एक चुकन्दर (बीट) क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु ऊना जिले में और अन्य दो कांगड़ा जिले में अर्थात् सिंधाता सिंचाई परियोजना और कृपालचन्द सिंचाई परियोजना का अन्वेषण भी कर रही है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, आठवीं योजना में लघु सिंचाई क्षेत्र में 14000 हैक्टेयर की क्षमता के सृजन किये जाने की आयोजना है ।

भूमिगत जल संसाधनों का उपयोग करने हेतु केन्द्रीय सहायता

2177. **प्रो० के० वी० थामस :**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे चला गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन राज्यों को भूमिगत जल संसाधनों के उपयोग करने हेतु वर्ष 1991-92 के दौरान वित्तीय सहायता देने का है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार ने उन राज्यों को वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान कितनी केन्द्रीय सहायता दी है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के हिस्सों में भूजल स्तरों में 2 से 4 मीटर तक की गिरावट आयी है ।

(ख) जी, नहीं । ऐसी कोई स्कीम विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जल संसाधन प्रबन्ध और प्रशिक्षण परियोजना

2178. **डा० असीम बाला** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से सहायता प्राप्त जल संसाधन प्रबंध और प्रशिक्षण परियोजना के सिंचाई प्रबंध प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, विशेषकर विभिन्न राज्यों के लिये बजट में किये गये प्रावधान की तुलना में आवंटित तथा वास्तविक रूप से खर्च की गई धनराशि के संदर्भ में, कितनी वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति हुई;

(ख) क्या परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये आदानों, सेवाओं अथवा अन्य प्रकार की सहायता के लाभभोगी राज्यों की अनुक्रिया के अभाव के परिणामस्वरूप परियोजना कार्य सितम्बर, 1992 तक बढ़ गया;

(ग) यदि हां, तो क्या "इन्टरवेन्शन माडल" जिस पर परियोजना आधारित है, बदली हुई परिस्थितियों में भी वैध है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जल संसाधन प्रबन्ध और प्रशिक्षण परियोजना के लिये कुल मिलाकर, 51 मिलियन डालर की यू एस ए आई डी सहायता में से सिंचाई प्रबन्ध प्रशिक्षण घटक के लिये 43 मिलियन डालर का आबंटन है । मार्च, 1991 तक 30.36 मिलियन डालर की सहायता का वितरण किया गया है । सिंचाई प्रबन्ध और प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत मार्च, 1991 तक हुआ संचयी खर्च 41.96 करोड़ रुपये बैठता है। प्रत्येक राज्य में हुई भौतिक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) इस परियोजना का निर्माण कार्य विभिन्न तथ्यों के कारण बढ़ गया था । इन तथ्यों में कुछ भागीदार राज्यों की अपर्याप्त अनुक्रिया भी शामिल है ।

(ग) और (घ) इस परियोजना के अंतर्गत किसी विशेष इन्टरवेन्शन माडल का प्रस्ताव नहीं किया गया है । इस परियोजना में स्थानीय स्थितियों और अपेक्षाओं पर आधारित उपयुक्त इन्टरवेन्शन विकसित करने के लिये काफी नम्यता की व्यवस्था है ।

विवरण

संगठन का नाम	मूल परियोजना बजट (करोड़ रु० में)	मार्च, 91 तक व्यय (करोड़ रुपये में)	मार्च, 91 तक विदेश में प्रशिक्षित किये गये व्यक्तियों की सं०	दिसम्बर, 1990 तक राज्य संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित किये गये व्यक्तियों की संख्या		
				अधिकारी	फील्ड स्तरीय	किसान
सिंचाई अनुसंधान प्रबन्ध सुधार संगठन केन्द्रीय जल आयोग		2.4766	56	—	—	—
बालमी, गुजरात		2.7985	73	4027	771	501
बालमी, महाराष्ट्र		7.4615	62	3950	—	1000
बालमी, मध्य प्रदेश		5.0086	41	3672	—	864
आई एम टी आई राजस्थान		2.7847	76	2115	31	874
आई एम टी आई तमिलनाडु		6.3525	41	2226	779	2097
बालमतारी, आन्ध्र प्रदेश		2.5279	43	2135	—	—
बालमी, बिहार		4.3799	9	1140	—	—
बालमी, कर्नाटक		0.1492	10	360	177	439
सी डब्ल्यू आर डी एम केरल		0.9465	12	394	—	—
बालमी, उड़ीसा		3.9813	18	696	—	351
बालमी, उत्तर प्रदेश		0.3520	10	4008	—	916
महाराजा सायाजी उ० प्र०		0.5940	8	—	—	—
अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास		1.0988	9	—	—	—
महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय, राहूरी महाराष्ट्र		0.5792	35	—	—	—
प्रौद्योगिकी और कृषि इंजीनियरिंग विद्यालय		0.4695	13	—	—	—
बिहार इंजीनियरी कालेज		—	—	—	—	—
	43.0150	41.9607	516	24723	1758	7042

बालमी—जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान ।

आई०एम०टी० आई०—सिंचाई प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थान ।

बालमतारी—जल एवं भूमि प्रशिक्षण संस्थान ।

सी०डब्ल्यू०आर० डी० एम०—जल संसाधन विकास केन्द्र ।

तमिलनाडु में अर्द्धसैनिक बल तैनात करना

2179. **श्री सी० श्रीनिवासन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में आतंकवादियों की बढ़ती गतिविधियों को रोकने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार की सहायता हेतु और अधिक अर्द्धसैनिक बलों को तैनात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा की गई अर्ध-सैनिक बलों की मांग पर सरकार विचार करती है तथा संबंधित राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा बलों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बलों को तैनात करती है।

कोसी नदी पर तटबंध के लिये केन्द्रीय सहायता

2180. **श्री राम विलास पासवान :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का बिहार सरकार को कोसी नदी पर दरभंगा से फुहिया तक तटबंध योजना को पूरा करने के लिए कोई वित्तीय आबंटन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) कमलानदी पर दारजिया से फुहिया तक एक तटबन्ध स्कीम है, न कि कोसी नदी पर। किसी विशेष स्कीम के लिए राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और मऊ जिलों में डाक और तारघर खोलना

[हिन्दी]

2181. **श्री राम भवन :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ जिलों में 1991-92 और 1992-93 के दौरान कितने डाक और तारघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां डाक और तारघर खोले जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) **डाकघर :** आजमगढ़ और मऊ जिले के लिए अलग से कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। इस समय, आजमगढ़ और मऊ जिले के निम्नलिखित स्थानों पर डाकघर खोलने के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

जिला आजमगढ़ : 1. ओगहनी 2. कल्याणपुर (बिलारी) 3. पकड़पुर 4. कुसलगांव 5. तमौली 6. सुतरालसिल भापतपुर 7. कुरतिया, 8. परसरामपुर ।

जिला मऊ : 1. बैरीडीह, 2. सरसेना ।

दूरसंचार : आजमगढ़ और मऊ जिले मे तार-घर खोलने के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। फिर भी, जब और जहां मांग की जायेगी, तार सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनाई जाएगी ।

देश में नक्सलवाद

[अनुवाद]

2182. **प्रो० राम कापसे :**
प्रो० रासा सिंह रावत :
श्री मुकुल वासनिक :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों में नक्सलवादियों द्वारा कितने लोगों की हत्या की गई/अपहरण किया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने नक्सलवादी मारे/गिरफ्तार किये गये ; और

(ग) देश में नक्सलवाद की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) सरकार की नीति है कि देश में उग्रवादी तत्वों के साथ कड़ाई से निपटने के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास किया जाए ताकि स्थानीय लोगों की वास्तविक शिकायतों को दूर किया जा सके और इस प्रकार से उन लोगों को उग्रवादियों के प्रभाव से दूर रखा जाए। प्रभावित राज्यों को इस संबंध में सभी प्रकार की संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ।

मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

[हिन्दी]

2183. **कुमारी विमला वर्मा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मध्य प्रदेश के सभी जिलों और तहसील मुख्यालयों में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में उन जिलों और तहसीलों के नाम क्या हैं जहां यह योजना लागू की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) सभी जिलों तथा तहसील मुख्यालयों में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, इस समय मध्य प्रदेश में 45 में 23 जिला मुख्यालयों तथा 216 में से 106 तहसील मुख्यालयों (जिला मुख्यालयों को छोड़कर) इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं। 129 इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की सम्पूर्ण सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

जिला/तहसील मुख्यालयों में मौजूदा इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की सूची

क्रम सं०	जिले का नाम	तहसील
1.	बालाघाट	बालाघाट
2.	—वही—	लांजी
3.	—वही—	बेहर
4.	—वही—	काटंगी
5.	—वही—	जगदलपुर
6.	—वही—	चर्मा
7.	—वही—	भानटरताप
8.	—वही—	दातेवाड़ा
9.	—वही—	नारायणपुर
10.	—वही—	बिजापुर
11.	बेतल	बेतल
12.	—वही—	शाहिपुर
13.	—वही—	भेसदही
14.	भिण्ड	भिण्ड
15.	—वही—	मिहोना
16.	बिलासपुर	तखतपुर
17.	—वही—	लोर्मी
18.	—वही—	पण्डारिया
19.	—वही—	जंजगिर
20.	—वही—	दमारा
21.	—वही—	कटघोहा
22.	—वही—	बिल्हा
23.	भोपाल	भोपाल
24.	—वही—	बेरासिया
25.	छतरपुर	छतरपुर
26.	—वही—	बिजावर
27.	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा

क्रम सं०	जिले का नाम	तहसील
28.	छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा
29.	धार	धार
30.	देवास	टोंकखुर्द
31.	दतिया	दतिया
32.	—वही—	सिमोंढा
33.	ग्वालियर	भण्डर
34.	—वही—	घितारवाड़ा
35.	गुना	राघोगढ़
36.	—वही—	चचोड़ा
37.	—वही—	गुना
38.	—वही—	चन्देरी
39.	—वही—	आरोन
40.	—वही—	इसागढ़
41.	—वही—	मुंगोली
42.	—वही—	कुम्भराज
43.	होशंगाबाद	होशंगाबाद
44.	—वही—	बबई
45.	—वही—	खिरकिया
46.	—वही—	बखेड़ी
47.	इंदौर	इंदौर
48.	—वही—	सावर
49.	जबलपुर	जबलपुर
50.	झाबुआ	झाबुआ
51.	—वही—	थाण्डला
52.	खंडवा	मेघनगर
53.	—वही—	हरसद
54.	—वही—	पठाना
55.	खरगोन	खरगोन
56.	—वही—	जिरजिया
57.	—वही—	राजपुरा
58.	—वही—	पलेमल
59.	—वही—	ठिकरी
60.	—वही—	कसरावाड़
61.	मंदसौर	गरोठ
62.	—वही—	मनासा
63.	—वही—	जावड
64.	मुरेना	विजयपुर

क्रम सं०	जिले का नाम	तहसील
65.	माण्डला	माण्डला
66.	—वही—	नैनपुर
67.	—वही—	निवास
68.	—वही—	शाहपुरा
69.	नरसिंहपुर	करेली
70.	पन्ना	पवई
71.	—वही—	अजयगढ़
72.	रीवा	हुजर
73.	—वही—	सियोंघर
74.	रामगढ़	खरसिया
75.	—वही—	घरगोडा
76.	—वही—	धरमजयगढ़
77.	—वही—	कांकरी
78.	रायसिंह	रायसिंह
79.	—वही—	गैरतगंज
80.	—वही—	सिल्वानी
81.	रायसेन	उदयपुर
82.	रतलाम	बजना
83.	राजगढ़	राजगढ़
84.	—वही—	जीरापुर
85.	—वही—	नरसिंहपुर
86.	रायपुर	रायपुर
87.	—वही—	सरपली
88.	—वही—	नागरी
89.	राजनन्दगांव	खरैयारह
90.	—वही—	डोंगरगढ़
91.	सागर	खरई
92.	—वही—	सेंहली
93.	शहडोल	कोटना
94.	—वही—	बियोहरी
95.	—वही—	जयसिंहनगर
96.	सिवनी	कियालारी
97.	—वही—	लखनाटाउन
98.	सुरगुजा	अम्बिकापुर
99.	—वही—	सरजपुर
100.	—वही—	बैकुंठपुर
101.	सिधी	गोपदबानस

क्रम सं०	जिले का नाम	तहसील
102.	सिंधी	चुरहट
103.	सिहोर	बुंदी
104.	—वही—	इच्छावर
105.	शिवपुरी	शिवपुरी
106.	—वही—	कोलारास
107.	—वही—	नरवाड
108.	—वही—	पिछोर
109.	—वही—	पोहरी
110.	सतना	मैहर
111.	—वही—	अमरपाटन
112.	—वही—	नागौड़
113.	शाजापुर	शाजापुर
114.	—वही—	शुजलपुर
115.	—वही—	बरोड
116.	—वही—	बरोड
117.	—वही—	कालपीपल
118.	टीकमगढ़	पृथ्वीपुर
119.	—वही—	टीकमगढ़
120.	—वही—	जतारा
121.	—वही—	बालदेवगढ़
122.	उज्जैन	बारनगर
123.	—वही—	घाटिया
124.	विदिशा	बसोडा
125.	—वही—	कूरवई
126.	—वही—	लटेरी
127.	बिलासपुर	कोंटा (कर्गी आरडी)
128.	दमोह	पथरिया
129.	—वही—	हटटा

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

[अनुवाद]

2184. श्री आर० जीवरत्नम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितने-कितने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का पेंशन बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता देने के लिए गैर-सरकारी/सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को अनुदेश जारी किये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इनके लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित रखे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) 31 जुलाई, 1991 की स्थिति के अनुसार 1,59,173 व्यक्तियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति की गई है। राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) से (च) सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता देने अथवा उनके लिए रोजगार में आरक्षण प्रदान करने के लिए प्राइवेट/सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को कोई भी अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	स्वीकृत मामलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	10,176
2.	असम	4,319
3.	बिहार	24,207
4.	गुजरात	3,521
5.	गोवा	876
6.	हरियाणा	1,540
7.	हिमाचल प्रदेश	494
8.	जम्मू और कश्मीर	1,762
9.	कर्नाटक	9,773
10.	केरल	2,757
11.	मध्य प्रदेश	3,281
12.	महाराष्ट्र	16,254
13.	मणिपुर	62
14.	मेघालय	86
15.	मिजोरम	4
16.	नागालैंड	3
17.	उड़ीसा	4,129
18.	पंजाब	6,728
19.	राजस्थान	757

क्रम सं०	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	स्वीकृत मामलों की संख्या
20.	तामिलनाडु	3,986
21.	त्रिपुरा	880
22.	उत्तर प्रदेश	17,742
23.	पश्चिम बंगाल	21,915
24.	आजाद हिन्द फौज	21,529
	संघ शासित क्षेत्र	
1.	चंडीगढ़	86
2.	दिल्ली	1,999
3.	पांडिचेरी	307
	कुल	1,59,173

फसल बीमा के दावे

2185. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल बीमा दावों को निपटने में विलम्ब होता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सामान्यतया, दावों के निपटान में कोई विलम्ब नहीं किया जाता है। तथापि, जब उत्पादन आंकड़ों की प्राप्ति में विलम्ब हो जाता है, दावों में विसंगति देखी जाती है अथवा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को शेयर समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते तब कभी-कभी दावों का समय पर भुगतान सम्भव नहीं होता।

पाक अधिकृत कश्मीर में नागरिक स्वतन्त्रता का हनन

2186. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान जम्मू व कश्मीर के अधिकृत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की नागरिक स्वतन्त्रता का हनन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जम्मू और कश्मीर के जिन क्षेत्रों में पाकिस्तान का गैर-कानूनी कब्जा है, वहां बताते हैं कि लोगों में व्यापक असंतोष व्याप्त है क्योंकि ये लोग अपने लोकतांत्रिक और राजनीतिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से इलाकों में प्रतिनिधि सभाएं ही नहीं हैं, जहां हैं भी वहां इनके चुनाव अनियमित रूप से होते हैं और इनमें बड़ी जबर्दस्त धांधली की जाती है।

(ख) इन क्षेत्रों में पाकिस्तान की कोई कानूनी स्थिति नहीं है। ये इलाके गैर-कानूनी तौर पर उसके कब्जे में हैं।

(ग) सरकार शिमला समझौते से प्रतिबद्ध है जिसके अन्तर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच के सभी मतभेदों को शांतिपूर्वक और सहयोग से तय किया जाना है।

बीहड़ विकास कार्यक्रम

[हिन्दी]

2187. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और बिहार को बीहड़ विकास कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1991-92 के लिए बीहड़ सुधार कार्यक्रम के लिए योजना आयोग द्वारा किसी योजना परिव्यय का अनुमोदन नहीं किया गया है।

सूरत (गुजरात) में टेलीफोन कनेक्शन

2188. **श्री छोटूभाई गामित :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 से आज तक सूरत (गुजरात) में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में श्रेणी-वार कितने व्यक्तियों के नाम हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार और श्रेणी-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन जारी किये गये;

(ग) प्रतीक्षा सूची के सारे कनेक्शन दे दिए जाने की संभावना है; और

(घ) टेलीफोन प्रयोक्ताओं को शीघ्रातिशीघ्र कनेक्शन देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) सूरत (गुजरात) में वर्ष 1988 से प्रतीक्षा सूची में दर्ज उन व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें अभी तक टेलीफोन प्रदान नहीं किया गया है, निम्नानुसार है :—

श्रेणी	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या
ओ० वाई० टी०	459
विशेष	537
सामान्य	3,649
कुल	4,645

(ख) जारी किए गए कनेक्शनों का विवरण इस प्रकार है :—

अवधि	ओ०वाई०टी०	विशेष	सामान्य	कुल
1-1-88 से 31-12-88	690	344	690	1,724
1-1-89 से 31-12-89	2,660	1,331	2,660	6,651
1-1-90 से 31-12-90	200	136	200	536
1-1-91 से 1-7-91	370	185	370	925

(ग) और (घ) आठवीं योजना अवधि के दौरान प्रतीक्षा सूची को क्रमिक रूप से निपटाने के लिए विस्तार योजनाएं तैयार की गई हैं ।

वर्ष 1991-92 के दौरान सूरत में निम्नलिखित संस्थापना/विस्तार कार्य करने की योजना है:—

1.	सूरत महिधरपुर	ई—10 बी	मुख्य 10,000 लाइनें
2.	सूरत टेक्सटाइल मार्केट	ई—10 बी	विस्तार 10,000 लाइनें
3.	सूरत	ई—10 बी	आर० एल० यू० मुख्य 1,000 लाइनें

शासकीय कार्य में हिन्दी का प्रयोग

2189. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संवैधानिक निर्देशों के अनुसार सरकार के शासकीय कार्य में हिन्दी को उचित वर्जा देने के लिए क्या कदम उठाए गए;

(ख) इस समय केन्द्र सरकार के शासकीय कार्य में अंग्रेजी और हिन्दी के प्रयोग की प्रतिशतता क्या है;

(ग) राजभाषा के दृष्टिकोण से "क", "ख" और "ग" श्रेणी के राज्यों में हिन्दी के प्रयोग के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उन लक्ष्यों की कहां तक प्राप्ति हुई है; और

(घ) सरकार का प्रतिदिन के शासकीय कार्य में हिन्दी को कब तक उचित वर्जा देने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) गत 3 वर्षों, अर्थात् 1988-89, 1989-90 और 1990-91 में संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर हिन्दी के प्रयोग हेतु तथा इसके प्रसार एवं विकास के निमित चलाए जा रहे विभिन्न कार्यों/कार्यक्रमों के लिए उच्चतर लक्ष्य रखे गए। इन कार्यों में पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग, देवनागरी टाइपराइटरों, जिसमें इलैक्ट्रानिक उपकरण भी शामिल हैं, का प्रावधान, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/अन्य कार्यालयों में हिन्दी टाइपिस्टों और आशुलिपिकों के अनुपात का निर्धारण, भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी का वैकल्पिक माध्यम के रूप में प्रयोग, प्रशिक्षण केन्द्रों में हिन्दी के माध्यम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था, पत्राचार सामग्री, जिसमें फिल्में भी शामिल हैं, का तैयार किया जाना, विभिन्न विषयों से सम्बन्धित हिन्दी पुस्तकों की खरीद आदि शामिल हैं। हिन्दी शिक्षण योजना का उत्तरोत्तर विस्तार किया गया तथा हिन्दी प्रशिक्षण का गहन कार्यक्रम भी शुरू किया गया। हिन्दी में अनुवाद से संबंधित कार्य तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में अनुवाद कार्य पर लगे कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का कार्य जारी रहा। यांत्रिक/तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता और उन पर हिन्दी के अधिक प्रयोग को बढ़ाने से सम्बन्धित कार्यक्रम जारी रहा। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई जारी है। गत 3 वर्षों में उपर्युक्त योजनाओं के लिए योजना/बजट सम्बन्धी प्रावधान बढ़ाए गए।

(ख) वर्ष 1990-91 में संघ सरकार के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग का प्रतिशत निम्न प्रकार रहा;

मंत्रालय/विभाग

(i) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का कार्यान्वयन 98.90%

(ii) हिन्दी में पत्राचार 99.52%

(हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर देने से संबंधित)

(iii) हिन्दी में कुल पत्राचार 38.69%

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पत्राचार के लिए वर्ष 1990-91 में दर्शाए गए विवरण के अनुसार लक्ष्य निर्धारित थे। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की नीति है कि संघ सरकार के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन, प्रेरणा और सद्भाव के जरिए बढ़ाया जाए, इसलिए संघ के प्रतिदिन के सरकारी कामकाज में हिन्दी का अपेक्षित प्रयोग सुनिश्चित करने में समय लगेगा।

विवरण

"क" क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिये वर्ष 1990-91 के लिये लक्ष्य—

(क) क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों से "क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र आदि .... 90 प्रतिशत (जिन्होंने यह लक्ष्य पूरा कर लिया है वे शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करें)।

(ख) "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि से "क" और "ख" क्षेत्रों के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रादि। ..... 100 प्रतिशत

(ग) "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रादि। ..... 20 प्रतिशत

(अधिसूचित कार्यालयों को छोड़कर, बाकी को अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाए)
नियम 4 (घ)

(घ) "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से "क" या "ख" क्षेत्र में स्थित किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों, उसके कार्यालयों या किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि। 100 प्रतिशत

(यदि अपवाद स्वरूप कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद साथ में भेजा जाए) —नियम 3 (1), 3 (2)

(ङ) हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रादि के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिए जाएं।
—नियम–5

(च) हिन्दी में लिखे या हस्ताक्षर किए गए सभी आवेदनों, अपीलों या अभ्यावेदनों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिए जाएं। —नियम–7(2)

रक्षा मंत्रालय की यूनिटों के लिए

(क) तीनों सेना मुख्यालयों से रक्षा मंत्रालय व दूसरे मंत्रालयों के साथ पत्राचार।
—60 प्रतिशत

(ख) थल सेना मुख्यालय तथा थल सेना के कमाण्ड कार्यालयों के बीच व थल सेना के अन्य सभी यूनिटों तथा कमाण्ड कार्यालयों के समस्त पत्राचार का –35 प्रतिशत

(ग) नौ सेना तथा वायु सेना के मुख्यालयों और कमाण्ड कार्यालयों के बीच आपसी पत्राचार तथा इन्हीं सेनाओं के अन्य सभी यूनिटों तथा कमाण्ड कार्यालयों से समस्त पत्राचार का –30 प्रतिशत

(घ) उपर्युक्त लक्ष्य तीनों सेनाओं के उन कार्यालयों को लागू होंगे जिनमें मुख्यतः सेना अधिकारी तथा अन्य "अदर रैंक" कार्यरत होते हैं।

(ङ) अन्य पत्र व्यवहार और कार्यक्रम की अन्य मदों के लक्ष्य वही होंगे जो इस कार्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं।

"ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए वर्ष 1990-91 के लिए लक्ष्य––

(क) "ख" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से "क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रादि –60 प्रतिशत

(ख) "ख" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रादि –20 प्रतिशत

(अधिसूचित कार्यालयों को छोड़कर बाकी को हिन्दी पत्र के साथ अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाए)

(ग) "ख" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से "क" या "ख" क्षेत्रों में स्थित किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालयों अथवा व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्रादि
–100 प्रतिशत

(घ) हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रादि के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिए जाएं। —नियम 5

(ङ) हिन्दी में लिखे या हस्ताक्षर किए गए सभी आवेदनों, अपीलों या अभिवेदनों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिए जाएं। —नियम 7(2)

रक्षा मंत्रालय की यूनिटों के लिये :

(क) तीनों सेना मुख्यालयों से रक्षा मंत्रालय व दूसरे मंत्रालयों के साथ पत्राचार —60 प्रतिशत

(ख) थल सेना मुख्यालय तथा थल सेना के कमाण्ड कार्यालयों के बीच व थल सेना के अन्य सभी यूनिटों तथा कमाण्ड कार्यालयों के समस्त पत्राचार का —35 प्रतिशत

(ग) नौ सेना तथा वायु सेना के मुख्यालयों और कमाण्ड कार्यालयों के बीच आपसी पत्राचार तथा इन्हीं सेनाओं के अन्य सभी यूनिटों तथा कमाण्ड कार्यालयों के समस्त पत्राचार का —30 प्रतिशत

(घ) उपरोक्त लक्ष्य तीनों सेनाओं के उन कार्यालयों को लागू होंगे जिनमें मुख्यतः सेना अधिकारी तथा अन्य "अदर रैंक" कार्यरत होते हैं।

(ङ) अन्य पत्र व्यवहार तथा कार्यक्रम की अन्य मदों के लक्ष्य वही होंगे जो इस कार्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं।

"ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए वर्ष 1990-91 के लिए लक्ष्य :

(क) "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रादि —20 प्रतिशत

(ख) "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों तथा व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्रादि —60 प्रतिशत

(ग) "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रादि —20 प्रतिशत

(घ) हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रादि के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिए जाएं। —नियम 5

(ङ) हिन्दी में लिखे या हस्ताक्षर किए गए सभी आवेदनों, अपीलों या अभिवेदनों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिए जाएं। —नियम 7 (2)

रक्षा मंत्रालय की यूनिटों के लिए :

(क) तीनों मुख्यालयों से रक्षा मंत्रालय व दूसरे मंत्रालयों के साथ पत्राचार —60 प्रतिशत

(ख) थल सेना मुख्यालय तथा थल सेना के कमाण्ड कार्यालयों के बीच व थल सेना के अन्य सभी यूनिटों तथा कमाण्ड कार्यालयों के समस्त पत्राचार का —35 प्रतिशत

(ग) नौ सेना तथा वायु सेना के मुख्यालयों और कमाण्ड कार्यालयों के बीच आपसी पत्राचार तथा इन्हीं सेनाओं के अन्य सभी यूनिटों तथा कमाण्ड कार्यालयों के समस्त पत्राचार का —30 प्रतिशत

(घ) उपरोक्त लक्ष्य तीनों सेनाओं के उन कार्यालयों को लागू होंगे जिनमें मुख्यतः सेना अधिकारी तथा अन्य "अदर रैंक" कार्यरत होते हैं।

(ङ) अन्य पत्र व्यवहार तथा कार्यक्रम की अन्य मदों के लक्ष्य वही होंगे जो इस कार्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं।

राजघाट बांध परियोजना का निर्माण

2190. **श्री विश्वनाथ शर्मा :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राज्यीय राजघाट बांध परियोजना के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना की स्थापना में हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप हुई लागत-वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मिट्टी बांध और चिनाई बांध पर क्रमशः लगभग 92% और 80% कार्य पूरा हो गया है। अन्य विविध कार्य लगभग 68% पूरे हो गए हैं।

(ख) परियोजना पर मूलतः 123.22 करोड़ रुपए (1979 के मूल्य सूचकांक पर) की लागत आने का अनुमान था। वर्ष 1987 में संशोधित अनुमानित लागत 213.66 करोड़ रुपए है। लागत में वृद्धि मुख्यतः निर्माण अवधि के दौरान मूल्यों में वृद्धि होने के कारण हुई है। परियोजना को पूरा करने में देरी मुख्यतः निधियों की कमी के कारण हुई है।

(ग) बांध को जून, 1993 में पूरा करने का कार्यक्रम है।

जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट द्वारा ब्रिटेन में भारत के विरुद्ध प्रचार अभियान

[अनुवाद]

2191. **श्री मुकुल वासनिक :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू एण्ड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कार्यकर्त्ता ब्रिटेन में भारत के विरुद्ध प्रचार अभियान चला रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ ब्रिटिश सांसद इनके आन्दोलन की वकालत कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार क्या उपाय कर रही है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) समय-समय पर ये लोग प्रदर्शन करते रहे हैं और परचे बांट कर कश्मीरियों पर "भारत के कथित अत्याचारों" की निन्दा करते रहे हैं और जम्मू तथा कश्मीर को एक स्वतन्त्र राज्य बनाने की मांग करते रहे हैं।

(ग) ब्रिटेन के कुछ संसद सदस्यों ने इस आशय के वक्तव्य दिए हैं कि कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों के अधीन जनमत-संग्रह कराया जाना चाहिए।

(घ) लंदन स्थित हमारा हाई कमीशन ब्रिटेन की सभी पार्टियों के संसद सदस्यों से बराबर और निकट संपर्क रखता है और वहां के समाचार माध्यमों तथा महत्वपूर्ण मत निर्माताओं से भी, ताकि उन्हें अपना दृष्टिकोण समझाया जा सके। ब्रिटेन के कुछ महत्वपूर्ण संसद-सदस्यों को भारत आने का निमंत्रण भी दिया गया है।

हमारे देश में विदेशी नागरिक

2192. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने विदेशी नागरिक समुचित दस्तावेजों के बिना रह रहे हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जेकब) : (क) यह सूचित किया गया है कि कुछ विदेशी नागरिक, जो अधिकतर पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिक हैं, निर्धारित समय से अधिक समय तक/उचित दस्तावेजों के बगैर भारत में ठहर रहे हैं।

(ख) जब कभी भी किसी विदेशी नागरिक के निर्धारित समय से अधिक समय तक भारत में ठहरने/उचित दस्तावेजों के बिना ठहरने का पता लगता है तो राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विदेशी नागरिक अधिनियम के अधीन या तो उन पर मुकदमा चलाया जाता है या उन्हें वापस भेजा जाता है।

उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद और आगरा में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

[हिन्दी]

2193. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद और आगरा में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने लोग हैं;

(ख) इन आवेदनकर्त्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिए जाने की संभावना है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान फिरोजाबाद और आगरा में कितने सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय स्थापित किए गए हैं?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) 1-7-1991 की स्थिति के अनुसार फिरोजाबाद तथा आगरा में प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या क्रमशः 1800 तथा 9498 है।

(ख) 8वीं योजना अवधि के दौरान प्रतीक्षा-सूची को उत्तरोत्तर निपटाए जाने के लिए विस्तार योजना तैयार कर ली गई है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान फिरोज़ाबाद में एक तथा आगरा में 90 सार्वजनिक टेलीफोनों की संस्थापना की गई है।

फरक्का बांध परियोजना

[अनुवाद]

2194. **डा० सुधीर राय** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार का विचार फरक्का बांध परियोजना का क्रमबद्ध किनारा संरक्षक कार्य नदी के बहने तथा धारा-प्रतिकूल दोनों दिशाओं में करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा समय-समय पर दी गई सलाह के अनुसार, फरक्का बराज के प्रतिप्रवाह तथा अनुप्रवाह दोनों सुभेद्य पहुंचों में तथा जांगीपुर बराज पर तट सुरक्षा कार्यों पर उतना ध्यान दिया गया है जितना कि फरक्का बराज परियोजना की संरचनाओं की सुरक्षा और निर्बाध प्रचालन के लिए अपेक्षित है। सामान्यतः फरक्का बराज के बायें गाइड बन्ध से गंगा नदी के प्रतिप्रवाह पर बायें तट पर स्पर सं० 7 तक, फरक्का बराज के अनुप्रवाह पर गंगा नदी के दायें तट पर 6 कि०मी० पहुंच में सुरक्षा कार्य तथा जांगीपुर बराज पर लगभग 16 कि०मी० पहुंच में गंगा के दायें तट के सुरक्षा कार्य इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

तम्बाकू के अपशिष्ट को प्रभावकारी कीटनाशक के रूप में प्रयोग में लाना

2195. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजमुंद्री ने तम्बाकू के अपशिष्ट को कीड़ों को मारने के लिए प्रभावकारी पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस निकोटिन पर आधारित कीटनाशक को वाणिज्यिक दृष्टि से तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) कोमल शरीर वाले कीटों जैसे माहू, सफेद मक्खी, पत्ती वाले फुदके के विरुद्ध तम्बाकू की छीजन से तैयार किये गये निकोटिन पर आधारित कीटनाशी रसायनों की सक्षमता दर्शायी गयी है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान ने तम्बाकू की छीजन का उपयोग करके कीटनाशी के रूप में निकोटिन सल्फेट के प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) की एक प्रौद्योगिकी विकसित की है। इस प्रविधि की व्यावसायिक स्तर पर व्यावहारिकता की जांच के लिए एक पायलट प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है।

कावेरी नदी के लिये संयुक्त तट प्राधिकरण

2196. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कावेरी नदी के लिए एक संयुक्त तट प्राधिकरण की स्थापना करने का है ताकि तटवर्ती राज्य कावेरी के जल का सर्वोत्तम उपयोग करने संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में टेलीफोन कनेक्शन

2197. **श्री धर्मण्णा सोंडय्या सादुल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में श्रेणी-वार कितने आवेदनकर्ता हैं; और

(ख) सरकार द्वारा प्रतीक्षा सूची में सभी को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) शोलापुर जिले में 30-6-91 की स्थिति के अनुसार श्रेणी-वार प्रतीक्षा सूची इस प्रकार है :—

ओवाईटी	752
गैर-ओवाईटी (विशेष)	640
गैर-ओवाईटी (सामान्य)	5731
कुल	7123

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान प्रतीक्षा सूची के उत्तरोत्तर निपटाने के लिए विस्तार की योजनाएं बनाई गई हैं। शोलापुर के वर्तमान इलेक्ट्रोमकेनिकल एक्सचेंज में 1991-92 के दौरान 1200 लाइनों का विस्तार करने की योजना बनाई गई है ।

सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना

2198. **श्री राम सिंह राव** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर परियोजना के पूरा किए गए निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना पर पूरा किए गए कार्य का विवरण निम्न है :—

मद	इकाई	कुल मात्रा	जून, 1990 तक पूर्ण की गई मात्रा
1. भूमि कार्य .	लाख क्यूबिक मीटर	440.75	428.82
2. पक्का करना .	लाख वर्ग मीटर	53.22	50.65
3. बड़े क्रास जल निकास कार्य .	संख्या	11	10
4. मध्यम क्रास जल निकास कार्य.	संख्या	41	37
5. गांव सड़क पुल .	संख्या	58	50
6. राष्ट्रीय राज-मार्ग पुल	संख्या	5	5
7. राज्य सड़क पुल .	संख्या	10	6
8. रेलवे पुल . .	संख्या	3	1

(शेष 2 पुलों में केवल रेलपथों को जोड़ा जाना है)

जुलाई, 1988 में शेष संरचनाओं का कार्य तथा साथ ही 67 किलोमीटर से 81 किलोमीटर पहुंच पर जो कार्य 1988 की बाढ़ों के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था वह कार्य और 2.54 कि०मी० से 3 कि०मी० पहुंच, जहां पर पुन: विभाजन किया जाना था, पर मुख्य इंजीनियर और अधीक्षण इंजीनियर की हत्या के कारण कार्य रोकना पड़ा था, वह कार्य भी प्रगति पर था।

(ख) पंजाब सरकार से शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु उपयुक्त अभिकरण/अभिकरणों को लगाने की सलाह दी गई है। कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्धारित समय उन नए अभिकरण/अभिकरणों के स्वरूप और क्षमता पर निर्भर करेगा, जिनको पंजाब सरकार द्वारा लगाया जाएगा।

केरल में क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय में लम्बित आवेदन पत्र

2199. **श्री रमेश चेन्निथला :**
श्री वी० एस० विजयराघवन :
श्री पी० सी० थामस :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालयों में, कार्यालय-वार, कुल कितने पारपत्र आवेदन-पत्र लंबित पड़े हैं;

(ख) इनके लंबित पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन्हें शीघ्र निपटाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या कोचीन क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय में स्टाफ की कमी है;

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या उपाय किये हैं;

(च) क्या केरल में कोई नया पारपत्र कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) केरल स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में 26-7-1991 को विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या नीचे दी गई है :—

कोजीकोड	: 38071
कोचीन	: 50181

(ख) इन पर फैसला न हो पाने के कारण संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) यह सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है ।

(घ) और (ङ) इस संबंध में सरकार ने जो उपाय किए हैं, वे संलग्न विवरण-III में निर्दिष्ट हैं ।

(च) और (छ) केरल के पत्तनतित्थ, क्विलौन और त्रिवेन्द्रम जिलों के पासपोर्ट आवेदकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पासपोर्ट सम्पर्क कार्यालय, त्रिवेन्द्रम के दर्जे को बढ़ा कर पासपोर्ट कार्यालय कर देने का प्रस्ताव मिला है ।

विवरण-I

इन पर फैसला न हो पाने के कारण नीचे दिए गए हैं :—

(1) पुलिस और सी० आई० डी० की रिपोर्टें देर से प्राप्ति;

(2) आवेदनों की संख्या में भारी वृद्धि;

(3) नियुक्ति पर रोक के कारण स्टाफ न बढ़ा पाना और वित्तीय दबाव के कारण कम्प्यूटरीकरण के काम की धीमी गति ।

विवरण-II

पासपोर्ट आवेदनों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं :

1. निम्नलिखित वर्गों के आवेदकों को पुलिस और सी०आई०डी० की अग्रिम रिपोर्ट की अपेक्षा से छूट दी गई है;

(क) सभी सरकारी कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी जो अपने आवेदनों के साथ सरकारी स्टेशनरी पर अपने विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें ।

(ख) यदि कोई आवेदक अपने आवेदन के साथ नीचे दिए गए किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर से सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे :

(i) भारत सरकार का उप सचिव और उससे उच्च पद का अधिकारी;

(ii) राज्य सरकार का संयुक्त सचिव और उससे उच्च पद का अधिकारी;

(iii) सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट और उससे उच्च पद का अधिकारी;

(iv) जिला पुलिस अधीक्षक और उससे उच्च पद का अधिकारी ।

(ग) सेवा-निवृत्त राजपत्रित सरकारी कर्मचारी ।

(घ) संघीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) तथा राज्य विधान मण्डलों (विधान सभाएं और विधान परिषद) के भूतपूर्व सदस्य ।

2. अन्य सभी मामलों में यदि क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी/पासपोर्ट अधिकारी आवेदक की सत्यता के बारे में अन्यथा सन्तुष्ट हैं तो पुलिस और सी०आई०डी० से 4 सप्ताह के भीतर आवेदक के व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र वापस न मिलने की अवस्था में पासपोर्ट जारी किया जा सकता है ।

3. पन्द्रह वर्ष से कम आयु के बच्चों को पुलिस सत्यापन के बिना पासपोर्ट जारी किया जा सकता है ।

4. सामान्य पासपोर्ट धारकों को उनके पासपोर्ट की वैधता के 10 वर्ष बीत जाने के बाद पुलिस/सी०आई०डी० के पूर्व-सत्यापन के बिना नए पासपोर्ट जारी किए जा सकते हैं ।

5. इसके अतिरिक्त, आवेदनों का अधिक तेजी से निपटान सुनिश्चिय करने की दृष्टि से जारी किए गए पासपोर्टों और विचारार्थ शेष आवेदनों को प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय से सम्बद्ध साप्ताहिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से निगाह रखी जाती है ।

6. 16 अगस्त, 1990 से नए पासपोर्ट शुरू में ही 10 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए जा रहे हैं ताकि पासपोर्ट धारक को पहले 5 वर्ष के बाद नवीकरण के लिए पासपोर्ट कार्यालय न आना पड़े जैसाकि अगस्त, 1990 से पूर्व किया जाता था ।

विवरण–III

(घ) जी हां, कोचीन पासपोर्ट कार्यालय में नियमित स्टाफ की कमी हैं ।

(ङ) चूंकि पदों के सृजन पर रोक है, कार्य की मात्रा के अनुरूप अतिरिक्त पदों के सृजन मंजूर नहीं कराए जा सके । चालू वित्तीय दबाव के रहते और नियमित स्टाफ लेना कठिन होगा । इस दौरान स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन को अनिर्णित मामलों को निपटाने के लिए नैमित्तिक कर्मचारी नियुक्त करने और स्टाफ को समयोपरि भत्ते जैसे प्रोत्साहन देने की अनुमति दी गई है ।

उत्तर प्रदेश में पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों में संचार सुविधायें

2200. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिले में डाक और दूरसंचार सुविधाओं में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में टेलीग्राम/टेलीफोन की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां ।

(ख) पौड़ी गढ़वाल जिले में 13 और चमौली जिले में 16 टेलीफोन एक्सचेंज हैं । 1990-91 के दौरान पौड़ी गढ़वाल में उक्त 13 में से 4 और चमौली जिले में उक्त 16 में से 5 टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला गया है । 1991-92 में पौड़ी गढ़वाल में 6 और चमौली जिले में 9 एक्सचेजों को इलेक्ट्रानिक एकसचेंजों में बदलने की योजना बनाई गई है । शेष एक्सचेंजों को आठवीं योजना की बाकी अवधि के दौरान बदले जाने की संभावना है ।

पौड़ी गढ़वाल और चमौली जिलों में क्रमश: 1214 और 632 ग्राम पंचायतें हैं। इन दोनों जिलों में तार सुविधा वाले लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों (एल०डी०पी०टी०) की संख्या क्रमश: 43 और 44 है। 1991-92 के दौरान पौड़ी गढ़वाल और चमौली जिलों के क्रमश: 163 और 80 लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन खोलने की योजना है। दोनों जिलों में एक-एक तारघर भी है।

सामूहिक खेती योजनायें

2201. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में सामूहिक खेती योजना के अन्तर्गत कौनसी फसलें उगाई जाती हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार केरल में चावल और सब्जियों की खेती का विकास करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) केरल में सामूहिक खेती योजना के अन्तर्गत चावल, नारियल, काली मिर्च और सब्जियां शामिल हैं।

(ख) और (ग) राज्य में चावल के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना "चावल विकास का समेकित कार्यक्रम" संबंधी और सब्जियों के लिए फलों और सब्जियों के उत्पादन संबंधी "केन्द्रीय क्षेत्र योजना" पहले से ही क्रियान्वित की जा रही है। 1991-92 के दौरान, चावल विकास के समेकित कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राज्य को केन्द्रीय शेयर के रूप में 115.00 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। फलों और सब्जियों के उत्पादन संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्लानिकाणा को प्रजनक और आधारी बीजों के उत्पादन के लिए 5.00 लाख रुपए तथा राज्य सरकार को बीज मिनिकिटों के वितरण के लिए 2.40 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं।

असम और केरल में बाढ़

2202. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**
श्री कोड्डीकुनील सुरेश :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर असम और केरल में जुलाई, 1991 के दौरान बाढ़ से हुए जान-माल और फसल के नुकसान का कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों को इस स्थिति से निपटने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) राहत व्यय के लिए धन की व्यवस्था करने की वर्तमान योजना, जो 1-4-1990 से शुरू की गई थी, के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए आपदा राहत निधि का गठन किया गया है जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्रीय अंशदान और 25 प्रतिशत राज्य का अंशदान शामिल है। आपदा राहत निधि

के अन्तर्गत सभी राज्यों के लिए वार्षिक आवंटन 804 करोड़ रुपए का है जिसमें केन्द्रीय सरकार का अंशदान 603 करोड़ रुपए का है। केन्द्रीय अंशदान राज्य सरकारों को चार समान तिमाही किश्तों में निर्मुक्त किया जाता है। प्रथम और दूसरी किश्त, जिसमें आपदा राहत निधि के केन्द्रीय शेयर का 50 प्रतिशत शामिल है, निर्मुक्त कर दी गई है। वर्ष 1991-92 के लिए आपदा राहत निधि के केन्द्रीय शेयर के रूप में अभी तक निर्मुक्त की गई धनराशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1991-92 के लिए आपदा राहत निधि के केन्द्रीय शेयर के रूप में राज्य सरकारों को निर्मुक्त की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य	धनराशि
1. आन्ध्र प्रदेश	2460.50
2. अरुणाचल प्रदेश	75.00
3. असम	1125.00
4. बिहार	1312.50
5. गोवा	37.50
6. गुजरात	3187.50
7. हरियाणा	637.50
8. हिमाचल प्रदेश	675.00
9. जम्मू व कश्मीर	450.00
10. कर्नाटक	1012.50
11. केरल	1162.50
12. मध्य प्रदेश	1387.50
13. महाराष्ट्र	1650.00
14. मणिपुर	37.50
15. मेघालय	75.00
16. मिजोरम	37.50
17. नागालैंड	37.50
18. उड़ीसा	1489.00
19. पंजाब	1050.00
20. राजस्थान	4650.00
21. सिक्किम	112.50
22. तमिल नाडु	1462.50
23. त्रिपुरा	112.50
24. उत्तर प्रदेश	3375.00
25. पश्चिम बंगाल	1500.00
कुल	29112.00

एल्यूमिनियम और इस्पात के मूल्य

2203. **श्री कड़िया मुण्डा :** क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा विशेषकर एल्यूमिनियम उद्योग के लिए एल्यूमिनियम और इस्पात के मूल्यों में कमी लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) एल्यूमिनियम की मूल्य और वितरण नीति पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है ।

लोहा और इस्पात सामग्री की प्रमुख श्रेणियों के मूल्य प्रमुख उत्पादकों की संयुक्त संयंत्र समिति (जे०पी०सी०) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं । उनके पास मूल्य कम करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

चम्पावत (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय शीतोष्ण जलवायु मत्स्य पालन अनुसंधान केन्द्र

[हिन्दी]

2204. **श्री जीवन शर्मा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में चम्पावत में राष्ट्रीय शीतोष्ण जलवायु मत्स्य पालन अनुसंधान केन्द्र के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह केन्द्र कब से कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) महोदय, नाले, नर्सरी के लिए तालाब और अंड जनन शाला की इमारत का निर्माण किया जा रहा है तथा तालाबों के लिए जल आपूर्ति प्रणाली के निर्माण का कार्य करीब-करीब पूरा हो चुका है ।

(ख) जैसे ही निर्माण कार्य पूरे हो जायेंगे ।

बिहार से स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन हेतु आवेदन पत्र

2205. **श्री सूर्य नारायण यादव :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान और वर्ष 1991 में अब तक बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों से पेंशन हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) कितने आवेदन पत्रों का निपटान किया गया है और कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(ग) लम्बित आवेदन पत्रों को कब तक निपटा दिये जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 1982 थी। इस तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को विलम्ब से प्राप्त हुए आवेदन पत्र माना जाता है। ऐसे आवेदन पत्रों पर तभी विचार किया जाता है, बशर्ते कि आवेदन पत्र के साथ सरकारी रिकार्ड होने का साक्ष्य और विलम्ब को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार संलग्न किए गए हों। वर्ष 1990 के दौरान तथा जुलाई, 1991 के अन्त तक 400 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए। विलम्ब से प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को निपटाने के बारे में अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। चूंकि राज्य सरकारों के माध्यम से आवेदन पत्रों के सत्यापन करने में समय लगता है, अतः आवेदन पत्रों के निपटारण के लिए किसी समय सीमा का बताना संभव नहीं है।

महाराष्ट्र में मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलना

2206. **श्री विलासराव गुन्डेवार** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की महाराष्ट्र में मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) 90-95 की अवधि के भीतर सभी मैन्युअल एक्सचेंजों को स्वचालित करने का प्रस्ताव है। तथापि अधिकतर एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला जाएगा।

(ग) 1-4-91 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में 207 मैन्युअल एक्सचेंज थे जिनमें से लगभग 50 को 91-92 के दौरान स्वचालित किया जाना है।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

2207. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में आज की तारीख तक श्रेणी-वार कितने व्यक्तियों के नाम हैं; और

(ख) इस प्रतीक्षा सूची के सभी लोगों को टेलीफोन कनेक्शन देने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : (क) दिल्ली में 1-7-1991 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में 318891 नाम दर्ज हैं। श्रेणी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) ओ० वाई० टी० . .	24,123
(2) विशेष स्कीम . .	5,676
(3) सामान्य . .	2,89,092
जोड़ . .	3,18,891

(ख) 31-3-91 की स्थिति के अनुसार लगभग 6 लाख लाइनों के एक्सचेंजों की सज्जित क्षमता का 31-3-95 तक लगभग 10 लाख लाइनों तक विस्तार करने की योजनाएं तैयार की गई हैं। इससे 1-7-1991 तक की प्रतीक्षा सूची को 31-3-95 तक पूरी तरह से निपटाए जाने की सम्भावना है।

कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान

[अनुवाद]

2208. **श्री उमारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश में कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में कृषि विश्वविद्यालयों को कितना अनुदान दिया गया; और

(ग) प्रत्येक विश्वविद्यालय को अनुदान की राशि निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश के राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को दिये गए अनुदान की राशि 209.24 करोड़ रुपए है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को मुख्यत: दो योजनाओं के तहत विकास संबंधी सहायता उपलब्ध कराती है। इन योजनाओं के नाम हैं—"कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और विकास" तथा "राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना"।

"कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और विकास" जिसका उद्देश्य शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए अन्त: संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना है, के लिए दी जाने वाली सहायता राशि प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की जानी वाली विकास संबंधी योजनाओं के आधार पर निर्धारित की जानी है।

"राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना" के अन्तर्गत दिये जाने वाले अनुदान की राशि समीक्षात्मक रिपोर्ट द्वारा मालूम किये गये संसाधनों और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर निश्चित की जाती है।

मछुआरों के बच्चों को शिक्षण सुविधायें

2209. **श्री जी० देवराय नायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में मछुआरों के बच्चों को शिक्षण सुविधा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के पास केवल मछुआरों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने के लिए कोई कार्यक्रम/योजना नहीं है। तथापि राज्य/संघ शासित क्षेत्र अन्य समुदाय के बच्चों के साथ-साथ मछुआरों के बच्चों की शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए स्कूल खोलते हैं।

कर्नाटक में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

2210. **श्रीमती वासव राजेश्वरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में अब तक कुल कितने इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान जिलावार ऐसे कुल कितने एक्सचेंजों की स्थापना का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) कर्नाटक में 31-7-1991 की स्थिति के अनुसार इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की कुल संख्या 384 है।

(ख) 1991-92 के दौरान 391 इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित करने का प्रस्ताव है :—

जिलावार ब्यौरा इस प्रकार है :—

1.	मांडिया	20
2.	तुमकुर	19
3.	कोलार	19
4.	देवनगिरी	13
5.	हासन	20
6.	बेल्लारी	13
7.	रायचूर	17
8.	बीजापुर	19
9.	गुलबर्गा	27
10.	कारवाड़ (यू०के०)	23
11.	कोडागू	32
12.	चिकमगलूर	34
13.	शिमोगा	21
14.	मैसूर	24
15.	मंगेलूर (डी०के०)	41
16.	धारवाड़	18
17.	बेलगांव	20
18.	बेंगलूर	11
	योग	391

फसल बीमा योजना

[हिन्दी]

2212. **श्री फूल चन्द वर्मा :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऋण न लेने वाले किसानों को भी व्यापक फसल बीमा योजना का लाभ देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को इस प्रकार लागू करने का है जिससे जिन किसानों की फसल का बीमा कराया गया है उन्हें उनके कुल वास्तविक नुकसान का मुआवजा मिल सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस व्यापक फसल बीमा योजना को अभी तक किन राज्यों में लागू किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) ऋण न लेने वाले किसानों के लिए व्यापक फसल बीमा योजना में विस्तार करने अथवा इसे इस ढंग से क्रियान्वित करने कि उसके तहत शामिल किसानों को उनके द्वारा उठाई गई वास्तविक कुल हानि के लिए क्षतिपूर्ति की जाए, के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) व्यापक फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति करने की प्रणाली फसल के उत्पादन की लागत पर आधारित है । अत: इसे ऋण से जोड़ दिया गया है । बीमित राशि फसल ऋण का 100 प्रतिशत है जो प्रति किसान 10,000 रुपए की सीमा के अध्याधीन है ।

(ङ) खरीफ, 1985 से अब तक 19 राज्यों ने अर्थात् असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दमन और दीव, पांण्डिचेरी और दिल्ली के संघ शासित क्षेत्रों में एक या एक से अधिक मौसम में फसल बीमा योजना लागू की गई है ।

आतंकवादियों का रिहा किया जाना

[अनुवाद]

2213. **श्री पी० सी० थामस** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष के दौरान पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा असम में आतंकवादियों द्वारा अपहृत किए गए व्यक्तियों को मुक्त कराने के बदले में राज्यवार और संगठन-वार कितने आतंकवादी रिहा किए गए ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० जैकब) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दूरदर्शन के महानिदेशक पर आतंकवादियों का प्राणघातक हमले का प्रयास

2214. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में दूरदर्शन महानिदेशक पर आतंकवादियों ने एक प्राणघातक हमला किया था जिसमें उन्हें चोट आई और उनकी कार का ड्राइवर मारा गया;

(ख) क्या अपराधियों को पकड़ लिया गया है; और

(ग) दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के दिल्ली तथा अन्य स्टेशनों पर दूरदर्शन और आकाशवाणी कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन से विशेष सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्। 13 जून, 1991 को लगभग 9.20 पूर्वाह्न को दिल्ली दूरदर्शन के महानिदेशक की जान लेने की कोशिश की गई, जिससे वे और उनके दो सुरक्षा कार्मिक जख्मी हो गए और उनका ड्राईवर मारा गया ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) दिल्ली में आकाशवाणी और दूरदर्शन के आठ अधिकारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की गई है और दिल्ली में आकाशवाणी और दूरदर्शन के 13 कार्यालयों/संस्थानों को सशस्त्र गार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। भारत सरकार ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वे दूरदर्शन और आकाशवाणी में कार्य कर रहे अधिकारियों के लिए उचित सुरक्षा उपाय करें। राज्य सरकार से यह अनुरोध भी किया गया है कि वे दूरदर्शन और आकाशवाणी के परिसरों/उपकरणों की सुरक्षा के लिए एहतियात बरतें ।

सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सहायता

2215. **श्री नुरुल इस्लाम :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कुल सिंचाई योग्य क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र कितना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों को वर्ष-वार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ग) क्या सरकार का इस उद्देश्य हेतु असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को और अधिक धन राशि देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भूमि उपयोग आंकड़ों (1987-88 अनन्तिम) के अनुसार, असम में कुल सिंचाई योग्य तथा सिंचित क्षेत्र क्रमशः 3229 हजार हेक्टेयर और 572 हजार हेक्टेयर है ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए योजना परिव्यय निम्नवत है :—

(करोड़ रुपए में)

1988-89	3659.88
1989-90	3657.87
1990-91	3876.06

(ग) और (घ) योजना आबंटनों का निर्णय राज्य सरकारों के साथ योजना आयोग में आयोजित वार्षिक योजना विचार-विमर्श के आधार पर किया जाता है। इस समय असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों को प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि की मात्रा ज्ञात नहीं है।

गुजरात में गेहूं और चावल का उत्पादन

[हिन्दी]

2216. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में गेहूं और चावल का उत्पादन हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में चावल और गेहूं का आकलित उत्पादन निम्नलिखित है :

(लाख मीटरी टन)

फसल	1988-89	1989-90	1990-91
चावल	8.66	8.17	7.91
गेहूं	15.12	11.02	13.72*

*अनंतिम रूप से आकलित।

गंगा बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड

2217. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) बोर्ड ने बिहार में आज तक क्या कार्य किया है; और

(ग) इस बोर्ड के सदस्यों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गंगा उप बेसिन राज्यों में बाढ़, कटाव और जल निकास समस्याओं से निपटने के लिए एकीकृत योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के वास्ते बोर्ड का गठन किया गया था।

(ख) बिहार में सभी नदी प्रणालियों के बाढ़ प्रबन्ध की विस्तृत योजनाएं तैयार कर ली गई हैं।

(ग) इस बोर्ड के अध्यक्ष केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्री हैं। सात गंगा बेसिन राज्यों के मुख्य मन्त्री, दिल्ली के उप राज्यपाल, वित्त, भूतल परिवहन, रेल और कृषि मंत्रालयों के केन्द्रीय मन्त्री और योजना आयोग के सदस्य इसके सदस्य हैं तथा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष इसके सदस्य सचिव हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा

2218. **श्री साईमन मरान्डी :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व प्रधान मन्त्री ने फरवरी, 1991 के दौरान नेपाल की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो द्विपक्षीय मामलों पर नेपाली नेताओं के साथ हुई उनकी वार्ता का क्या परिणाम रहा;

(ग) क्या उस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) भारत के प्रधान मन्त्री तथा नेपाली नेताओं के बीच विभिन्न द्विपक्षीय क्षेत्रीय तथा दोनों देशों के हितों से संबंध रखने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर बातचीत हुई थी। परस्पर लाभ-दायक द्विपक्षीय सहयोग को तेज करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपायों पर सहमति हुई थी। द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। जहां तक जल संसाधन का प्रश्न है, इस बात पर सहमति हुई कि कोसी, करनाली और पंचेश्वर की प्रमुख परियोजनाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया जाएगा और इसके उपरान्त अप्रैल, 1991 में भारत-नेपाल जल-संसाधन उपायोग इस प्रश्न की सर्वांग समीक्षा करेगा। भारत ने अपनी सहायता से चलाई जा रही परियोजना, अर्थात् काठमाण्डु के बीर हस्पताल में पलंगों की संख्या 300 से बढ़ाकर 500 करना स्वीकार किया। हमने नेपाल की इच्छा के अनुसार तीसरे देश के नागरिकों के लिए सीमा पर पारगमन के तीन और रास्ते खोलना स्वीकार किया। इन सभी निर्णयों पर अमल शुरू कर दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

फल बागानों का विकास

2219. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फल बागानों के विकास के लिए छोटे किसानों को क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार का धनी किसानों को फल बागानों की भूमि की अधिकतम सीमा में छूट देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) भारत सरकार समेकित बागवानी विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत फलों की पौद, उर्वरक और कीटनाशी दवा जैसे आदान सहाय्य दरों पर दिये जाते हैं। योजना का कार्यान्वयन करते समय राज्य सरकारों को विशेष तौर पर छोटे और सीमान्त किसानों की पहचान करने के लिए सलाह दी गई है। सहाय्य दरों पर आदानों की आपूर्ति करने के लिए राज्य सरकारों की अपनी योजनायें हैं जिनकी दर भिन्न-भिन्न राज्यों तथा भिन्न-भिन्न फसलों के लिए अलग-अलग है।

(ख) से (घ) भूमि राज्य का विषय है और भूमि जोतों की अधिकतम सीमा पर लागू होने वाले कानून राज्य के कानून हैं। भारत सरकार की भूमिका सलाहकार की तरह है। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा से सम्बन्धित कानून और भूमि सुधार के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में राज्यों को समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये जाते हैं। समृद्ध उत्पादकों के बगीचों की जोतों की अधिकतम सीमा में छूट देने के लिए इस समय कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अयोध्या में राम मन्दिर का निर्माण

2220. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व हिन्दू परिषद ने अयोध्या में श्रीराम मन्दिर के निर्माण पर कार्यवाही करने के लिए 18 नवम्बर, 1991 की समय सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) मामला न्यायाधीन है और मुद्दा प्राथमिक रूप से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से संबंधित है। इस बारे में केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

मास्को में दो भारतीय विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या

[अनुवाद]

2221. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो भारतीय विद्यार्थियों ने मास्को के एक होटल में तथाकथित रूप से आत्महत्या की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पूरा ब्यौरा प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) मास्को स्थित भारतीय राजदूतावास ने 8 जुलाई, 1991 को सरकार को यह सूचना दी थी कि बताया गया है कि श्री संजय शौडिल्य ने कुमारी शालिनि गोयल के साथ 6 जुलाई, 1991 को मास्को में उसके होस्टल में पांचवीं मंजिल पर स्थित उसके कमरे से कूदकर आत्म हत्या करने की कोशिश की थी। बाद में दुर्भाग्य से चोट के कारण इन दोनों की मृत्यु हो गई ।

(ख) मास्को स्थित भारतीय राजदूतावास संबद्ध सोवियत प्राधिकारियों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है ताकि इस बात का सुनिश्चय हो सके कि इस दुखद घटना के संबंध में उचित जांच पड़ताल हो रही है। सोवियत प्राधिकारियों ने इन मृतकों की विस्तृत शव परीक्षा की है। पुलिस-पड़ताल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

शांति, मैत्री और सहयोग संबंधी भारत-सोवियत संधि

2222. **श्री रवि राय** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1971 में की गई शांति, मैत्री और सहयोग सम्बन्धी भारत-सोवियत संधि, जो अगस्त, 1991 में समाप्त होने जा रही है, के नवीकरण पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) भारत-सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग संधि के अनुच्छेद 11 के अनुसार इस संधि की वैधता-अवधि अगले पांच वर्ष के लिए स्वयं बढ़ जाएगी ।

जल स्रोतों के संबंध में भारत-नेपाल वार्ता

[हिन्दी]

2223. **श्री नवल किशोर राय** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल स्रोतों के संबंध में भारत-नेपाल उप आयोग की अप्रैल, 1991 में दूसरी बैठक में हुई द्विपक्षीय वार्ता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आगामी बैठक कब तक होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पंचेश्वर और करनाली परियोजनाओं पर अध्ययन पूरे करने, सीमा पर नदी तटबंधों के विस्तार को संयुक्त रूप से अन्तिम रूप देने तथा नेपाल में बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों की शीघ्र स्थापना करने के लिए सहमति हुई थी ।

(ख) भारत और नेपाल की आपसी सुविधाजनक तारीख को अगली बैठक आयोजित की जाएगी ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के एकीकृत इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

2224. **श्री भाग्ये गोवर्धन :** क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के एकीकृत इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस पर विदेशी मुद्रा सहित कुल कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है;

(ग) क्या इनके आधुनिकीकरण के बाद देश इस्पात के मामले में आत्म-निर्भर हो जाएगा; और

(घ) आधुनिकीकरण का काम कब तक पूरा होने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क), (ख) और (घ) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) के चार एकीकृत इस्पात कारखानों की आधुनिकीकरण परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :—

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयनाधीन है। कार्य के कुछेक पैकेजों के सम्बन्ध में प्रगति निर्धारित समय-सूची के अनुसार नहीं हुई। फिर भी सम्पूर्ण परियोजना को समग्र रूप से पूरा करने की निर्धारित समय-सूची, मार्च, 1993 का पालन किया जाएगा। परियोजना के लिए स्वीकृत निश्चित लागत अनुमान 2667.6 करोड़ रुपये है जिसमें 685 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण को दो चरणों में किया जा रहा है—चरण-I जिसमें 9 स्वदेशी पैकेज हैं, को जलाई, 1993 तक पूरा कर लेने की संभावना है। चरण-II में 15 स्वदेशी तथा 5 अन्तर्राष्ट्रीय पैकेज हैं। 15 स्वदेशी पैकेजों में से 10 पैकेजों से संबंधित आर्डरों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों के लिए बोलियों की जांच की जा रही है। चरण-II के पूरा होने की संभावित तारीख अक्तूबर, 1995 है। राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण की स्वीकृत लागत 2461 करोड़ रुपए है जिसमें 396 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा है।

बोकारो इस्पात संयंत्र में हाट स्ट्रिप मिल के आधुनिकीकरण और सतत ढलाई सुविधाओं की स्थापना करने के लिए 1096 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत, जिसमें 483 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा भी शामिल है, का एक प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है। संभावना है कि आधुनिकीकरण का यह कार्य आर्डर देने के 36 माह की अवधि के भीतर पूरा हो जाएगा। प्रस्तावित परियोजना के संबंध में निवेश संबंधी निर्णय अभी लिया जाना है।

इस्को के बर्नपुर वर्क्स के प्रस्तावित आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न विकल्पों की सरकार इस समय जांच कर रही है। निवेश संबंधी निर्णय शीघ्र ही लिए जाने की संभावना है। इस परियोजना को पूरा होने में लगभग 5 वर्ष लगेंगे।

(ग) आधुनिकीकरण किए जाने के फलस्वरूप एकीकृत इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी। फिर भी, देश में लोहे और इस्पात की कुछ विशेष श्रेणियों की मांग और उपलब्धता में अन्तर रह सकता है।

झारखण्ड विवाद

2225. **श्री भाग्ये गोवर्धन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखण्ड राज्य के सृजन की मांग के संबंध में बातचीत किस स्तर पर है;

(ख) क्या सरकार निकट भविष्य में इस विषय पर संबंधित पार्टियों से आगे बातचीत करने पर विचार कर रही है; और

(ग) उपर्युक्त मांग से प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर शासन उपलब्ध कराने के लिए क्या पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) झारखण्ड मामलों की समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद बिहार के अनेक राजनैतिक दलों तथा बिहार सरकार के बीच विचार-विमर्श हुआ। झारखण्ड मुद्दे का व्यवहार्य हल निकालने के लिए उपायों का पता लगाने की दृष्टि से सरकार, राज्य सरकार के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है।

बिहार सरकार के अनुसार, प्रश्नाधीन क्षेत्र के विकास की गति को तेज करने और लोगों को बेहतर सन्तुष्टि प्रदान करने के लिए उपाय किए गए हैं।

दामनजोड़ी में एल्यूमिनियम संयंत्र के लिये कच्चे बाक्साइट की मांग

2226. **श्री के० प्रधानी :** क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में स्थित कोरापुट में कच्चे बाक्साइट का उत्पादन दामनजोड़ी स्थित एल्यूमिनियम संयंत्र की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) दामनजोड़ी स्थित नाल्को के एल्यूमिना संयंत्र को पंचपटमाली (जिला कोरापुट) की गृहीत खान से बाक्साइट प्राप्त होता है। इस खान की क्षमता 24 लाख टन वार्षिक है, जो इस एल्यूमिना संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। चालू वर्ष 1991-92 के दौरान, एल्यूमिना संयंत्र को अपनी आवश्यकता का बाक्साइट प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई।

उड़ीसा के बालासोर जिले में दूरसंचार सुविधाओं का विकास

2227. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन एक्सचेंजों का क्षमता-वार ब्यौरा क्या है और उड़ीसा के बालासोर जिले में 30 जून, 1991 को प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदक थे;

(ख) क्या सरकार की बालासोर जिले में दूरसंचार सुविधाओं में विस्तार करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) 30-6-91 की स्थिति के अनुसार बालासोर जिले में विभिन्न प्रकार के टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे उनकी सज्जित क्षमता तथा प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी हां ।

(ग) 1991-92 के दौरान उड़ीसा के बालासोर जिले की महत्वपूर्ण दूरसंचार विकास योजनाएं इस प्रकार हैं :—

— 25 लाइनों की क्षमता वाले स्ट्रोजर किस्म के चार नए एक्सचेंज चालू करना ।

— ग्राम पंचायत मुख्यालयों में रेडियो (एम०ए०आर०आर०) स्कीम के अन्तर्गत 75 तथा ओपर वायर मेडिया पर 5 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन खोलना ।

— 4 नए एक्सचेंजों का विस्तार :—

  — बालासोर का 288 लाइनों तक (इस वर्ष इस एक्सचेंज का विस्तार किया जा चुका है);

  — भद्रक का 188 लाइनों तक;

  — चन्दावाली तथा रेमूना का 88 लाइनों तक;

  — बालीपाल 64 पोर्ट इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के स्थान पर 128 पोर्ट इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाना ।

— छोटे आकार के लगभग 13 इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों (एम०ए० एक्स०-III) के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाना ।

— बालासोर और भद्रक स्ट्रोजर एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाना ।

— लगभग 400 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना ।

— अपेक्षित संचारण माध्यम चालू किए जाने के पश्चात् राजनिलगिरी, शेरगाडा, रेमूना, बस्ता, चन्दावाली, धामनगर, बालीपाल, वासुदेवपुर तथा तिहड़ि में एस०टी० डी० सेवा शुरू करना ।

(राजनिलगिरी तथा रेमूना में इस वर्ष एस०टी०डी० प्रदान कर दी गई है ।)

विवरण

उड़ीसा के बालासोर जिले में 30-6-1991 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तृत विवरण ।

क्रम सं०	टेलीफोन एक्सचेंज का नाम	टाइप	सज्जित क्षमता (लाइनें)	प्रतीक्षा सूची (संख्या)
1.	बालासोर	स्ट्रोजर	1900	186
2.	भद्रक	–वही–	900	67
3.	चान्दीपुर	इलेक्ट्रानिक	384	96
4.	बस्ता	–वही–	88	शून्य
5.	चन्दाबाली	–वही–	88	1
6.	जालेश्वर	–वही–	176	4
7.	राजनिलगीरी	–वही–	176	शून्य
8.	सोरो	–वही–	176	7
9.	रेमूना	–वही–	88	शून्य
10.	बालीपाल	–वही–	56	शून्य
11.	बन्त	–वही–	56	शून्य
12.	देहूर्दा	–वही–	56	शून्य
13.	तिहिडी	–वही–	56	शून्य
14.	अरनपाल	स्ट्रोजर	25	2
15.	बासुदेवपुर	–वही–	50	2
16.	बौनसाडिया	–वही–	25	शून्य
17.	भन्दरी पोखरी	–वही	25	1
18.	बी०टी०पुर	–वही–	50	1
19.	चन्दनेश्वर	–वही–	50	1
20.	धामनगर	इलेक्ट्रानिक	56	शून्य
21.	धूसुरी	स्ट्रोजर	25	1
22.	गोपालपुर	–वही–	25	शून्य
23.	गंडीबेड	–वही–	50	शून्य
24.	घंटेश्वर	–वही–	25	6
25.	खैरा	इलेक्ट्रानिक	56	शून्य
26.	कूपड़ी	स्ट्रोजर	25	शून्य
27.	बी० जी० पुर	इलेक्ट्रानिक	56	शून्य
28.	नग्राम	स्ट्रोजर	25	शून्य
29.	पिरहाट	–वही–	25	शून्य
30.	रसूलपुर	–वही–	50	शून्य
31.	रानीताल	–वही–	25	1
32.	सिमूलिया	–वही–	25	2
33.	रुपसा	वही–	25	शून्य
34.	शेरगाडा	इलेक्ट्रानिक	88	शून्य

काजू की खेती

2228. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1990-91 के दौरान काजू की कितनी खपत हुई है तथा कितना निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार काजू का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) इस वर्ष केरल में कितने अतिरिक्त क्षेत्र में काजू की खेती किये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) अनुमान है कि 1990-91 के दौरान देश में कच्चे काजू की घरेलू खपत लगभग 1.63 लाख मीटरी टन थी और इसी अवधि के दौरान कच्चे काजू के रूप में काजू की गिरी का निर्यात 2.0 लाख मीटरी टन था।

(ख) 1990-91 के दौरान काजू का राज्यवार उत्पादन निम्नलिखित है :—

राज्य	उत्पादन ('000 मीटरी टन)
1. केरल	142.1
2. कर्नाटक	25.8
3. आन्ध्र प्रदेश	37.8
4. तमिलनाडु	12.5
5. गोवा	14.1
6. महाराष्ट्र	29.5
7. उड़ीसा	29.1
8. पश्चिम बंगाल	3.4
9. पांडिचेरी, त्रिपुरा	0.3
योग :	294.6

(ग) 1991-92 के दौरान भारत में समेकित काजू विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम के तहत केरल में क्लोनल सामग्री का रोपण करके काजू की खेती के तहत 200 हैक्टे० अतिरिक्त क्षेत्र लाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त केरल सरकार का इस वर्ष के दौरान राज्य क्षेत्र के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत 1000 हैक्टे० क्षेत्र लाने का प्रस्ताव है।

केरल में "आयल पाम" की खेती

2229. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में "आयल पाम" का और अधिक वृक्षारोपण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल में गत तीन वर्षों के दौरान आयल पाम के फलों का कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी हां ।

(ख) कुट्टानाड़ की कारी भूमि में 5000 हैक्टे० क्षेत्र पर आयल पाम को लगाने का प्रस्ताव है । इस प्रस्ताव में, प्रायोगिक योजना के रूप में कारी भूमि पर आयल पाम के 200 हैक्टे० क्षेत्र का विकास करने की व्यवस्था है ।

(ग) आयल पाम इंडिया लिमिटेड, केरल के बागानों में पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित आयल पाम फलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1988-89	. . .	10,400 मिलियन मीटरी टन
1989-90	. . .	10,353 मिलियन मीटरी टन
1990-91	. . .	12,424 मिलियन मीटरी टन

केरल के कोल्लम जिले में एस०टी०डी० की सुविधा

2230. **श्री कोड्डीकुन्नील सुरेश** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार का विचार केरल के कोल्लम जिले में विभिन्न टेलीफ़ोन एक्सचेंजों में एस०टी०डी० की सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां, आने वाले वर्षों के दौरान एस०टी०डी० सुविधा उत्तरोत्तर प्रदान की जाएगी ।

(ख) कोल्लम जिले के निम्नलिखित स्थानों में 1991-92 के दौरान एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने की योजना है :

अंचल, चवारा, ओचिरा और पथनापुरम

(ग) आवश्यक अवसंरचना तैयार की जा रही है ।

राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन

[हिन्दी]

2231. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में गेहूं, ज्वार और बाजरे के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने खाद्यान्न उत्पाद में गिरावट के रुख को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) खाद्यान्नों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राजस्थान राज्य को सहायता देने हेतु एक विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—गेहूं और मक्का तथा कदन्न, पिछले तीन वर्षों से कार्यान्वित किया जा रहा है ।

केरल की सिंचाई परियोजनाएं

[अनुवाद]

2232. श्री टी० जे० अंजलोस : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास केरल की विचाराधीन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग में केवल एक परियोजना अर्थात् इडमालयार सिंचाई परियोजना विचाराधीन है ।

17.85 करोड़ रुपए अनुमानित लागत की इडमालयार सिंचाई परियोजना रिपोर्ट सबसे पहले जून, 1976 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी । परियोजना प्रस्ताव पर टिप्पणियां अनुपालन हेतु राज्य सरकार को भेजी गई थी । राज्य सरकार ने फरवरी, 1985 में सूचित किया कि इस परियोजना का पुन: मूल्यांकन किया जा रहा है । इसके पश्चात् 67.40 करोड़ रुपए अनुमानित लागत की एक संशोधित रिपोर्ट, जिसमें 27500 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभान्वित करने की परिकल्पना की गई थी, जून 1990 में प्राप्त हुई थी । राज्य सरकार से अक्तूबर, 1990 में विस्तृत जांच हेतु इसकी स्वीकार्यता निश्चित करने के लिए स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया था । इसकी स्वीकृति, राज्य सरकार की टिप्पणियों की अनुपालना और परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने में शीघ्रता करने पर निर्भर करती है ।

बिहार में अभ्रक खानों को बन्द करना

[हिन्दी]

2233. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में अधिकतर अभ्रक खानों को बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच करने का है; और

(घ) सरकार ने इन खानों पर दुबारा काम शुरू करने तथा बेरोजगार हुए श्रमिकों को रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) :(क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बिहार में सिंचाई के अन्तर्गत भूमि क्षेत्र

2234. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :**
श्री बिजय कुमार यादव :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में खेती योग्य भूमि का कुल क्षेत्र कितना है; और

(ख) इस भूमि का कुल कितना प्रतिशत भाग अब तक सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :(क) और (ख) बिहार का कुल कृषि योग्य क्षेत्र 11248 हजार हेक्टेयर है । सिंचाई सुविधाओं के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 तक लाया गया सकल क्षेत्र 8,452 हजार हेक्टेयर है, जो कृषि योग्य क्षेत्र का 75.14 प्रतिशत है ।

भू-सम्पत्ति

[अनुवाद]

2235. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे और सीमांत किसानों के पास भू-सम्पत्ति की प्रतिशतता कितनी है और देश में वास्तव में कितने क्षेत्र पर खेती की जाती है; और

(ख) देश में छोटे और सीमांत किसानों द्वारा लगभग कितने विक्रय बेशी खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है और कुल विक्रय बेशी खाद्यान्नों के प्रति इसकी प्रतिशतता कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) कृषि संगणना 1985-86 के परिणामों के अनुसार छोटे और सीमान्त किसानों की संक्रियात्मक जोतों का प्रतिशत देश में संक्रियात्मक जोतों की कुल संख्या का क्रमशः 18.4 और 57.8 है । देश में छोटे और सीमान्त किसानों का कुल खेती वाला क्षेत्र क्रमशः 242.0 और 206.3 लाख हेक्टे० है ।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

आन्ध्र प्रदेश में एस०टी०डी० सुविधा

2236. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आंध्र प्रदेश के कितने शहरों में एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) अगले वर्ष के दौरान कितने शहरों में यह सुविधा प्रदान करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) आन्ध्र प्रदेश में इस समय 117 शहरों में एस०टी०डी० सुविधा है ।

(ख) 91-92 के दौरान 25 शहरों को यह सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

खाद्यान्न उत्पादन

2237. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय चावल, गेहूं, ज्वार, अनाज आदि की वास्तविक मांग और उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान चावल और गेहूं का कितनी मात्रा में निर्यात और आयात किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1990* के दौरान देश मे चावल, गेहूं, मोटे अनाज तथा कुल अनाजों की वास्तविक मांग, जिन्स प्रवाह के दृष्टिकोण पर आधारित निवल उपलब्धता द्वारा यथाप्रतिबिम्बित, (नवीनतम उपलब्ध) इस प्रकार है :—

(मिलियन मीटरी टन)

फसल	निवल उपलब्धता	उत्पादन	
		सकल	निवल
चावल	66.99	74.05	68.43
गेहूं	39.07	49.65	43.64
मोटे अनाज	26.10	34.31	26.19
कुल अनाज	132.25	158.01	138.26

(ख) डी०जी०सी०आई० और एस० द्वारा जारी किए गए अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान गेहूं और चावल का निर्यात तथा आयात निम्नलिखित रहा है :

		मात्रा (लाख मीटरी टन में)	
		निर्यात	आयात
चावल	1990-91	5.27	0.66
	1989-90	4.22	5.44
गेहूं	1990-91	1.34	0.66
	1989-90	0.12	0.40

*इसके लिए तदनुरूपी उत्पादन वर्ष 1989-90 से संबंधित है ।

विदेशी कब्जे में भारतीय क्षेत्र

[हिन्दी]

2238. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में कौन-कौन से क्षेत्र देश-वार विदेशों के कब्जे में हैं; और

(ख) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे क्षेत्रों को वापस पाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) भारतीय राज्य जम्मू एवं कश्मीर के कुछ हिस्से पाकिस्तान और चीन के कब्जे में हैं। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लगभग 78,000 वर्ग कि० मीटर क्षेत्र पर इस समय पाकिस्तान का कब्जा है। जम्मू एवं कश्मीर के राज्य का लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन के कब्जे में है। इसके अतिरिक्त 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तानी "सीमा-समझौते" के अन्तर्गत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में करीब 5120 वर्ग किलो मीटर भारतीय क्षेत्र गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है।

(ख) जहां तक पाकिस्तान का सवाल है सरकार ने अनेक मौकों पर यह बात दोहराई है कि उसने जम्मू और कश्मीर में हमारे जिस इलाके पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है वह उसे छोड़ दे। सरकार शिमला समझौते के अन्तर्गत कश्मीर के मसले के अन्तिम समाधान के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के लिए तैयार है बशर्ते कि पाकिस्तान पहले आतंकवाद का समर्थन बन्द कर दे और ऐसा करके इस तरह का माहौल पैदा करे कि जिसमें बातचीत के कोई सार्थक परिणाम निकलें।

सरकार यह मानती है कि चीन के साथ सभी मतभेदों और समस्याओं को शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। सीमा के सवाल के उचित, तर्कसंगत और परस्पर स्वीकार्य समाधान के लिए किसी ऐसे समझौते तक पहुंचने के लिए दोनों पक्ष प्रयास कर रहे हैं जो दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों के और राष्ट्रीय भावनाओं के अनुरूप हों। इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए भारत चीन-संयुक्त कार्यकारी दल का गठन किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश को अतिरिक्त तूफान राहत सहायता

[अनुवाद]

2239. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान आंध्र प्रदेश को उस स्थिति से निपटने के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि की वित्तीय सहायता दी गई जो स्थिति वहां 1990 में तटवर्ती क्षेत्रों के तूफानग्रस्त होने के कारण उत्पन्न हुई थी; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान आंध्र प्रदेश में तूफान राहत उपायों से कितने किसान लाभान्वित हुए ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 1990-91 के लिए राज्य आपदा राहत कोष में केन्द्रीय अंशदान के तौर पर 64.50 करोड़ रुपए की राशि विमुक्त

करने के अलावा केन्द्र सरकार ने मई, 1990 के चक्रवात के कारण उत्पन्न हुई स्थिति का सामना करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को निम्नलिखित अतिरिक्त सहायता दी :—

1. आपदा राहत कोष से अग्रिम . .	61.16 करोड़ रुपए
2. प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता . .	2.00 करोड़ रुपए
3. भारतीय जनता के प्राकृतिक आपदा न्यास से सहायता .	1.37 करोड़ रुपए

(ख) राज्य सरकार द्वारा किये गये राहत उपायों से 4.07 लाख छोटे और सीमान्त किसानों को लाभ मिला है ।

आन्ध्र प्रदेश में तट रेखा के साथ-साथ ज्वारीय तटबंध का निर्माण

2240. **श्री वत्तालेय बंडारु** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने संघ सरकार को बार-बार आने वाले चक्रवातों से होने वाली क्षति को रोकने के लिए तट रेखा के साथ-साथ तटबंध का निर्माण करने के बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संघ सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) बार-बार चक्रवातों से होने वाली क्षति को रोकने के वास्ते तटीय रेखा के साथ ज्वारीय तटबंध के निर्माण का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, काकीनाडा बन्दरगाह के निकट उप्पडा गांव में समुद्र तट पर कटाव को रोकने के लिए 65 लाख रुपए के अनुमानित लागत की एक स्कीम अप्रैल, 1991 में प्राप्त हुई है । जांच के बाद, टिप्पणियां अनुपालन के लिए जुलाई, 1991 में आंध्र प्रदेश सरकार को भेज दी गई हैं ।

सम्पत्ति कर सुधार-संबंधी मल्होत्रा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

2241. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने 1991 में दिल्ली में बड़ी संख्या में सम्पत्ति के मालिकों को अत्यधिक बढ़े हुए सम्पत्ति कर के नोटिस, बिना इसका कोई आधार बताए जारी किए हैं; और

(ख) क्या सरकार का सम्पत्ति-मालिकों को राहत प्रदान करने के लिए सम्पत्ति कर को युक्ति-संगत बना कर मल्होत्रा समिति की सिफारिशों को लागू करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) नगर निगम प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि उन्होंने दिल्ली में बड़ी संख्या में संपत्तियों के मालिकों को बिना आधार बताए अत्याधिक बढ़े हुए सम्पत्ति कर के नोटिस जारी नहीं किए हैं ।

(ख) सम्पत्ति कर के लिए उपयुक्त ढांचे और इसे लागू करने के लिए उचित प्रक्रिया की सिफारिश करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली प्रशासन को दे दी है। निगम निकायों को शासित करने वाले कानूनों में उचित विधायी परिवर्तन लाने के एक प्रस्ताव पर दिल्ली प्रशासन विचार कर रहा है।

दिल्ली में होटल और गैस्ट हाउस

[हिन्दी]

2242. **श्री कालका दास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के करोलबाग, रामनगर, शंकर नगर और पहाड़गंज क्षेत्रों में चलाये जा रहे होटलों और गैस्ट हाउसों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से लाइसेंसशुदा और लाइसेंस रहित होटलों तथा गैस्ट हाउसों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लाइसेंस रहित होटलों और गैस्ट हाउसों को बन्द करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) इन क्षेत्रों में चल रहे होटलों और अतिथि गृहों की संख्या निम्न प्रकार है :

	होटल	अतिथि गृह	जोड़
करोल बाग . . .	32	24	56
राम नगर . . .	25	14	39
शंकर नगर . . .	—	—	—
पहाड़ गंज . . .	34	60	94

(ख) इन क्षेत्रों में लाइसेंस प्राप्त और लाईसेंस रहित होटलों और अतिथि गृहों की संख्या निम्न प्रकार है :

	लाईसेंस प्राप्त		लाईसेंस रहित	
	होटल	अतिथि गृह	होटल	अतिथि गृह
करोल बाग . .	5	10	27	14
राम नगर . .	3	1	22	13
शंकर नगर . .	—	—	—	—
पहाड़ गंज . .	9	5	25	55

(ग) अनधिकृत और लाईसेंस रहित होटल/अतिथि गृहों का स्थानीय पुलिस द्वारा समस-समय पर चालान किया जाता है। इनको बन्द करने के लिए न्यायालय में भी आवेदन किया गया है।

भूख के कारण मृत्यु के मामले

[अनुवाद]

2243. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**
श्री मुकुल वासनिक :
श्री मृत्युंजय नायक :
श्री गोपीनाथ गजपति :
श्री गोविंद चन्द्र मुंडा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सूखा प्रवण कालाहंडी, फूलबनी और बोलनगीर जिलों में भूख के कारण मृत्यु के कई मामले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन जिलों से देश के अन्य हिस्सों में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन व्यक्तियों की निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन से राहत उपाय तथा विकासात्मक योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद दंगे

2244. **श्री दत्तात्रेय बंडारु :**
श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद देश के विभिन्न भागों, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में दंगे भड़क उठे थे;

(ख) क्या दंगों के दौरान हुए जानमाल की क्षति का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में कितने लोग मारे गए तथा सम्पत्ति का अनुमानित नुकसान कितना हुआ;

(घ) क्या इस संबंध में कोई मुआवजा दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् । देश के कुछ भागों से हिंसा की कुछ घटनाएं सूचित की गई ।

(ख) से (ङ) राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन

2245. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या संचार मन्त्री 30 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न सं० 3564 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 1 दिसम्बर, 1989 से 30 जून, 1990 के बीच मंत्रियों और संसद सदस्यों की सिफारिशों पर प्राथमिकता के आधार पर मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शनों के बारे में अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) 1 दिसम्बर, 1989 से 30 जून, 1990 की अवधि के दौरान मंत्रियों और संसद सदस्यों की सिफारिशों पर बिना बारी प्राथमिकता के आधार पर कुल 785 टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये गये थे ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिल्ली में अवैध निर्माण की जांच

2246. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जून, 1991 के इंडियन एक्सप्रैस में "सी०बी०आई० प्रोब इनटू इलसीगल कंस्ट्रक्शन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली नगर पालिका के उन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच शुरू की गई है; और

(ग) उस जांच की वर्तमान स्थिति क्या है और अवैध निर्माण को गिराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्। इंडियन एक्सप्रैस के दिनांक 21 जून, 1991 के अंक में "सी०बी०आई० प्रोब इनटू इललीगल कंस्ट्रक्शन" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ ।

(ख) और (ग) भगवान दास रोड पर एक बहुमंजिली रिहायशी काम्पलैक्स में अनधिकृत निर्माण के संबंध में एन०डी०एम०सी० के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध एक शिकायत की केन्द्रीय जांच ब्यूरो प्रारंभिक जांच कर रहा है। नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इन्हें गिराने के विरुद्ध जारी स्थगन आदेश को ध्यान में रखते हुए अनधिकृत निर्माण को हटाने की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है ।

दिल्ली में आतंकवादी घटनाएं

[हिन्दी]

2247. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान दिल्ली में आतंकवादी घटनाओं में कितने व्यक्ति घायल हुए और मारे गये हैं; और

(ख) उन घटनाओं में मारे गये और घायल हुए व्यक्तियों के निकट संबंधियों को कितनी-कितनी राशि मुआवजे के रूप में दी गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) पिछले तीन माह के दौरान दिल्ली में आतंकवादी घटनाओं में मारे गये और जख्मी हुए व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :

	मारे गए	जख्मी हुए
अप्रैल, 1991	3	9
मई, 1991	6	59
जून, 1991	1	19

(ख) दिल्ली प्रशासन ने मारे गए और जख्मी हुए लोगों के निकटतम संबंधी को अब तक 3,24,000 रुपए राशि का मुआवजा दिया है ।

दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान

2248. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस द्वारा पुलिस थानों में बम विस्फोट की घटनाओं के बाद अपने विभाग की जांच करने हेतु चलाए गए अभियान के क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या इन जांच के आधार पर किसी पुलिस कर्मी को बरखास्त किया गया है अथवा किसी पुलिस कर्मी को चेतावनी दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) राजौरी गार्डन और तिलक नगर के पुलिस थानों में 10-4-1990 को बम विस्फोट हुए । एक कांस्टेबल (चालक) तथा उसके पिता, एक उपनिरीक्षक, को मामले में लिप्त पाया गया । उप-निरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा कान्स्टेबल (चालक) को निलम्बित कर एक नामी अपराधी घोषित किया गया है ।

राजस्थान के कोटा जिले में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

2249. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा शहर में जून, 1991 तक टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में श्रेणीवार कुल कितने व्यक्ति थे;

(ख) ओ०वाई०टी० योजना के अन्तर्गत टेलीफोन विभाग द्वारा कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई है, और उस राशि पर कितना ब्याज दिया गया है;

(ग) प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन मिलने की सम्भावना है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) क्या सरकार का कोटा में एक नया टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी०बी० रंगय्या नायडु) : (क) कोटा शहर में जून, 1991 तक प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की श्रेणीवार कुल संख्या निम्नानुसार है:

ओ० वाई० टी०	विशेष	सामान्य	कुल
374	397	5566	6337

(ख) ओ०वाई०टी० श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों से विभाग द्वारा कुल रु० 22,44,000 वसूल किए गए है और इस राशि पर प्रोद्भूत ब्याज को टेलीफोन प्रदान करते समय समायोजित कर दिया जाता है ।

(ग) कोटा शहर की वर्तमान प्रतीक्षा सूची को मार्च, 1994 तक क्रमिक रूप से निपटाए जाने की संभावना है । इसके लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों की योजना है :

(i) 1992-93 में 5000 लाइनों वाला नया इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू करने की योजना है ।

(ii) 1993-94 में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में 3000 लाइनों का विस्तार करने की योजना है।

(घ) और (ङ) जी हां ।

कोटा में 1992-93 में 5000 लाइनों वाला एक नया इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

कश्मीर से प्रवास

2250. **श्री दाऊ दयाल जोशी :**
श्री राम नगीना मिश्र :
श्री अम्बा जोशी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कश्मीर घाटी से कितने व्यक्ति देश के अन्य भागों में चले गये हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन्हें प्रदान की गई सुविधाओं तथा इन पर आज तक खर्च की गई राशि का शीर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) कश्मीर घाटी से व्यक्तियों के अन्यत्र चले जाने को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के परिणामस्वरूप आज तक घाटी में कोई व्यक्ति वापस आया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) घाटी से बाहर गये इन व्यक्तियों का कब तक घाटी में पुनर्वास कर दिए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (च) घाटी से बाहर जम्मू और दिल्ली में कश्मीरी प्रवासियों का पंजीकरण वर्ष 1990 से प्रारम्भ हुआ था। वर्ष 1990 के दौरान जम्मू और दिल्ली में 69,000 प्रवासी परिवार पंजीकृत किए गए थे और जून, 1991 तक 72,000 से अधिक परिवार पंजीकृत थे ।

2. जम्मू में प्रवासियों को प्रति व्यक्ति को 10 रुपए प्रति दिन की दर से नकद सहायता दी जा रही है बशर्ते कि यह राशि चार या इससे अधिक व्यक्तियों वाले प्रति परिवार के हिसाब से प्रति माह 1,000 रुपए से अधिक न हो, इसके अतिरिक्त प्रति व्यक्ति को प्रति माह 9 किलो चावल, 2 किलो आटा और 1 किलोग्राम चीनी, मुफ्त राशन और उपलब्धता के आधार पर सरकारी भवनों/टेन्टों में आवास दिया जा रहा है । मुफ्त चिकित्सा सहायता, कम्बल इत्यादि भी दिए गए हैं ।

3. दिल्ली में, शिविरों से बाहर रह रहे प्रवासियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 200 रुपए की नकद राहत दी जा रही है बशर्ते कि यह राशि 4 या इससे अधिक सदस्यों वाले प्रति परिवार को 800 रुपए से अधिक न हो । जो दिल्ली प्रशासन द्वारा स्थापित शिविरों में रह रहे हैं उन्हें प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से 125 रुपए दिए जा रहे हैं, बशर्ते कि यह राशि 4 या इससे अधिक सदस्यों वाले प्रति परिवार को प्रति माह 500 रुपए से अधिक न हो । इसके अलावा एक समय खाना पकाने के बर्तन और बिस्तर और 500 रुपए की कीमत का महीने भर का राशन भी दिया जाता है । शिविरों में चिकित्सा दलों के नियमित दौरों की व्यवस्था भी की गई है ।

4. स्कूलों, कालेजों और व्यवसायिक संस्थानों में बच्चों के दाखिले, बैंक और डाक बचत खातों के स्थानान्तरण, छुट्टियों के वेतन, पेंशन के भुगतान और जीवन बीमा निगम के दावों इत्यादि के त्वरित निपटान के निदेश भी जारी किए गए हैं ।

5. जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि नकद सहायता के भुगतान पर वर्ष 1990-91 के दौरान 35.65 करोड़ रुपए और 1991-92 के दौरान आज तक 18 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई । इसी प्रकार मुफ्त राशन वितरण पर 1990-91 के दौरान 8.60 करोड़ रुपए व्यय किए गए जबकि 1991-92 के दौरान आज तक 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए । दिल्ली प्रशासन ने 1990 और 1991 (30 जून तक) के दौरान प्रवासियों को नकद राहत देने पर 3,79,50,873 रुपए खर्च किए ।

6. प्रवास को रोकने के लिए संवेदनशील समुदायों की सुरक्षा का कार्य घाटी में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की समग्र योजना में सम्मिलित है और इन लोगों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अर्द्धसैनिक बलों की गश्त बढ़ा दी गई है ।

7. हालांकि प्रवासी परिवारों के स्थायी रूप से घाटी को वापस लौटने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है, जम्मू और कश्मीर सरकार से इन प्रवासियों का चरणबद्ध रूप से घाटी में लौटने के लिए योजना बनाने को कहा गया है ।

नए टेलीफोन कनेक्शन

2251. **श्री राजवीर सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अप्रैल के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए थे और उनमें से कितने टेलीफोन लगाए गए हैं; और

(ख) शेष टेलीफोन कनेक्शनों की स्वीकृति कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) अप्रैल, 1991 के दौरान बिना बारी के आधार पर मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 5,480 है । इनमें से संस्थापित किए जा चुके टेलीफोनों की संख्या के संबंध में जानकारी क्षेत्रीय यूनिटों से एकत्रित की जा रही है और वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) जिन लोगों को बिना बारी के आधार पर ये टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए हैं उनके टेलीफोन कनेक्शन विभागीय औपचारिकताओं पर अमल करने के बाद और तकनीकी रूप से व्यवहार्य होने पर उत्तरोत्तर रूप से संस्थापित किये जाएंगे ।

इस्पात संयंत्रों में दानेदार स्लग का उत्पादन

2252. **श्री राजवीर सिंह** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान इस्पात संयंत्रों में दानेदार स्लग का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सीमेंट उत्पादन के कितनी मात्रा में दानेदार स्लग की सप्लाई की गई; और

(ग) सीमेंट उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इसकी गुणवत्ता में सुधार करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान एकीकृत इस्पात संयंत्रों में दानेदार धातुमल के उत्पादन तथा सीमेंट संयंत्रों को की गई उसकी सप्लाई का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

दानेदार धातुमल (टन)

संयंत्र	उत्पादन		सीमेंट संयंत्र को की गई सप्लाई	
	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90
बोकारो इस्पात संयंत्र . .	361592	305474	346556	245017
भिलाई इस्पात संयंत्र . .	1145000	1104000	1151000	1005000
राउरकेला इस्पात संयंत्र .	195840	197809	192727	197036
"इस्को" बर्नपुर . .	171640	200540	179854	200844
टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० .	362854	355077	365329	327307

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में धातुमल के ग्रेनुलेशन की सुविधाएं नहीं हैं इस लिए वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वारा सीमेंट निर्माण हेतु क्रमशः 241900 टन तथा 240300 टन मोलटेन ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की सप्लाई की गई ।

(ग) जहां धातुमल की गुणवत्ता में कमी है, वहां गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किये जा रहे उपायों में ये शामिल हैं :—कास्ट हाउस स्लैग ग्रेनुलेशन सुविधाओं की चरणबद्ध स्थापना तथा कच्ची सामग्री की गुणवत्ता में सुधार ।

स्पंज आयरन संयंत्र

2253. **श्री राजबीर सिंह** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कार्यरत स्पंज आयरन संयंत्रों की संख्या कितनी है और कितने निर्माणाधीन हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में एक स्पंज आयरन संयंत्र की स्थापना का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो ये कहां स्थापित किया जाएगा और इसकी क्षमता कितनी होगी ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) 6 स्पंज लोहा संयंत्र प्रचालनरत हैं और लगभग 14 नये संयंत्र कार्यान्वयन के अन्तर्गत हैं । इन संयंत्रों की स्थान-स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है ।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में स्पंज लौहा संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, एक निजी उद्यमी उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में जगदीशपुर में 8 लाख टन वार्षिक क्षमता का एक स्पंज लोहा संयंत्र कार्यान्वित कर रहा है ।

विवरण

स्पंज लोहा संयंत्रों की स्थान-स्थिति

(क) विद्यमान इकाईयां

राज्य का नाम	जिले का नाम	संयंत्रों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	खम्मम	एक
2. उड़ीसा	क्योंझर	दो
3. बिहार	सिंहभूम	एक
4. महाराष्ट्र	भण्डारा	एक
5. गुजरात	सूरत	एक

(ख) कार्यान्वयनाधीन नये स्पंज लौह संयंत्र

राज्य	जिला	संयंत्रों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	विजयानगरम	एक
	नालगोण्डा	एक
2. मध्य प्रदेश	रायगढ़	एक
	बिलासपुर	तीन
	दुर्ग	एक
	रायपुर	दो
3. तमिलनाडु	सेलम	एक
4. कर्नाटक	बेलारी	एक
5. महाराष्ट्र	रायगढ़	तीन
6. उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर	एक

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को चालू करना

[अनुवाद]

2254. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 के दौरान और जून, 1991 तक विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी थी;

(ख) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के पूरा होने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इसमें विलम्ब के कारण कितनी अधिक लागत आयेगी;

(घ) इस संयंत्र के पूरी क्षमता से चालू हो जाने की आशा कब तक है; और

(ङ) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है और इसके पूरा होने तक कितनी और धनराशि खर्च होने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) विशाखापट्टणम इस्पात परियोजना के चरण-I के अन्तर्गत आने वाली इकाईयां 1990-91 के दौरान चालू की गई थीं ये इकाईयां स्थिरीकरण के चरण में हैं। चरण-I के अन्तर्गत तप्त धातु, अपरिष्कृत इस्पात और तैयार उत्पाद की संस्थापित क्षमता क्रमश: 17 लाख टन, 15 लाख टन और 6 लाख टन है।

(ख) चरण-I के अन्तर्गत लाइट और मिडियम मर्चेन्ट मिल की बार मिल के सिवाए सभी इकाईयां चालू हो गई हैं। बार मिल को 1991 के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम है। चरण-II के अन्तर्गत आने वाली इकाईयां कार्य निष्पादन के अग्रिम चरण में हैं।

(ग) से (ङ) जून, 1979 में सरकार द्वारा स्वीकृत इस परियोजना का मूल लागत अनुमान 2256 करोड़ रु० (1979 की प्रथम तिमाही के आधार मूल्य) था। इस अनुमान को संशोधित करके 3897.28 करोड़ रु० (1981 की चौथी तिमाही का आधार मूल्य) कर दिया गया था। युक्तिसंगत अवधारणा के अनुसार परियोजना के दायरे की समीक्षा करके इसे 6848.70 करोड़ रुपए (1987 की चौथी तिमाही के आधार मूल्य) कर दिया गया था। परियोजना की लागत को अब अद्यतन किया जा रहा है। जून, 1991 तक इस परियोजना पर 6873.42 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस परियोजना के 1992 में पूरा हो जाने की आशा है।

दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों के कार्य घंटे

2255. **श्री ताराचन्द खंडेलवाल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों को निरंतर बहत्तर घंटे ड्यूटी पर उपस्थित रहना होता है और उसके बाद उन्हें चौबीस घंटे का अवकाश दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार का इन कर्मचारियों की कार्य-परिस्थितियों में सुधार करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) दिल्ली अग्निशमन सेवा के प्रचालन स्टाफ को निरंतर बहत्तर घंटे की ड्यूटी पर तैनात किया जाता है और उसके बाद 24 घंटे का विश्राम दिया जाता है। प्रचालन स्टाफ को उनकी लम्बी अवधि तक निरंतर ड्यूटी के लिए क्षतिपूर्ति हेतु किराया मुक्त पारिवारिक आवास और अन्य कई सुविधाएं और भत्ते दिये जाते हैं।

(ख) और (ग) इस समय उनके ड्यूटी अवधि में परिवर्तन लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में डाकतार कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण

2256. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उड़ीसा सर्किल के भद्रक और बालासोर जिलों में डाक-तार कर्मचारियों के लिए कुल कितने मकानों का निर्माण किया गया है; और

(ख) उन पर आज तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) **डाक विभाग** : भद्रक और बालासोर डाक डिवीजन दोनों ही बालासोर जिले में हैं। पिछले तीन वर्षों में उड़ीसा सर्किल के बालासोर जिले के इन दोनों डाक डिवीजनों में सरकार द्वारा डाक कर्मचारियों के लिए बनाए गए क्वार्टरों की कुल संख्या इस प्रकार है :

	वर्ष			कुल
	1988-89	1989-90	1990-91	
1. भद्रक	शून्य	शून्य	2	2
2. बालासोर	शून्य	शून्य	शून्य	
दूरसंचार विभाग :				
1. भद्रक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. बालासोर जिला	शून्य	शून्य	शून्य	

(ख) डाक विभाग :

कुल 6.00 लाख रुपए व्यय किए गए ।

दूर संचार विभाग :

कोई राशि खर्च नहीं की गई ।

संयुक्त क्षेत्र में नए इस्पात संयंत्र

2257. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को विभिन्न राज्यों से संयुक्त क्षेत्र में और अधिक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) संयुक्त क्षेत्र में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु विभिन्न राज्यों की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों से सरकार को 6 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है । यद्यपि हाल ही में घोषित औद्योगिक लाइसेंस नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत अब इस प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है ।

विवरण

क्रम संख्या	आवेदक का नाम	राज्य	क्षमता (टन/प्रति वर्ष)
1.	मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम . .	मध्य प्रदेश	10,00,000
2.	दा प्रदेशिया इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू० पी० लिमिटेड . .	उत्तर प्रदेश	5,00,000
3.	ता प्रदेशिया इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू० पी० लिमिटेड . . .	उत्तर प्रदेश	5,00,000
4.	इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड . . .	उड़ीसा	30,00,000
5.	कर्नाटक स्टेट इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एण्ड डवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड . . .	कर्नाटक	30,00,000
6.	वेस्ट बंगाल इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन लि०	पश्चिम बंगाल	30,00,000

प्रशिक्षण और भ्रमण प्रणाली

2258. **डा० असीम बाला** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में प्रशिक्षण और भ्रमण प्रणाली के कार्यान्वयन की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि उत्पादन, विशेष रूप से दालों और तिलहन की फसलों के संदर्भ में प्रशिक्षण और भ्रमण प्रणाली के भावी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां।

(1) अर्द्ध-वार्षिक समीक्षा के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित अन्त: विषयी दलों, (2) राज्यों के कृषि विभागों के प्रबोधन और मूल्यांकन एककों द्वारा आयोजित नियमित सर्वेक्षण, (3) भौतिक और वित्तीय प्रगति के संबंध में छमाही रिपोर्ट, (4) विस्तार प्रबन्ध के विशिष्ट क्षेत्रों पर विशेष अध्ययन, (5) विस्तार निदेशालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से कृषि विस्तार की प्रशिक्षण और दौरा पद्धति के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) जी, हां।

(1) देश में प्रशिक्षण और दौरा पद्धति पहली बार 1974-75 में मार्गदर्शी आधार पर शुरू की गई थी और इसे इसके पश्चात् 1977 से 17 प्रमुख राज्यों में भी लागू कर दिया गया।

(2) प्रशिक्षण और दौरा पद्धति का प्राथमिक उद्देश्य प्रौद्योगिकी के प्रभावी अन्तरण की सुविधा के लिए राज्य के कृषि विभाग को मजबूत बनाना है। कृषि विस्तार की प्रशिक्षण और दौरा पद्धति शुरू किए जाने के फलस्वरूप व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित विस्तार संवर्ग तैयार किया गया है और सभी 17 राज्यों में नियुक्त किया गया है।

(3) मुख्य फसलों में उत्पादन और उत्पादकता के स्तर में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है जिसे संलग्न विवरण में प्रदर्शित किया गया है, जहां पर विस्तार प्रयासों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

विवरण

1. उत्पादन स्तर—अनाज और तिलहन

क्रम सं०	फसल	उत्पादन (मिलियन मीटरी टन में)		उत्पादकता (किलोग्राम/हैक्टेयर)	
		1977-78	1988-89	1977-78	1988-89
1.	चावल	52.67	70.67	1308	1688
2.	गेहूं	31.75	53.99	1480	2241
3.	मोटे अनाज	30.02	31.89	710	816
4.	बाजरा	4.73	7.79	426	646
5.	तिलहन	8.66	17.09	563	827

2. उत्पादन स्तर—अन्य फसलें

क्रम सं०	फसल	उत्पादन (मिलियन मीटरी टन में)		उत्पादकता (किलोग्राम/हैक्टेयर)	
		1977-78	1988-89	1977-78	1988-89
1.	दाल . . .	11.97	13.70	510	589
2.	कपास . . .	7.24 (मिलियन गांठें)	8.69	157	202
3.	गन्ना . .	176.97	204.63	56160	60673

स्रोत : अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली ।

भारत के विदेश सचिव और चीन के प्रधान मन्त्री के बीच बातचीत

2259. **प्रो० राम कापसे** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विदेश सचिव ने अपनी हाल की चीन यात्रा के दौरान चीन के प्रधान मन्त्री से कोई बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो जिन द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत की गई उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) विदेश सचिव सीमा संबंधी भारत-चीन संयुक्त कार्यकारी दल की तीसरी बैठक के लिए अपनी चीन यात्रा के दौरान 13 मई, 1991 को बीजिंग में चीन के प्रधान मन्त्री श्री ली पेंग से मिलने गए थे ।

(ख) इस मुलाकात में जिन द्विपक्षीय मसलों पर विचार-विमर्श किया गया, वे थे—सीमा का सवाल, भारत में तिब्बती गतिविधियां, पाकिस्तान को चीनी प्रक्षेपास्त्रों की सप्लाई पर भारत की चिन्ता तथा चीन के प्रधान मन्त्री की आगामी भारत यात्रा ।

सीमा के संबंध में दोनों पक्षों ने इस बात की पुन: पुष्टि की कि दोनों पक्षों को अपने-अपने राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय भावनाओं को ध्यान में रखकर इस समस्या को उचित, युक्ति संगत और परस्पर स्वीकार्य तरीके से हल करने की दिशा में और कोशिश करनी चाहिए ।

चीनी पक्ष ने भारत में तिब्बती शरणार्थियों के कार्यकलापों का जिक्र किया । विदेश सचिव ने भारत सरकार के इस अपरिवर्तित रुख को पुन: दोहराया कि तिब्बत चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है और भारत की जमीन पर ऐसे कार्य-कलापों की इजाजत नहीं दी जा सकती जो इस स्थिति के अनुरूप हों ।

विदेश सचिव ने चीन द्वारा पाकिस्तान को अति उन्नत शस्त्रों और प्रौद्योगिकियों की सप्लाई के बारे में जिसमें प्रक्षेपास्त्र भी शामिल हैं, भारत की चिन्ता से चीन के प्रधान मन्त्री को अवगत कराया ।

विदेश सचिव ने चीन के प्रधान मन्त्री को बताया कि भारत की सरकार और भारत के लोग उनकी भारत यात्रा की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

(ग) प्रधान मन्त्री श्री पी० वी० नरसिंह राव ने भी चीन के प्रधान मन्त्री ली पेंग को भारत यात्रा का निमन्त्रण दिया है ।

दोनों सरकारें अपने सभी अनसुलझे मसलों को शान्तिपूर्ण बातचीत के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रयत्नरत हैं ।

पान के पत्तों का उत्पादन

2260. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पान के पत्तों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान गतिविधियों को और तेज करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पान के पत्ते से संबंधित एक अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना की स्थापना की है । इसके 10 केन्द्र हैं जो पान उगाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में स्थित हैं । इस प्रायोजना के तहत पान के पत्तों की प्रमुख कीट-व्याधियों के नियंत्रण के लिए एक प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है तथा उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि-तकनीकों में भी सुधार किया गया है ।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2261. **डा० सी० सिलवेरा :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उचित ढंग से कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सृजित सिंचाई क्षमता के बेहतर उपयोग और उत्पादकता में सुधार के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था जिसमें खेत नालियों, खेत नालों का निर्माण, भूमि समतलन, खेत सीमाओं का पुनः संरेखण, क्रमिक जल आपूर्ति को लागू करना, उपयुक्त फसली पैटर्न का प्रारंभ, सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण और कुशल प्रचालन आदि जैसे अनेक कार्यकलाप सम्मिलित हैं । हालांकि खेत नालियों और क्रमिक जल आपूर्ति जैसे कई घटकों के संतोषजनक कार्यान्वयन में सामान्य रूप से सफलता प्राप्त की जा रही है, फिर भी कई मदों पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । राज्य सरकारों की बजट संबंधी कठिनाईयां कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण और सिंचाई विभाग के बीच समन्वय की कमी, भूमि समतलन की उच्च लागतें, चकबन्दी की धीमी प्रगति और विशेषकर, देश के पूर्वी भागों में बाढ़ समस्याएं इसके मुख्य कारण हैं । केन्द्र सरकार इन कमियों को सुधारने के लिए राज्य सरकारों से बराबर बातचीत करती रही है । कुछ राज्यों में परियोजनावार मार्गविरोधों का पता लगाने और कार्यक्रम के सफलतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए बाधाओं में सुधार लाने के लिए मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं ।

श्रीलंका के विदेश मन्त्री का दौरा

2262. डा० सी० सिलवेरा : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री लंका के विदेश मन्त्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ हुई उनकी बातचीत में उठाये गए द्विपक्षीय मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनका क्या निष्कर्ष निकला ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी हां, श्रीलंका के विदेश मन्त्री श्री हेराल्ड हेरात 29-31 जुलाई, 1991 तक भारत की यात्रा पर रहे थे।

(ख) और (ग) भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए भारत और श्रीलंका ने एक करार पर हस्ताक्षर किए। इस संयुक्त आयोग में प्रारम्भ में दो उप-आयोग होंगे; एक व्यापार, पूंजी-निवेश और वित्त सम्बन्धी कार्यों को देखेगा और दूसरा शिक्षा तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक मामलों को। इस बात पर सहमति हुई कि उप-आयोग की बैठकें नवम्बर के मध्य में की जाएंगी, ताकि वह वर्ष खत्म होने से पहले संयुक्त आयोग की बैठक के लिए जमीन तैयार हो सके।

दोनों पक्षों ने श्रीलंका में जातीय समस्या की स्थिति पर विचार-विनिमय किया और इस बात को पुनः दोहराया कि इस समस्या को राजनीति के जरिये सुलझाया जाना जरूरी है। दोनों पक्षों में इस बात पर भी सहमति हुई कि इस समय भारत में जो अलगाववादी हैं, उन्हें इस तरह से प्रोत्साहित करने की जरूरत है कि वे खुद-ब-खुद लौट जाएं और इस बात के लिए कदम उठाए जाएं।

अर्ध-सैन्य बल

[हिन्दी]

2263. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक अर्ध सैन्य बल का नाम क्या है, इसमें कार्मिकों की संख्या तथा बटालियनों/कम्पनियों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन बलों में भर्ती के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं तथा प्रत्येक राज्य को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ग) क्या पिछड़े राज्यों से इन बलों में विशेष भर्ती करने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान्।

विवरण

(क) प्रत्येक बलों में अर्ध-सैनिक बलों के नाम, उनकी संख्या, बटालियनों और कम्पनियों की संख्या निम्न प्रकार है :

बल का नाम	कुल संख्या	बटालियनों की संख्या	कम्पनियों की संख्या
1. असम राइफल्स . .	50,076	31	186
2. सीमा सुरक्षा बल . .	1,71,197	147	882
3. के०औ० सुरक्षा बल .	71,975	के० औद्योगिक सुरक्षा बल की संरचना बटालियनों और कम्पनियों के ढांचे पर नहीं की गई है।	
4. के०रि० पुलिस बल .	1,25,112	123	738
5. भा० तिब्बत सीमा पुलिस .	29,504	28	108
6. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड .	7,652	राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की संरचना बटालियनों और कम्पनियों के ढांचे पर नहीं की गई है।	

(ख) बलों में/कांस्टेबलों/राइफलमैन की भर्ती करने में प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए अपनाए गए परिमापी ढंग और पद्धति निम्न प्रकार है :

	के०रि०पु० बल और भा०ति०सी० पुलिस	सी०सु० बल	के०औ०सु० बल	असम राइफल्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. आयु	18-23 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में 5 वर्ष की छूट)	18-22 वर्ष	18-23 वर्ष	तकनीकी ट्रेड्स और ट्रेड्समैन के लिए 16-25 वर्ष। सामान्य ड्यूटी में मैट्रिक वाले उम्मीदवारों के लिए 16-22 वर्ष। सामान्य ड्यूटी में गैर-मैट्रिक उम्मीदवारों के लिए 16-20 वर्ष।
2. शैक्षिक योग्यता	मैट्रिक	मैट्रिक	मैट्रिक	ट्रेड्समैन के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण। सामान्य ड्यूटी के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण। तकनीकी ट्रेड्स के लिए विज्ञान में मैट्रिक।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. न्यूनतम शारीरिक मानक				
	(क) कद	170 से०मी०	170 से०मी०	167 से०मी० उम्मीदवार के पद और अधिवास के अनुसार 152 से०मी० से 167 से०मी० के मध्य ।
	(ख) छाती	बिना फुलाकर 80 से०मी० फुलाकर 85 से०मी०	बिना फुलाकर 80 से०मी० फुलाकर 85 से०मी०	बिना फुलाकर 81 से०मी० फुलाकर 86 से०मी० उम्मीदवार के पद और अधिवास के अनुसार 75 से०मी० से 77 से०मी० तक (बिना फुलाकर) और 80 से०मी० से 82 से०मी० (फुलाकर) के मध्य ।
	(ग) भार	कद और आयु के अनुसार ।		

टिप्पणी : कद और सीने के मापों में कुछ विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को छूट दी जाती है, जैसे कि आदिवासी और वीर कौम के व्यक्ति, इत्यादि को ।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों (नेशनल सिक्योरिटी गार्ड) के अलावा, कांस्टेबल और राईफलमैन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती की जाती है । प्रत्येक राज्य संघ शासित क्षेत्र को जनसंख्या के अनुपात से वार्षिक रिक्तियों का आवंटन किया जाता है और इन रिक्तियों के लिए पर्याप्त प्रचार किए जाने के बाद ही विभिन्न स्थानों से चरणबद्ध तरीके में भर्तियां की जाती हैं । वे उम्मीदवार जो पात्रता की निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, अधिसूचित केन्द्रों पर परीक्षा दे सकते हैं । इस प्रक्रिया से प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार बलों में ठीक ठीक भर्ती सुनिश्चित की जाती है ।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में केवल प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ही नियुक्तियां की जाती हैं ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में महानिदेशक का रिक्त पद

2264. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन कार्यरत कौन-कौन से संस्थानों में प्रमुख/सर्वोच्च अधिकारी नहीं हैं और यह पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में महानिदेशक का पद रिक्त पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो कब से;

(घ) पद को न भरने के क्या कारण है; और

(ङ) यह पद कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० सेंका) : (क) महोदय, एक विवरण संलग्न है ।

(ख) से (ङ) महोदय, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग में भारत सरकार के सचिव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक के रूप में काम करते हैं । कृषि और सहकारिता

विभाग में भारत सरकार के सचिव महोदय ने 5-4-1990 से कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार संभाला हुआ है। भा०कृ०अ० परिषद के महानिदेशक की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जानी है। इस संबंध में आयोग की सिफारिश का इन्तजार है।

विवरण

क्र० सं०	संस्थान का नाम	कब से प्रमुख का पद खाली है
1.	राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर	अगस्त, 1986
2.	सब्जी निदेशालय	अक्तूबर, 1986
3.	राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, कालीकट	दिसम्बर, 1986
4.	राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र, पुट्टूर	दिसम्बर, 1986
5.	राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबन्ध केन्द्र, फरीदाबाद	जुलाई, 1987
6.	भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची	जनवरी, 1988
7.	भारतीय मांस अनुसंधान केन्द्र	नवम्बर, 1986
8.	कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, बम्बई	मई, 1988
9.	केन्द्रीय मृदा और भूमि संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून	सितम्बर, 1989
10.	केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान, भोपाल	अक्तूबर, 1989
11.	राष्ट्रीय खुम्भी अनुसंधान केन्द्र, सोलन	मार्च, 1990
12.	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	अप्रैल, 1990
13.	केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	अप्रैल, 1990
14.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	जुलाई, 1990
15.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	जुलाई, 1990
16.	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार	जुलाई, 1990
17.	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	नवम्बर, 1990
18.	केन्द्रीय मत्स्य पालन प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचीन	जुलाई, 1991
19.	केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम	फरवरी, 1991
20.	राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी और नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली	जुलाई, 1991

नदियों का राष्ट्रीयकरण

[अनुवाद]

2265. **डा० वी० राजेश्वरन** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की सभी नदियों के राष्ट्रीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गंगा और कांवेरी नदियों को जोड़ने में किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गंगा को कावेरी के साथ जोड़ने के प्रस्ताव की जांच सरकार द्वारा पहले ही की गई है किन्तु यह लागत-प्रतिरोधक और अव्यवहार्य पाई गई थी। इस लिए प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई नहीं की गई।

तमिलनाडु में पंडियार-पोन्नमबलम बांध परियोजना

2266. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार को पोल्लाची के निकट पांडियार-पोन्नमबलम बांध के निर्माण का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक मंजूरी दी जाएगी ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने पोल्लाची के पास पांडियार पोन्नमबलम बांध के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। तथापि, पांडियार पोन्नापुझा जल विद्युत परियोजना नामक एक परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुई थी जो राज्य सरकार को इस टिप्पणी के साथ लौटा दी गई कि वह अन्तर्राज्यीय पहलुओं को हल करने के पश्चात इसे पुनः प्रस्तुत करें।

कनाट प्लेस की दुकानों के कार्य घन्टे

2267. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने कनाट प्लेस क्षेत्र में दुकानों को रात्रि 9 बजे तक खोलने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसा करने से इस क्षेत्र की दुकानों के कर्मचारियों विशेषकर महिला कर्मचारियों को असुविधा होगी और रात्रि में गुण्डागिरी को बढ़ावा मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत महिलाएं

[हिन्दी]

2268. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अर्द्ध सैनिक बलों में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं;

(ख) इन बलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान नियुक्त की गई महिलाओं की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत महिलाओं की संख्या अनुपात में कम है; और

(घ) यदि हां, तो इन बलों में और अधिक महिलाओं की नियुक्ति को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में 2810 महिलाएं कार्य कर रही हैं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान (1988–90) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में नियुक्त की गई महिलाओं की संख्या के राज्य वार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	नियुक्त की गई महिलाओं की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	40
असम	33
बिहार	52
गुजरात	2
हरियाणा	36
हिमाचल प्रदेश	26
जम्मू और कश्मीर	13
कर्नाटक	53
केरल	87
मध्य प्रदेश	35
महाराष्ट्र	39
मणिपुर	9
मेघालय	7
मिजोरम	9
नागालैंड	7
उड़ीसा	25
पंजाब	52
राजस्थान	29
तमिलनाडु	61
त्रिपुरा	3
उत्तर प्रदेश	114
पश्चिम बंगाल	72
चण्डीगढ़	9
पांडिचेरी	1
दिल्ली	91
योग	905

(ग) इन बलों के स्वरूप, उनके कार्य करने की अपेक्षाओं और जिन परिस्थितियों में वे कार्य करते हैं उसे ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में महिलाओं का अनुपात बहुत अधिक कम नहीं समझा जाता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशें

[अनुवाद]

2269. **श्री के० प्रधानी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुलिस आयोग की उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है; और

(ख) उन्हें कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) "पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण, राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू करना राज्य सरकारों का काम है। उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि आयोग की रिपोर्ट का उनके द्वारा अच्छी तरह से अध्ययन किया गया है और जहां तक उपयुक्त समझा गया, कार्रवाई करने के पर्याप्त उपाय किए गए हैं ।

उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सिंचाई के अन्तर्गत भूमि

2270. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :**
श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 1990-91 के दौरान कुल कितने हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई; और

(ख) उन राज्यों में 1991-92 के दौरान कुल कितने क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) 3 राज्यों में सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र निम्नवत है :—

	वर्ष 1990-91 (प्रत्याशित)	वर्ष 1991-92 (लक्ष्य) (हजार हेक्टेयर में)
उड़ीसा	117.32	54
महाराष्ट्र	128.50	73
मध्य प्रदेश	188.00	140

उड़ीसा में धमारा मत्स्यन बंदरगाह

2271. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बालासोर जिले स्थित धमारा मत्स्यन-बंदरगाह को 31 मार्च, 1991 तक कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई और देने का प्रस्ताव है;

(ख) इसे एक प्रमुख मत्स्यन-बंदरगाह में बदलने के लिए क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उड़ीसा के समुद्र तट के विस्तृत समुद्री संसाधनों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) उड़ीसा सरकार को धमारा मत्स्य बन्दरगाह के लिए दी गई कुल केन्द्रीय सहायता 69,22,335 रुपए है। कोई और धनराशि देय नहीं है ।

(ख) उड़ीसा राज्य सरकार से धमारा मत्स्यन बन्दरगाह को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ग) भारत सरकार ने उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री संसाधनों का दोहन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए उड़ीसा में 7 मत्स्य अवतरण केन्द्रों के अलावा तीन छोटे और एक बड़े मात्स्य की बन्दरगाह की मंजूरी दी है। इसके अलावा, नोराड सहायता प्राप्त उड़ीसा मात्स्यकी जिला विकास कार्यक्रम (कसफल) का मार्च, 1985 से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य कसफल की आबादी के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाएं

[हिन्दी]

2272. **श्री राम नारायण बैरवा :**
श्री जी० देवराय नायक :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आठवीं योजना में इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां ।

(ख) 8वीं योजना (1990—95) के प्रारूप में निहित प्रस्तावों में दूरसंचार विभाग ने योजना के अन्त तक ग्रामीण और जन-जातीय/पहाड़ी क्षेत्रों के लिए व्यवहारिक तौर पर मांग होते ही टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने और प्रत्येक ग्राम पंचायत में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने

की व्यवस्था की है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग रु० 5100 करोड़ की लागत से 8 लाख नए कनेक्शन प्रदान करने के लिए स्थानीय स्विचन क्षमता में लगभग 10.6 लाख लाइनों की वृद्धि करनी होगी। लगभग रु० 1040 करोड़ के अनुमानित परिव्यय से 2.45 लाख टेलीफोन कनेक्शन और 6 मोशनल टेलेक्स एक्सचेंजों के साथ-साथ 650 टेलेक्स लाइनें प्रदान करने के लिए स्थानीय स्विचन क्षमता में लगभग 2.85 लाख लाइनों की वृद्धि करने की व्यवस्था का विचार है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में "हाट रोलिंग मिल"

[अनुवाद]

2273. **डा० सुधीर राय :** क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में "हाट रोलिंग मिल" स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में तीस्ता बांध परियोजना

2274. **डा० सुधीर राय :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीस्ता बांध परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ख) परियोजना पर कितना खर्च हुआ और इस उद्देश्य के लिए अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सितम्बर, 1990 की संशोधित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, तीस्ता बांध परियोजना के चरण-I पहले उप-चरण की अद्यतन अनुमानित लागत 695 करोड़ रुपए है।

(ख) परियोजना पर मार्च, 1991 तक 334.63 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। 1983-84 के दौरान परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता और 1986-87 के दौरान 15 करोड़ रुपए और 1987-88 के दौरान 10 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता प्रदान की गई है।

(ग) परियोजना को नौवीं योजना में आगे ले जाने का निश्चय किया गया है।

तमिलनाडु में लिट्टे की गतिविधियां

2275. **डा० सुधीर राय :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिट्टे उग्रवादी तमिलनाडु में अभी भी सक्रिय हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) तमिलनाडु में लिट्टे की गतिविधियां चिन्ता का विषय बनी हुई है ।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि लिट्टे की उग्रवादी गतिविधियों को समाप्त करने और भारत में उनकी घुसपैठ को रोकने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं । इसमें समुद्र तट पर और तट से दूर, चौकियां स्थापित करना तथा गश्त गहन करना शामिल है । इस संबंध में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को सभी संभव सहायता उपलब्ध करवा रही है ।

दक्षिण भारत जल ग्रिड

2276. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग करने हेतु सभी प्रमुख नदियों को मिलाकर एक दक्षिण भारत जल ग्रिड बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दक्षिणी राज्यों से इस संबंध में परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर उन राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया रही ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यों के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के अन्तर्गत दक्षिणी नदियों के अन्त: सम्पर्क का प्रस्ताव किया गया है ।

(ख) महानदी को गोदावरी, गोदावरी को कृष्णा, कृष्णा को कावेरी और कावेरी को वैगई के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है । सूखा प्रवण क्षेत्रों को जल आपूर्ति के लिए पश्चिम की ओर बहने वाली पम्बा और अचनकोविल नदियों को पूर्व की ओर बहने वाली वैगई नदी के साथ जोड़ने का प्रस्ताव भी है ।

(ग) और (घ) तकनीकी और प्रशासनिक समितियों में प्रतिपादन के विभिन्न स्तरों पर प्रस्तावों के बारे में विचार-विमर्श किया जाता है । इन समितियों में संबंधित राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है और राज्यों से प्राप्त सुझावों के अनुसार इन प्रस्तावों को संशोधित किया जाता है ।

पम्बा-अचमकोविल-वैगई सम्पर्क पर व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्ट राज्यों को भेज दी गई है और उनके साथ आगे विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

गैर सरकारी क्षेत्र में कोरियर सेवा

2277. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र में कोरियर सेवा में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान स्पीड पोस्ट सेवा में भी काफी विस्तार हुआ है;

(ग) यदि हां, तो स्पीड पोस्ट सेवा की विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) जनता के हित में इस सेवा के कार्य क्षेत्र में आगे विस्तार करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र और डाक विभाग के बीच हुए सहयोग का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां, सरकार को प्राइवेट कूरियर सेवाओं के बारे में जानकारी है ।

(ख) जी हां । स्पीड पोस्ट सेवा 1-8-86 को प्रारंभ की गई थी और शुरू में इसे 7 शहरों में चालू किया गया था । तब से अन्तर्देशीय स्पीड पोस्ट सेवा के अन्तर्गत 60 शहरों और अन्तर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा के अन्तर्गत 48 देशों तक इस सेवा का विस्तार किया गया है ।

(ग) स्पीड पोस्ट सेवा एक गारंटी शुदा और निश्चित समय के भीतर वितरण करने वाली सेवा है । इस सेवा की खास विशेषताएं निम्नलिखित हैं:—

(i) फ्री पिक-अप सर्विस

(ii) अपनी मदें स्वयं बुक करने की स्कीम (बुक यूअर ओन आर्टिकल स्कीम)
उपभोक्ता अपनी ही रसीद जारी करता है और इसकी प्रति डाक वस्तु के साथ विभाग के प्रतिनिधि को सौंप देता है ।

(iii) पहले बुक करें भुगतान बाद में करें (बुक नाउ पे लेटर फैसिलिटी)
पूर्व अदायगी किए बिना वस्तुओं की बुकिंग और बिलों का साप्ताहिक आधार पर समायोजन ।

(iv) पे बैंक फैसिलिटी : निश्चित समय के भीतर वितरण न होने के मामले में स्पीड पोस्ट शुल्क की वापसी ।

(घ) प्राइवेट कूरियर इस काम को स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं । उनके और डाक विभाग के बीच कोई सहयोग नहीं है ।

जयपुर, राजस्थान में डाक वापसी कार्यालय

[हिन्दी]

2278. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या जयपुर, राजस्थान में डाक वापसी कार्यालय बन्द कर दिया गया है ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) डाक वापसी कार्यालय बन्द करने अथवा खोलने के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रत्येक डाक सर्किल के लिए या तो अलग से या फिर आस-पास के एक अथवा एक से अधिक सर्किलों के लिए एक पुनः प्रेषण केन्द्र होता है । सरकार की किसी पुनः प्रेषण केन्द्र को बन्द करने की या कोई नया पुनः प्रेषण केन्द्र खोलने की कोई योजना नहीं है ।

टिहरी बांध के पानी में राजस्थान का हिस्सा

2279. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से टिहरी बांध के पानी में राजस्थान के हिस्से से संबंधित मामले को शीघ्र हल करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखा है कि वह राजस्थान में क्षेत्रों के लिए टिहरी बांध परियोजना का 10 प्रतिशत जल आबंटित किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को राजी करे । तद्नुसार इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया था जिसने राजस्थान सरकार को जुलाई, 1988 में तथा इस मंत्रालय को सितम्बर, 1988 में सूचित किया कि टिहरी बांध परियोजना पर गंगा जल की वचन-बद्धता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में उसके क्षेत्रों को जल आपूर्ति करना संभव प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान सरकार को अक्तूबर, 1988 में यह सलाह दी गई थी कि वह यह मामला यमुना संबंधी अन्तर्राज्यीय बैठक के समक्ष लाए । यमुना विवाद पर बातचीत करने के लिए जल संसाधनों में अन्तर्राज्यीय मुद्दों पर स्थायी समिति की बैठक सितम्बर, 1990 में आयोजित की गई थी परन्तु इस मुद्दे पर विचार नहीं किया जा सका ।

दंगा नियंत्रक वाहन

[अनुवाद]

2280. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आष्ट्रिया की किसी कम्पनी के सहयोग से मुम्बई की एक फर्म द्वारा निर्मित दंगा नियंत्रक वाहनों का देश के कश्मीर जैसे कुछ भागों में प्रयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या दंगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सप्लाई करने के लिए ऐसे वाहनों को बड़े पैमानों पर प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार अपनी इच्छा के उपकरणों का प्रयोग कर सकती है । भारत सरकार के पास, राज्य सरकारों द्वारा प्रयोग किए जा रहे वाहनों के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

भारत-बंगला देश सीमा पर बाड़ लगाना

2281. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और बांगला देश के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या बाड़ लगाने के मुद्दे पर बांगला देश के साथ कोई विवाद है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) भारत बंगला देश सीमा पर अब तक 36.57 कि० मी० के लम्बे क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य किया गया है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

भारतीय एल्यूमिनियम प्राधिकरण की स्थापना

2282. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का एक "भारतीय एल्यूमिनियम प्राधिकरण" की स्थापना करने एवं मूल्यों को नियंत्रित करने की दृष्टि से सभी एल्यूमिनियम कारखानों को इस प्राधिकरण के प्राधिकार में लाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ स्थित "मैगनेसाईट" परियोजना

[हिन्दी]

2283. **श्री जीवन शर्मा** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ में भारत रिफैक्ट्रीज लिमिटेड की पिथौरागढ़ "मैगनेसाईट" परियोजना को बन्द करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) सरकार ने प्रस्तावित पिथौरागढ़ मैगनेसाइट प्रोजेक्ट को कार्यान्वित न करने के सम्बन्ध में भारत रिफैक्ट्री लिमिटेड के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया है क्योंकि यह महसूस किया गया था कि तापमह्रों के मांग प्रतिरूप में परिवर्तन करने के परिणामस्वरूप परियोजना अर्थक्षम नहीं रहेगी ।

प्रति व्यक्ति दूध की खपत

2284. **श्री विलासरा बनागनाथराव गुंडेवार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में वर्ष 1990-91 के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति दूध की खपत पृथक-पृथक कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1990-91 के दौरान दूध की प्रति व्यक्ति खपत शहरी क्षेत्रों में 107 ग्राम और ग्रामीण क्षेत्रों में 126 ग्राम थी ।

महाराष्ट्र में नान्देड़ तथा परभणी जिलों में टेलीफोन कनेक्शन

2285. **श्री विलासराव गुंडेवार** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के नान्देड़ और परभणी जिलों में आवेदकों को ऐसे कितने नये टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं जिनके नाम 1990 के दौरान प्रतीक्षा सूची में थे; और

(ख) वर्ष 1992 के दौरान कितने नये टेलीफोन कनेक्शन जारी किये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) 1990 के दौरान नानदेड़ और परभनी जिलों में क्रमशः 313 और 331 नए टेलीफोन कनेक्शन दिए गए ।

(ख) 1992 के दौरान प्रदान किए जाने वाले नए टेलीफोन कनेक्शनों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है :—

नानदेड़ . . .	450
परभणी . . .	500

बिहार में ईंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की इकाई की स्थापना

2286. **श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में भारतीय टेलीफोन उद्योग की यूनिट स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल, आई०टी०आई० की कोई नई यूनिट स्थापित करने की योजना नहीं है।

कीटनाशकों में मिलावट

[अनुवाद]

2287. **श्री उमारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़े पैमाने पर कीटनाशकों में मिलावट की जा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मिलावट के कितने मामले पकड़े गए हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) देश में कृमिनाशी दवाईयों में बड़े पैमाने पर मिलावट के बारे में कोई सूचना नहीं है। लेकिन, कृमिनाशी दवा अधिनियम, 1968 के अधीन अधिसूचित कृमिनाशी दवा निरीक्षकों द्वारा लिये गये कृमिनाशी दवाओं के नमूनों में से 3.7 प्रतिशत से 4.9 प्रतिशत नमूने घटिया पाये गये हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में विश्लेषित और घटिया पाये गये नमूनों की संख्या इस प्रकार है:—

वर्ष	विश्लेषित नमूने	घटिया पाये गये नमूने	घटिया की प्रतिशतता
1987-88 . .	38053	1402	3.7
1988-89 .	34912	1312	3.9
1989-90 . .	41267	2031	4.9

(ग) राज्य सरकारों ने कृमिनाशी दवा अधिनियम, 1968 को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण पदाधिकारी अधिसूचित किए हैं। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित कृमिनाशी दवा निरीक्षक नियमित रूप से कृमिनाशी दवाओं के नमूने प्राप्त करते हैं तथा उन्हें परीक्षण के लिए कृमिनाशी दवा विश्लेषकों को भेजते हैं। देश में 39 राज्य कृमिनाशी दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक जाल बिछा हुआ है जिनकी विश्लेषण क्षमता प्रति वर्ष 44,000 से अधिक नमूनों का विश्लेषण करने की है। केन्द्रीय सरकार ने भी एक केन्द्रीय कृमिनाशी दवा प्रयोगशाला को एक संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया है। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा क्वालिटी नियंत्रण के प्रयासों में की गई प्रगति की समीक्षा कृषि मंत्रालय द्वारा समय-समय पर की जाती है ताकि देश में निर्मित होने वाली और बेची जाने वाली कृमिनाशी दवाओं की क्वालिटी में सुधार लाया जा सके।

द्विपक्षीय मुद्दों पर भारत-पाक वार्ता

2288. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**
श्री के० प्रधानी :
श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तान के विदेश सचिव ने भारत की यात्रा की थी और दो देशों के बीच द्विपक्षीय विभिन्न मामलों पर अपने भारतीय प्रतिपक्षी के साथ बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सीमा विवाद के मसले पर भी बातचीत हुई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दो देशों के बीच अन्य स्तरों पर विभिन्न मामलों पर की गई बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं;

(च) क्या सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के बारे में पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत आरम्भ की है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) से (घ) भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता का चौथा दौर 4 से 6 अप्रैल, 1991 तक हुआ था। इस बातचीत में सभी द्विपक्षीय मामलों पर विचार-विमर्श किया गया और साथ ही आपसी हित के अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ। इस बातचीत में पाकिस्तान को यह बताया गया कि द्विपक्षीय संबंधों की मौजूदा समस्या की जड़ इस बात में है कि वह पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में आंतकवाद और तोड़फोड़ की गतिविधियों को समर्थन दे रहा है।

विदेश सचिवों ने 6 अप्रैल, 1991 को निम्नलिखित के संबंध में दो करारों पर हस्ताक्षर किए।

(i) सैनिक अभ्यास, सैन्य युक्तियों और सैनिक गतिविधियों के संबंध में पूर्व सूचना।

(ii) वायु क्षेत्र के उल्लंघन पर रोक और सैनिक विमानों को अपने वायु क्षेत्र से होकर उड़ने या उतरने की इजाजत देना।

इस बात पर भी सहमति हुई कि जो बहुत-से अनसुलझे द्विपक्षीय मसले पड़े है उन पर बातचीत की जाए, तथा सिद्धान्त रूप में भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग के उप आयोग की बैठक परस्पर सुविधा जनक तारीखों पर बुलाने का भी फैसला किया गया। विदेश सचिव स्तर की वार्ता का पांचवां दौर आयोजित करने पर भी सहमति हुई। यह बातचीत अब सितम्बर, 1991 के लिए तय हुई है।

(ङ) भारत और पाकिस्तान के महासर्वेक्षकों की एक बैठक नई दिल्ली में 23 से 26 मार्च, 1991 तक हुई थी जिसमें सरक्रीक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को अंकित करने पर विचार-विमर्श हुआ था। इस बातचीत से दोनों पक्ष एक-दूसरे के दृष्टिकोण को ज्यादा अच्छी

तरह समझ सकें। इस प्रश्न पर सचिवों के स्तर पर और आगे बातचीत की जानी है जिनकी बैठक इस महीने के आखिर में होने वाली है।

नशीली दवाईयों के अवैध व्यापार और तस्करी को रोकने से सम्बद्ध भारत-पाकिस्तान समिति की बैठक 30-31 जुलाई, 1991 को इस्लामाबाद में हुई थी जिसमें दूसरी बातों के अलावा इस बात पर भी सहमति हुई थी कि भारत-पाकिस्तान सीमा के आर-पार नशीली दवाईयों के अवैध व्यापार और तस्करी को रोकने के लिए सूचना के आदान-प्रदान में तेजी बरती जाएगी।

(च) और (छ) विदेश सचिव स्तर की चौथे दौर की बातचीत में सिद्धान्ततः इस बात पर सहमति हुई कि किसी उपयुक्त समय पर सियाचीन के बारे में बातचीत शुरू की जाएगी।

नये इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

[हिन्दी]

2289. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान कितने इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का लक्ष्य निश्चित किया गया है; और

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान कितने इलेक्ट्रानिक्स टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए और कितने अभी खोले जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज खोलने के लिए 2957 एक्सचेंजों का लक्ष्य निश्चित किया गया था।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान 2987 इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज खोले गए तथा वर्ष 1991-92 के दौरान 4472 इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज/एक्सचेंज यूनिट खोले जाने का प्रस्ताव है।

कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

[अनुवाद]

2290. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित विदेशी मुद्रा अर्जित की गई :—

वर्ष	राशि (लाख रुपए)
1990-91 . . .	22898
1989-90 .	17440
1988-89 . . .	11639

(ख) कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड आशा करती है कि वह वर्ष 1991-92 के दौरान विभिन्न देशों को लौह अयस्क सांद्रण और पैलेटों के निर्यात से 25,000 लाख रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकेगी। हाल ही में घोषित विनिमय दर समायोजन के अनुवर्ती प्रभाव से इसमें वृद्धि हो सकती है।

शरणार्थियों को श्रीलंका वापस भेजा जाना

2291. **श्रीमती वासव राजेश्वरी :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु से श्रीलंका के शरणार्थियों को स्वदेश वापस भेजने के तौर-तरीकों पर भारत और श्रीलंका विचार-विमर्श कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने मन्नार द्वीप में एक शरणार्थी केन्द्र स्थापित करने में श्रीलंका को मदद देने पर सहमति व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) श्रीलंका के विदेश मन्त्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान भारतीय पक्ष ने इस बात पर बल दिया था कि श्रीलंका की सरकार को ऐसे कदम उठाने ही चाहिए कि इस समय भारत में जो शरणार्थी हैं वे शीघ्र और खुद-ब-खुद वापस जाने के लिए प्रोत्साहित हों।

(ग) और (घ) पीसलाई और मदु (जिला मन्नार) में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग के मौजूदा राहत कार्यों के लिए भारत सरकार ने लगभग 1.17 करोड़ रुपये मूल्य की राहत सामग्री दी है।

त्वरित डाक सेवा

2292. **श्रीमती वासव राजेश्वरी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ और नगरों में त्वरित डाक सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं। फिलहाल और शहरों में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में नये टेलीफोन कनेक्शन

2293. **श्रीमती वासव राजेश्वरी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के बेलारी जिले में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कुल कितने प्रार्थना पत्र लंबित पड़े हैं; और

(ख) प्रार्थियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) 30-6-1991 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक के बेलारी जिले में प्रतीक्षा सूची में दर्ज लोगों की संख्या 1074 है।

(ख) मार्च, 1993 तक आवेदकों को उत्तरोत्तर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाने की संभावना है।

साबौर, बिहार में विक्रमशिला कृषि विश्वविद्यालय

[हिन्दी]

2294. श्री भोगेन्द्र झा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में साबौर में विक्रमशिला कृषि विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक खोले जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों से पासपोर्ट जारी करना

[अनुवाद]

2295. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1990 को पासपोर्ट के लिए लम्बित प्रार्थनापत्रों की पासपोर्ट कार्यालय-वार कुल संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान पासपोर्ट कार्यालय-वार कुल कितने पासपोर्ट के प्रार्थना-पत्र प्राप्त किये गये और कितने निपटाये गये;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान पासपोर्ट कार्यालय-वार कुल कितने पासपोर्ट जारी किये गये और कितने पासपोर्टों की वैधता बढ़ाई गई; और

(घ) पासपोर्ट अधिकारियों की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी): (क) पासपोर्ट कार्यालय-वार विस्तृत जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों से जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) जानकारी संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

1-4-1990 को बकाया पड़े पासपोर्ट आवेदन-पत्रों की कुल संख्या का विवरण

क्रम सं०	पासपोर्ट कार्यालय	बकाया कार्य की स्थिति
1.	अहमदाबाद	14280
2.	बंगलौर	9329
3.	बरेली	11036
4.	भोपाल	3550
5.	भुवनश्वर	722
6.	बम्बई	24042
7.	कलकत्ता	8869
8.	चण्डीगढ़	33493
9.	कोचीन	17867
10.	दिल्ली	8043
11.	गोवा	1157
12.	गुवाहाटी	1694
13.	हैदराबाद	15671
14.	जयपुर	13334
15.	जालन्धर	53825
16.	कोजिकोड	14509
17.	लखनऊ	15159
18.	मद्रास	5016
19.	नागपुर	955
20.	पटना	4779
21.	श्रीनगर	3937
22.	त्रिची	17645
		278912

विवरण-II

वर्ष 1990-91 में प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट अथवा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सेवाओं का विवरण

क्रम सं०	पासपोर्ट कार्यालय	जारी किए गए पासपोर्ट	उपलब्ध कराई गई सेवाएं
1.	अहमदाबाद	90732	68190
3.	बंगलौर	61882	33650
3.	बरेली	44343	21054
4.	भोपाल	17180	9506
5.	भुवनेश्वर	5766	2015
6.	बम्बई	229495	180110
7.	कलकत्ता	47106	20887
8.	चण्डीगढ़	78576	25951
9.	कोचीन	128348	98227
10.	दिल्ली	84186	78839
11.	गोवा	9662	18230
12.	गुवाहाटी	5901	1883
13.	हैदराबाद	98799	53900
14.	जयपुर	64535	28425
15.	जालन्धर	103815	33718
16.	कोजिकोड	110528	63707
17.	लखनऊ	49270	15567
18.	मद्रास	69063	53834
19.	नागपुर	6488	2295
20.	पटना	21980	7773
21.	त्रिची	113070	40197
		1440725	857958

विवरण-III

पासपोर्ट कार्यालयों की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम :—

1. निम्नलिखित श्रेणी के आवेदकों को पासपोर्ट जारी किए जाने से पूर्व पुलिस तथा सी०आई०डी० साक्ष्यांकन से छूट दी गई है;

(क) सभी सरकारी कर्मचारी अथवा सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी, जो अपने आवेदनों के साथ विभागीय स्टेशनरी पर अपने विभागीय अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित अनापत्ति प्रमाण-पत्र और साक्ष्यांकन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं ।

(ख) यदि आवेदक अपने आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा हस्ताक्षरित साक्ष्यांकन प्रमाण-पत्र संलग्न करता है;

(i) भारत सरकार के उप सचिव अथवा उससे ऊपर के ओहदे के अधिकारी;

(ii) राज्य सरकार के संयुक्त सचिव अथवा उससे ऊपर के ओहदे के अधिकारी;

(iii) सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट तथा उससे ऊपर के ओहदे के अधिकारी;

(iv) जिला पुलिस अधीक्षक अथवा उससे ऊपर के ओहदे के अधिकारी ।

(ग) सेवानिवृत्त राजपत्रित सरकारी कर्मचारी ।

(घ) संघीय संसद (राज्य सभा तथा लोक सभा) तथा राज्य विधान मण्डलों (विधान सभा व विधान परिषद) के भूतपूर्व सदस्य ।

2. ऐसे अन्य सभी मामलों में जिनमें क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी/पासपोर्ट अधिकारी आवेदक की वास्तविकता से अन्यथा संतुष्ट हों; उस स्थिति में पासपोर्ट जारी किया जा सकता है; यदि पुलिस तथा सी०आई०डी० को संबंधित व्यक्तियों के ब्यौरे के फार्म भिजवाए जाने की तारीख के बाद, वे चार सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजते हैं ।

3. 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पुलिस साक्ष्यांकन के बिना पासपोर्ट जारी किया जा सकता है ।

4. सामान्य पासपोर्ट धारकों को 10 साल की वैधता अवधि की समाप्ति पर बिना पूर्व पुलिस/सी०आई०डी० साक्ष्यांकन के पासपोर्ट जारी किया जा सकता है ।

5. इसके अतिरिक्त इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि निपटान शीघ्र हो प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय के मामले में साप्ताहिक प्रगति रिपोर्टों के जरिये इस बात पर निगरानी रखी जाती है कि कितने पासपोर्ट जारी किए गए हैं और कितना कार्य बकाया पड़ा है ।

6. 16 अगस्त, 1990 से, नये पासपोर्ट शुरू में ही दस वर्ष की वैधता अवधि के लिए जारी किए जा रहे हैं, ताकि पासपोर्ट धारक को प्रथम पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए पासपोर्ट कार्यालय आने की आवश्यकता न पड़े, जैसाकि अगस्त, 1990 से पहले होता था ।

पासपोर्ट कार्यालयों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए उठाये गये कदम ;

(1) पासपोर्ट कार्यालयों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

(2) निर्धारित बचत प्रावधानों के अन्तर्गत पासपोर्ट कार्यालयों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए नैमित्तिक कर्मचारियों को रखने तथा पात्र कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देने की अनुमति दी गई है ।

बिहार में जलाशय योजना

[हिन्दी]

2296. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सोन सिंचाई योजना की पूरी क्षमता से जल उपलब्ध कराने के लिए जलाशय निर्माण करने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसको कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) संभवतः संदर्भित परियोजना बिहार की कदवान जलाशय परियोजना है। राज्य सरकार ने सोन नदी पर कदवान जलाशय के निर्माण के लिए प्रस्ताव तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के वास्ते अगस्त, 1987 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया था। परियोजना की जांच की गई तथा उसे संशोधन के वास्ते जनवरी, 1988 में राज्य सरकार को लौटा दिया गया। यहां तक कि जून, 1990 में प्राप्त हुई संशोधित रिपोर्ट में भी अनेक मूल कमियां पाई गई। उदाहरण के लिए इस बहुप्रयोजनी परियोजना में केवल बांध के बारे में विवरण दिया गया था, सिंचाई और जल विद्युत घटकों का विवरण नहीं दिया गया था तथा बेसिन राज्यों की उनके जलमग्न होने वाले क्षेत्रों के बारे में सहमति नहीं ली गई थी, पर्यावरणीय और वन पहलुओं के विषय में भी सहमति नहीं ली गई थी तथा परियोजना के जल विज्ञान पक्ष को भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। अतः इस परियोजना को जुलाई, 1990 में राज्य सरकार को लौटाना पड़ा।

चूंकि इस परियोजना में विद्यमान सोन कमान क्षेत्र में सिंचाई स्थापित करने तथा जल विद्युत उत्पादित करने का प्रस्ताव किया गया है, अतः परियोजना के जल विज्ञान पक्ष को अन्तिम रूप दिए जाने पर ही लाभ और अन्य विवरण निर्धारित किए जा सकते हैं। केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करके राज्य सरकार द्वारा संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए केन्द्रीय सहायता

2297. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए धनराशि मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त धनराशि कब तक जारी किए जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आठवीं योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना का द्वितीय चरण

2298. **श्री राम लखन सिंह यादव :**
श्री छेदी पासवान :

क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के द्वितीय चरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) परियोजना कब तक पूरी किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बिहार सरकार ने सुवर्णरेखा बहु-प्रयोजनी परियोजना सोपान-II पर संशोधित अभिज्ञान रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के वास्ते सितम्बर, 1988 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की थी, जिसकी अनुमानित लागत 858.6 करोड़ रुपए है, जिसमें वर्ष 1982 में स्वीकृत की गई परियोजना का शेष कार्य शामिल है तथा अन्य घटकों के रूप में आधुनिकीकरण, नई सिंचाई और जल विद्युत स्कीमें भी शामिल हैं। इस स्कीम की जांच की गई तथा राज्य सरकार से मार्च, 1989 में यह अनुरोध किया गया था कि वे या तो सुवर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना सोपान-II के क्षेत्र से अन्य घटकों को निकाल दें अथवा तकनीकी परामर्श समिति से शीघ्र स्वीकृति प्राप्त कर लें।

(ख) सुवर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना पर मार्च, 1990 तक 464.16 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्याशित व्यय 76.31 करोड़ रुपए है। योजना आयोग के कार्य दल ने वर्ष 1991-92 के परिव्यय के वास्ते 100 करोड़ रुपए की संस्तुति की है।

(ग) बिहार सरकार की सितम्बर, 1988 की सुवर्णरेखा परियोजना सोपान-II पर अभिज्ञान रिपोर्ट के अनुसार परियोजना को वर्ष 1989-90 के आधार वर्ष पर 1997-98 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

अधिक उत्पादक किस्म के बीज

[अनुवाद]

2299. **श्री फूल चन्द वर्मा :**
श्री यशवन्तराव पाटिल :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक किसानों को अधिक उत्पादक किस्म के बीजों की पर्याप्त सप्लाई नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार का किसानों को अधिक उत्पादक किस्म के बीजों की समय पर पर्याप्त मात्रा की सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) अधिक उपज देने वाले बीजों सहित बीजों का उत्पादन और वितरण करना मूलतया राज्य सरकार की जिम्मेवारी है जो इस काम को राज्य सरकारी बीज फार्मों, राज्य बीज निगम, शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं आदि जैसी संस्थाओं के माध्यम से करती है, उनके प्रयासों में राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम जैसी राष्ट्रीय बीज उत्पादक एजेंसियां अपने-अपने बुनियादी ढांचों के जरिए सहायता करती हैं। जहां तक भारत सरकार के प्रयासों का सम्बन्ध है वे बुवाई के प्रत्येक मौसम अर्थात खरीफ और रबी से पहले क्षेत्रीय बीज सम्मेलन आयोजित करती है। खरीफ 1991 की आवश्यकता और उपलब्धता की राज्य सरकारों के साथ समीक्षा की गई और यह पाया गया कि अधिक उपज देने वाली किस्मों के 18.92 लाख क्विंटल बीज की आवश्यकता के मुकाबले 19.02 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध थे।

(ग) बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय बीज उत्पादक एजेंसियों तथा केन्द्रीय क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के जरिए भी उनके प्रयासों में सहायता करती है।

बिहार में भू-संरक्षण

[हिन्दी]

2300. **श्री छेदी पासवान :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में केन्द्रीय प्रायोजित भू-संरक्षण की कितनी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

(ख) बिहार में वर्ष 1990-91 के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) सरकार ने बिहार में भू-संरक्षण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) बिहार में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्रीय प्रायोजित मृदा संरक्षण योजनायें हैं—(1) नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण और (2) बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध।

(ख) इन दोनों योजनाओं के लिए बिहार को 1990-91 के दौरान कुल 670 लाख रुपए आबंटित किये गये हैं।

(ग) बिहार में मृदा क्षरण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में क्षेत्र की आवश्यकतानुसार यांत्रिक और जीववैज्ञानिक उपाय शामिल हैं।

असम में बाढ़ और भू-क्षरण पर नियंत्रण के लिए परियोजनाएं

[अनुवाद]

2301. श्री नुरुल इस्लाम : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में भू-क्षरण और बाढ़ पर नियंत्रण के लिए कुछ परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित हैं: और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें कब तक मंजूरी दिये जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) तीन परियोजनाएं हैं और उनकी जांच की जा चुकी है। एक मुकालमुआ, हाऊलाईट क्षेत्र जिसकी लागत 17.83 करोड़ रुपए है कि सुरक्षा हेतु तकनीकी प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार से संबंधित है और अन्य दो नागागुद्दली माईजन क्षेत्र (लागत 17.60 करोड़ रु०) की सुरक्षा से संबंधित और गबरु बांध में आवश्यक बदलाव के बाद उसे मजबूत करने और सुदृढ़ करने पर विचार करना।

टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित करना

2302. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन डायरेक्टरी को गैर-सरकारी स्रोतों से प्रकाशित कराने के क्या कारण हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार और गैर सरकार संस्था के बीच हुए समझौते की शर्तें क्या थीं; और

(ग) टेलीफोन डायरेक्टरी का गैर-सरकारी स्रोतों से प्रकाशन कराने के कारण कितना लाभ और हानि हुई ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) एक विवरण निम्नवत् है :

विवरण

टेलीफोन डायरेक्टरी की मुफ्त वितरण, उसमें छपने के लिए विज्ञापन प्राप्त करना, कागज की सप्लाई, डायरेक्टरी की जिल्द बन्द करना, उसकी छपाई आदि के व्यापक संविदा टेलीफोन डायरेक्टरी को छपाई की नीति के अन्तर्गत लिए गए थे यह निम्नलिखित को दूर करने के उद्देश्य से किया गया था :

(1) कागज की सप्लाई के लिए डी०जी०एस० एण्ड डी० द्वारा दर के करार को अन्तिम रूप दिया जाना ;

(2) विज्ञापनों इत्यादि को अन्तिम रूप दिया जाना ;

(3) निर्माताओं द्वारा कागज की सप्लाई ;

(4) छपाई प्रैसों द्वारा अपर्याप्त साधन क्षमता इत्यादि के कारण देरी ।

2. करार की मुख्य शर्तें सामान्य रूप से निम्न हैं :—

(1) ठेकेदार को यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ताओं से विज्ञापन प्राप्त करे और सरकार/महानगर टेलीफोन निगम की ओर से टेलीफोन डायरेक्टरी को प्रकाशित करें ;

(2) ठेकेदार को विभाग द्वारा टेलीफोन उपभोक्ताओं को मुफ्त वितरण के लिए पर्याप्त संख्या में टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने के अलावा रायल्टी के रूप में सहमत राशि/प्रतिशत भी विभाग को देना होगा । सरकार/विभाग को इसमें कोई हानि नहीं है । इसके विपरीत सरकार को टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित कराने, कागज की लागत, विज्ञापनों आदि को एकत्र करने के कार्य में बचत होने के अलावा रायल्टी के रूप में काफी धनराशि प्राप्त होती है ।

बाढ़ और भूमि-कटाव के नियंत्रण के लिए अनुदान

[हिन्दी]

2303. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छोटी गण्डक, घाघरा, राप्ती, खानुआ और नारायणी नदियों से बाढ़ और भूमि कटाव के नियंत्रण के लिए कोई अनुदान देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) विद्यमान नीति के अनुसार, केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों और ऋणों के रूप में प्रदान की जाती है जो विकास के किसी क्षेत्र अथवा परियोजना से सम्बद्ध नहीं है । वर्ष 1991-92 के अनुमोदित परिव्यय में, इन नदियों में आने वाली बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए अनुदान देने के वास्ते केन्द्रीय क्षेत्र में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है ।

माही बजाज सागर परियोजना

[अनुवाद]

2304. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने बांसवाड़ा के निकट माही-बजाज सागर परियोजना के गेटों में 0.75 "फ्लैप" लगाया है जिससे मध्य प्रदेश की 68 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि प्रभावित होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश को होने वाली हानि को पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी हां, माही बजाज सागर बांध के गेटों में 0.75 मीटर ऊंचे फ्लैप उपलब्ध कराये गए हैं ।

(ख) इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के वास्ते राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों के सिंचाई और जल संसाधन मंत्रियों की बैठक 6 फरवरी, 1991 को नई दिल्ली में बुलाई गई थी । पहले तो इस बैठक में सम्बन्धित राज्यों के साथ, व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के जल संसाधन मन्त्री के सुझाव पर सहमति हुई थी । परन्तु सरकार में तेजी से हुए परिवर्तन के कारण, अनुवर्ती बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं ।

कृषि विश्वविद्यालय का नाम स्वर्गीय चौ० चरण सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव

]हिन्दी]

2305. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय चौ० चरणसिंह के नाम पर एक केन्द्रीय कृषि संस्थान का नामकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि विज्ञान केन्द्र

2306. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार की ओर से राज्य में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव संघ सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्राकृतिक आपदायें

2307. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से धन-जन की कितनी हानि हुई;

(ख) सरकार ने पीड़ितों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाये; और

(ग) सरकार ने गत वर्ष प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1990-91 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण देश में हुई क्षति की मात्रा नीचे दी गई है :—

(1)	मृत मनुष्यों की संख्या	— 2299
(2)	प्रभावित जन संख्या	— 312.00 लाख
(3)	प्रभावित फसल क्षेत्र	— 26.90 लाख हेक्टेयर
(4)	क्षतिग्रस्त मकान	— 18.74 लाख

(ख) मृतकों के निकट सम्बन्धियों को मुफ्त राहत देने के अलावा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए गए अन्य राहत उपायों में राहत शिविर और स्वास्थ्य केन्द्र खोलना, प्रभावित आबादी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और खाद्य पैकटों की सप्लाई आदि शामिल हैं। गेहूं, आटा, नमक और मिट्टी का तेल आदि जैसी अनिवार्य वस्तुएं भी तत्काल आधार पर प्रभावित लोगों को मुहैया की गई थीं ।

(ग) 1990-91 के दौरान आपदा राहत निधि के अधीन किया गया राज्य-वार आवंटन और निर्मुक्त की गई धनराशि प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1990-91 के दौरान विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपए)

राज्य	1990-91 के लिए केन्द्रीय राहत निधि के अन्तर्गत आबंटन	केन्द्रीय अंश	निर्मुक्त की गई अग्रिम राशि सहित निर्मुक्त की गई राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1. आन्ध्र प्रदेश	86.00	64.50	125.66*
2. अरुणाचल प्रदेश	2.00	1.50	1.50
3. असम	30.00	22.50	22.50
4. बिहार	35.00	26.25	26.25
5. गोवा	1.00	0.75	0.75
6. गुजरात	85.00	63.75	63.75
7. हरियाणा	17.00	12.75	12.75
8. हिमाचल प्रदेश	18.00	13.50	13.50
9. जम्मू और कश्मीर	12.00	9.00	9.00
10. कर्नाटक	27.00	20.25	20.25
11. केरल	31.00	23.25	23.25
12. मध्य प्रदेश	37.00	27.75	27.75
13. महाराष्ट्र	44.00	33.00	33.00
14. मणिपुर	1.00	0.75	0.75
15. मेघालय	2.00	1.50	1.50
16. मिजोरम	1.00	0.75	0.75
17. नागालैण्ड	1.00	0.75	0.75
18. उड़ीसा	47.00	35.25	57.13*
19. पंजाब	28.00	21.00	21.00
20. राजस्थान	124.00	93.00	93.00
21. सिक्किम	3.00	2.25	2.25
22. तमिलनाडु	39.00	29.25	29.25
23. त्रिपुरा	3.00	2.25	2.25
24. उत्तर प्रदेश	90.00	67.50	67.50
25. पश्चिम बंगाल	40.00	30.00	30.00
योग	804.00	603.00	686.04

*इसमें आन्ध्र प्रदेश को 61.16 करोड़ रुपए और उड़ीसा को 21.88 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता शामिल है।

बागवानी बोर्ड

2308. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार का राज्यों में और अधिक बागवानी बोर्डों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) राज्य स्तर पर बागवानी बोर्ड की स्थापना के बारे में संबंधित राज्य सरकारों को निर्णय लेना होता है। कई राज्य सरकारों ने पृथक बागवानी विभाग बनाये हैं ताकि बागवानी के विकास पर और अधिक जोर दिया जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर, केन्द्र सरकार ने बागवानी विकास के विभिन्न पहलुओं की देख-रेख करने के लिए एक राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड स्थापित किया है। बोर्ड, सीधे या राज्य सरकारों के माध्यम से कई योजनायें कार्यान्वित कर रहा है जिसके लिए बोर्ड द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

स्थानीय टेलीफोन कालों के लिए समय सीमा

[अनुवाद]

2309. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 जुलाई, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में "प्लान टु मीटर लोकल कालस एवरी थ्री मिनिट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि सितम्बर, 1991 से इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों से की गई सभी कालों के लिए एक समय-सीमा निश्चित कर दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 197, 198, 199 आदि नम्बरों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) अगली टेलीफोन निर्देशिका कब तक प्रकाशित होने की आशा है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) उपभोक्ताओं को फोन पर अपनी बातचीत कम समय में समाप्त करने की ओर प्रेरित करने के लिए, जिससे एक सामान्य उपस्कर अधिक परियात के लिए उपलब्ध हो सके, स्थानीय काल

को तीन मिनट में एक बार मीटर में दर्ज करने का एक प्रस्ताव एम०टी०एन०एल० से प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) जी नहीं, ये सेवायें सामान्य रूप से संतोषजनक हैं । तथापि कभी कभी स्थानीय परिवहन के कारण या अन्य किसी कारण से काफी कर्मचारी अनुपस्थित हो जाते हैं तब ये सेवायें प्रभावित होती हैं ।

(घ) इस संबंध में डायरेक्टरी पूछताछ सेवा की संख्या को और बढ़ाने तथा शिकायत सेवा 198 को कम्प्यूटरीकृत करने का प्रस्ताव है ।

(ङ) दिल्ली के लिए अगली अंग्रेजी की टेलीफोन निर्देशिका दिसम्बर, 1991 तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है ।

बिहार में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

[हिन्दी]

2310. **श्री साईमन मरान्डी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1991 को बिहार में नये टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदकों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की संभावना है; और

(ग) वर्ष 1989, 1990 और 1991 में अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 31-7-91 की स्थिति के अनुसार बिहार में जिला-वार प्रतीक्षा सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) मौजूदा प्रतीक्षा सूची को आठवीं योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर निपटाने के लिए विस्तार योजनाएं बनाई गई हैं। वैसे, बिहार में अधिकांश प्रतीक्षा सूची मार्च, 1993 तक टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाकर/विस्तार करके निपटाए जाने की संभावना है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार हुए विकास का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	उपलब्ध कराए गए नए टेलीफोन
1988-89 . . .	7948
1989-90 . . .	9294
1990-91 . . .	11,757

विवरण

31-7-1991 तक बिहार की जिला-वार प्रतीक्षा सूची

जिला	प्रतीक्षा सूची	जिला	प्रतीक्षा सूची
1. भोजपुर	60	22. गिरीडीह	23
2. रोहतास	35	23. हजारीबाग	303
3. भागलपुर	1377	24. सिंहभूम पूर्व	2671
4. साहेबगंज	41	25. सिंहभूम पश्चिम	364
5. छपरा	69	26. अररिया	12
6. गोपालगंज	64	27. कटिहार	64
7. सीवान	225	28. किशनगंज	14
8. बेगूसराय	138	29. पुर्णिया	277
9. दरभंगा	202	30. मुंगेर	76
10. खगड़िया	53	31. चंपारन पूर्व	31
11. मधुबनी	108	32. चंपारन पश्चिम	2
12. समस्तीपुर	97	33. मुजफ्फरपुर	1402
13. देवघर	5	34. सीतामढ़ी	186
14. दुमका	26	35. वैशाली	405
15. गोड्डा	13	36. नालंदा	427
16. धनबाद	1484	37. पटना	7196
17. पलामू	65	38. गुमला	27
18. औरंगाबाद	39	39. लोहरदंगा	20
19. गया	369	40. रांची	3666
20. जहानाबाद	27	41. मदेपुरा	32
21. नवादा	121	42. सहरसा	91
			21,907

दिल्ली पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायतें

2311. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार तथा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के बारे में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) संबंधित कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) :

(क) 1988 से 1990 की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस के सतर्कता शाखा में प्राप्त शिकायतों की वर्ष-वार कुल संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1988	16800
1989	17143
1990	20179

(ख) संदर्भाधीन अवधि के दौरान, 135 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की गई। 13 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया; 12 कर्मचारियों को सेवाओं से वंचित किया गया, 3 कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकी गई; 4 कर्मचारियों के वेतन कम किए गए, 97 कर्मचारियों की निन्दा की गई और 50 कर्मचारियों को चेतावनी दी गई।

दूरसंचार सेवाओं में सुधार

[अनुवाद]

2312. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख**: क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दूरसंचार सेवाओं में सुधार के लिए 100 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितना खर्च हुआ ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां, 100 दिवसीय कार्यक्रम 1-1-1991 से शुरू किया गया था।

(ख) "100 दिवसीय कार्यक्रम" उपभोक्ताओं की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने, उत्पादकता बढ़ाने, परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने तथा दूरसंचार विभाग एवं विभाग के संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नई सेवाएं चालू करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था इसकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) यह कार्यक्रम विभाग तथा इसके संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की चालू गतिविधियों एवं परियोजनाओं का एक अभिन्न अंग है अतः, इस कार्यक्रम पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया है।

विवरण

"100 दिवसीय कार्यक्रम" के विस्तृत ब्यौरे/उपलब्धियां

क्रम सं०	मद का नाम	उपलब्धि
1.	नए एक्सचेंजों को चालू करना	1,710
2.	नए कनेक्शनों की व्यवस्था करना	3.15 लाख
3.	नए एस०टी०डी० रूट चालू करना	209
4.	स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन खोलना	9,878
5.	एस०टी०डी० सुविधा वाले सार्वजनिक टेलीफोन चालू करना	5,901
6.	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन चालू करना	1,076
7.	दूर संचार सेवाओं के बारे में उपभोक्ताओं के विचारों का मूल्यांकन करना और उपभोक्ताओं से सम्पर्क करना	6.79 लाख
8.	ओपन हाउस सत्र तथा टेलीफोन अदालतों का आयोजन	400

महाराष्ट्र में दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार

2313. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1991-92 के अन्त तक राज्य में जिला-वार कितने नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में 400 से अधिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने अथवा उनका विस्तार करने की योजना है। इसके परिणामस्वरूप एक लाख से भी अधिक नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जाने की आशा है। यू०एच०एफ० (परा उच्च आवृत्ति) पर लगभग 70 संचारण योजनाएं, फाइबर आप्टिक्स और समाक्ष संचार संपर्क स्थापित करने की भी योजना है।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ?

विवरण

वर्ष 1991-92 तक महाराष्ट्र राज्य में खोले जाने वाले प्रस्तावित नए एक्सचेंजों का जिलावार ब्यौरा इस प्रकार से है :—

क्रम सं०	जिले का नाम	खोले जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों की संख्या	क्रम सं०	जिले का नाम	खोले जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों की संख्या
1.	अहमदनगर	9	16.	नान्देड	1
2.	अकोला	2	17.	नासिक	4
3.	अमरावती	3	18.	उस्मानाबाद	2
4.	औरंगाबाद	2	19.	परभनी	1
5.	बीड	3	20.	पुणे	6
6.	भंडारा	3	21.	रायगढ़	3
7.	बुल्डाना	1	22.	रत्नागिरी	7
8.	चन्द्रपुर	2	23.	सतारा	6
9.	धुले	3	24.	सांगली	6
10.	गडचिरोली	1	25.	सिंधुदुर्ग	3
11.	जलगांव	6	26.	शोलापुर	10
12.	जालना	2	27.	थाणे	4
13.	कोल्हापुर	4	28.	वर्धा	3
14.	लातुर	3	29.	यवतमाल	1
15.	नागपुर	2	30.	बंबई टेलीफोन	12

संचार मंत्रालय के कर्मचारियों को आवास का आवंटन

[हिन्दी]

2314. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार मंत्रालय के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को संपदा निदेशालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सरकारी आवास की सुविधा प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें दिल्ली टेलीफोन (डाक-तार) पूल से सरकारी आवास आवंटित किए गए है; और

(ग) दिल्ली टेलीफोन विभाग किस-किस श्रेणी के कर्मचारियों को सरकारी आवास प्रदान करता है तथा इस संबंध में बनाये गये नियमों एवं उपबन्धों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० बी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) दूरसंचार विभाग की विशेष मंजूरी के आधार पर संचार मंत्रालय में कार्य कर रहे छः कर्मचारियों को दिल्ली टेलीफोन पूल से आवास का आवंटन किया गया है।

(ग) एम०टी०एन०एल० की दिल्ली यूनिट, सरकारी नियमों के अनुसार एम०टी०एन०एल० पूल से समूह क, ख, ग और घ के अपने कर्मचारियों को सरकारी आवास प्रदान करती है।

जैव कृषि (आर्गेनिक फार्मिंग)

[अनुवाद]

2315. श्रीमती डी०के० भण्डारी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5-11 मई, 1991 के "सन्डे मेल" में "ए नेचुरल फार्मर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) देश में जैव कृषि को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जैव कृषि प्रणाली की सफलता के बारे में कभी-कभी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। फिर भी, रासायनिक आदानों जैसे उर्वरकों और कीटनाशियों के प्रयोग के बगैर यह सम्भव नहीं हुआ है कि अधिक उपज स्तर प्राप्त किए जा सकें। अतः सबसे अच्छे परिणाम समेकित पोषक तत्व सप्लाई प्रणाली के जरिये प्राप्त होते हैं, जिसमें उपयुक्त पैकेज पद्धतियों के साथ रासायनिक और जैव उर्वरकों का प्रयोग सम्मिलित है।

कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव

2316. श्रीमती डी०के० भण्डारी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कीटनाशकों के अपशिष्ट पदार्थ मानवता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कीटनाशकों के लिए लाइसेंस देने और इनके आयात की समीक्षा करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने एस०एन० बनर्जी कीटनाशक समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों को लागू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापली रामचन्द्रन) : (क) कीटनाशकों के अवशिष्ट पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं यदि इनकी मात्रा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित सहृय सीमा से अधिक हो ।

(ख) सरकार, कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत स्थापित किये गये केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड/पंजीकरण समिति के जरिए और उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से भी, ऐसे कीटनाशकों के प्रयोग, विनिर्माण और आयात की समय-समय पर समीक्षा करती रहती है जो स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं ।

(ग) और (घ) 31 कीटनाशकों के बारे में बनर्जी समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में से 12 कीटनाशक, अर्थात डी०डी०टी०, बी०एच०सी०, डाइएल्ड्रिन, ई०डी०बी०, क्लोरबेन्जीलेट, डी०बी०सी०पी०, टौक्साफीन, सोडियम सायनाईट, पी०सी०एन०बी०, कैप्तान, कैप्टाफोल और पी०सी०पी० के बारे में दी गई रिपोर्टें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है । बाकी 19 रिपोर्टों की जांच की जा रही है ।

(ङ) भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं होता ।

टेलीफोन क्षेत्र में वार्षिक आयात

2317. **श्री रवि राय** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन क्षेत्रों में डालरों में वार्षिक आयात कितना किया गया है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) दूरसंचार उपस्कर के उत्पादन के लिए आवश्यक आयात सहित दूरसंचार क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान डालरों में किए गए आयात का वार्षिक स्तर नीचे दिया गया है :—

मद	88–89	89–90	90–91
आयात का मूल्य मिलियन डालरों में	509.8	529.0	310.6

(ख) दूरसंचार क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए वार्षिक आयात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

मद	88–89	89–90	90–91
	(मिलियन अमरीकी डालरों में)		
(I) पूरी तरह तैयार दूरसंचार उपस्कर			
भूमिगत केबल	18.1	13.0	10.3
स्विचिंग उपस्कर	25.4	16.2	8.9
पारेषण उपस्कर	59.5	72.9	5.1
परीक्षण उपकरण और अन्य वी०एस० एन०एल० और टी०सी०आई०एल० सहित	11.8	12.3	6.6
(II) दूरसंचार उपस्कर और केबलों के उत्पादन के लिए जरूरी कच्चा माल/ संघटक/अतिरिक्त कलपुर्जों का आयात	395	414.6	279.7
जोड़	509.8	529	310.6

दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

2318. **श्री रवि राय :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दशक की तुलना में प्रति व्यक्ति दालों की उपलब्धता में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इसे और कम होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) दलहनों की प्रति व्यक्ति प्रति दिन निवल उपलब्धता 1980 में 30.9 ग्राम से 1986 में 44.0 ग्राम के बीच रही। 1980-90 के दशक के दौरान, इसमें वर्ष-दर-वर्ष उतार-चढ़ाव होता रहा।

(ग) दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम और विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे है ताकि किसानों को आदान उपलब्ध कराए जा सकें। ये कार्यक्रम क्षमता वाले राज्यों में क्रियान्वित किये जा रहे हैं। राज्यों को, विभिन्न आदानों, जैसे बीज उत्पादन, पौध रक्षण उपायों, बीज मिनीकिटों और फार्म उपकरणों के वितरण, प्रदर्शन आयोजित करने आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि किसानों को इन योजनाओं के जरिए बड़े पैमाने पर बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ दलहनों की खेती करने के लिए प्रेरित किया जा सके दलहनों को भी, कृषि और सहकारिता विभाग में प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत लाया गया है।

पंजाब में त्रिस्तरीय अवरोधन प्रणाली

2319. **श्री रवि राय :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के अग्रिम क्षेत्रों में त्रिस्तरीय अवरोधन प्रणाली सीमा पार से सशस्त्र घुसपैठियों पर अंकुश लगाने में कारगर सिद्ध हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) पंजाब सीमा पर अन्य बातों के साथ-साथ सीमा पार से सशस्त्र घुसपैठ को रोकने के लिए अपनाए गये उपायों के उत्साह-वर्धक परिणाम निकल रहे हैं। सीमा पर अनेक आशंकाओं में वृद्धि होने के बावजूद, इन उपायों से स्थानीय लोगों में विश्वास उत्पन्न करने में भी मदद मिली है।

फसल बीमा योजना

[हिन्दी]

2320. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में 1990-91 के दौरान व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अब तक कितने किसानों को शामिल किया गया है; और

(ख) 1991-92 के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश में, बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कवर किये गये किसानों की कुल संख्या 2,12,877 है।

(ख) बृहत फसल बीमा योजना एक स्वैच्छिक योजना है। क्रियान्वित करने वाले राज्य/संघ शासित क्षेत्र किसी भी क्षेत्र में इसका क्रियान्वयन करने के लिए स्वतंत्र है। इस लिए योजना के अन्तर्गत राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। तथापि, राष्ट्रीय स्तर पर बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत, 1991-92 के लिए 52 लाख किसानों को कवर किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

खनन पट्टों की स्वीकृति

2321. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मौजूदा नियमों में राज्य सरकारों द्वारा करार किये जाने से पूर्व और खनन पट्टे के लिए स्वीकृति देने के बाद खनन योजनायें प्रस्तुत करने की अनिवार्य व्यवस्था करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) और (ख) खनिज रियायत नियम, 1960 में यह प्रावधान करने के लिए 19-10-1989 से संशोधन किया गया है कि खनन पट्टे के अनुदान हेतु आवेदन-पत्र के साथ अनुदान के लिए प्रस्तावित क्षेत्र की राज्य सरकार से आवेदक को सूचना मिलने से छः महीने के अन्दर विधिवत् अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत की जाएगी।

ट्रावनकोर हाउस केरल को लौटाना

[अनुवाद]

2322. **श्री पी० सी० चाको :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में स्थित ट्रावनकोर हाउस केरल सरकार को न लौटाने के क्या कारण हैं;

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के ट्रावनकोर स्थित कार्यालयों को अन्य स्थानों पर न ले जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है और इन्हें अन्य स्थानों पर कब तक ले जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग जो इस समय ट्रावनकोर हाउस में स्थित है, को कोटा हाउस एनेक्सी और बीकानेर हाउस हटमेन्ट में वैकल्पिक स्थान आवंटित किया गया है जिन स्थानों का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है काम पूरा होने वाला है। आयोग का शीघ्र ही नए परिसर में जाने का विचार है। दिल्ली सुरक्षा पुलिस, जिसका ट्रावनकोर के एक भाग पर कब्जा है, को वैकल्पिक भूमि-खण्ड आवंटित किया गया है। दिल्ली सुरक्षा पुलिस द्वारा 31 मई, 1993 तक ट्रावनकोर हाउस खाली कर दिए जाने के लिए भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय को वचन दिया है।

असम को बाढ़ सहायता

2323. **श्री मुकुल इस्लाम :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र नदी के कारण हुए भूक्षरण से गत तीन वर्षों के दौरान असम के धुबरी, गोपालपारा, नौगांव और बारपेटा जिलों में कितने परिवार बेघर और भूमिहीन हुए हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसे परिवारों के पुनर्वास के लिए असम सरकार को कोई आर्थिक सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ताम्रपत्र धारकों को पेंशन

[हिन्दी]

2324. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ताम्रपत्र धारकों से पेंशन हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को अभी तक पेंशन मंजूर नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन प्रदान करने के लिए "ताम्रपत्र" धारकों से प्राप्त आवेदन पत्रों की प्राप्ति और निपटान के बारे में अलग रिकार्ड नहीं रखे जा रहे हैं।

कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पर ब्रह्मपुत्र के कटाव का प्रभाव

[अनुवाद]

2325. **श्री नुरुल इस्लाम :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) असम में कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की पहुंच से कटाव महसूस किया गया था और इस समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1984 में एक स्कीम तैयार की गई थी। योजना आयोग की तकनीकी परामर्शदात्री समिति ने 1986 में इस प्रस्ताव पर विचार किया और पलासबाड़ी गुमी क्षेत्र की सुरक्षा हेतु पहले से अनुमोदित स्कीम के संतोषजनक निष्पादन स्थापित होने तक इसे आस्थगित रखने की सलाह दी। इसके पश्चात् केन्द्रीय जल आयोग ने भी राज्य सरकार को जून, 1990 में सलाह दी कि वह केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे के विशेषज्ञों द्वारा जलमार्ग प्रवेश स्थितियों का मूल्यांकन किए जाने की व्यवस्था करे ।

भारत में कार्यरत विदेशी मिशनरी

2326. **श्री शंकर सिंह वघेला :**
डा० ए० के० पटेल :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय राज्य-वार कितनी विदेशी मिशनरियां कार्यरत हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक मिशनरी से कौन-कौन सी संस्थायें और संगठन संबद्ध हैं;

(ग) इन मिशनरियों की गतिविधियों और विदेशों से प्राप्त धन तथा उसके निवर्तन के बारे में सरकार द्वारा किस प्रकार का नियन्त्रण रखा जाता है; और

(घ) सरकार को ऐसे धन के किस वर्ष तक के लेखे प्राप्त हो चुके हैं तथा सरकार द्वारा उनकी संवीक्षा की जा चुकी है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1-1-1990 को 2046 विदेशी मिशनरियां भारत में रह रही/कार्य कर रही थी। राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) यह सूचना रखना व्यवहारिक नहीं है क्योंकि ये मिशनरियां, आवश्यकतानुसार समय-समय पर अपने स्थान और संगठन बदलती रहती हैं। इसी प्रकार इस सूचना को एकत्रित करने में, इससे प्राप्त किए जाने वाले प्रस्तावित परिणामों की तुलना में अधिक श्रम लग सकता है।

(ग) संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उसके प्रयोग को, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 द्वारा विनियमित किया जाता है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक संगठन को इस मंत्रालय को विदेशी अभिदाय विवरणिका भेजनी होती है, जिसमें इसकी प्राप्ति और प्रयोग के ब्यौरे देने पड़ते हैं। यदि किसी उल्लंघन का पता लगता है तो अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।

(घ) संगठनों ने अभी तक, वर्ष 1990 तक प्राप्त विदेशी अभिदाय के बारे में विवरणिकाएं भेजी हैं। वर्ष 1989 तक के लेखों की संवीक्षा की जा चुकी है।

विवरण

1-1-1990 को भारत में विद्यमान पंजीकृत विदेशी मिशनरियों की राज्यवार रिपोर्ट

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मिशनरियां
1. असम	2
2. आन्ध्र प्रदेश	498
3. बिहार	199
4. गोवा	14
5. हिमाचल प्रदेश	16
6. जम्मू और कश्मीर	7
7. कर्नाटक	223
8. केरल	38
9. मध्य प्रदेश	95
10. महाराष्ट्र	13
11. मणिपुर	6
12. मिजोरम	2
13. नागालैंड	2
14. उड़ीसा	45
15. पंजाब	10
16. राजस्थान	17
17. सिक्किम	3
18. तमिलनाडु	367
19. उत्तर प्रदेश	137
20. पश्चिम बंगाल	292
21. चण्डीगढ़	4
22. दिल्ली	35
23. पांडीचेरी	21
योग	2046

आदर्श किसान योजना

2327. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवीनतम अनुसंधान परिणामों को अत्यधिक प्रभावी ढंग से किसानों तक पहुंचाने के लिए भानु प्रताप सिंह समिति द्वारा प्रस्तावित आदर्श किसान योजना की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) आदर्श किसान योजना को कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) भानु प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तावित आदर्श किसान योजना की जांच की जा रही है ।

बड़े बांधों के विरुद्ध पर्यावरण विशेषज्ञों का आन्दोलन

[हिन्दी]

2328. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई पर्यावरण समर्थक सरदार सरोवर और नर्मदा सागर जैसे बड़े-बड़े बांधों के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं और ये समर्थक विदेशों में जनमत का इन परियोजनाओं के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो बड़े बांधों संबंधी विवाद का समाधान करने और इन समर्थकों को देश में आन्तरिक कार्यों में विदेशी सरकारों का हस्तक्षेप प्राप्त करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) तकनीकी प्रकाशनों, सेमिनारों/कार्यशालाओं के आयोजन तथा मीडिया के माध्यम से विभिन्न बेसिनों के जल संसाधनों के विकास में छोटे बांधों के साथ-साथ बड़े बांधों की उपयुक्त संगत भूमिका को लोगों के ध्यान में लाया जा रहा है। विदेशों में हमारे मिशनों तथा देश में संबंधित संगठनों को विदेशियों अथवा अन्य, जो हमारे आन्तरिक मामलों में विदेशियों के अनुचित हस्तक्षेप को बढ़ावा दे सकते हैं, के कार्यकलापों के संबंध में सावधान कर दिया गया है ।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

2329. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में जुलाई, 1991 तक, नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में शामिल आवेदकों की जिलेवार संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए; और

(ग) प्रतीक्षा-सूची में शामिल आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 31-3-1991 तक उपलब्ध नवीनतम जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश में कुल 38769 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए ।

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान टेलीफोन की प्रतीक्षा सूची को उत्तरोत्तर निपटाने के लिए विस्तार की योजनाएं बनाई गई हैं । वर्ष 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश में 59,000 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना है ।

विवरण

31-3-91 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में जिलेवार प्रतीक्षा सूची

क्र० सं०	जिले का नाम	31-3-91 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
(1)	(2)	(3)
1.	बालाघाट	210
2.	बस्तर	280
3.	बैतूल	289
4.	भिंड	412
5.	भोपाल	2573
6.	बिलासपुर	1168
7.	छतरपुर	190
8.	छिन्दवाड़ा	442
9.	दामोह	174
10.	दतिया	122
11.	देवास	601
12.	धार	254
13.	गुर्ग	3254
14.	गुना	401
15.	ग्वालियर	7228
16.	होसंगाबाद	586
17.	इन्दौर	37393
18.	जबलपुर	4849
19.	झाबुआ	61
20.	खांडवा	1169
21.	खारगोन	432

(1)	(2)	(3)
22.	मांडला	127
23.	मंदसौर	564
24.	मोरेना	292
25.	नरसिंघपुर	10
26.	पन्ना	73
27.	रायगढ़	150
28.	रायपुर	4103
29.	रायसेन	267
30.	राजगढ़	326
31.	राजनन्दगांव	372
32.	रतलाम	914
33.	रेवा	576
34.	सागर	1268
35.	सरगुजा	457
36.	सतना	718
37.	सिहोरे	96
38.	सिवनी	136
39.	शहडोल	197
40.	शाजापुर	288
41.	शिवपुरी	466
42.	सीधि	83
43.	टिकमगढ़	65
44.	उज्जैन	1382
45.	विदिशा	509
	जोड़	75519

नर्मदा सागर परियोजना पर हुआ व्यय

2330. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा सागर परियोजना पर वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है तथा इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) नर्मदा सागर परियोजना पर 1990-91 के दौरान किया गया व्यय लगभग 37.05 करोड़ रुपए था ।

(ख) 1991-92 के दौरान व्यय 156 करोड़ रुपए होने की प्रत्याशा है । राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी भी विशेष परियोजना से जुड़ी नहीं होती । 1991-92 के लिए परिव्यय को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

लोक सभा चुनावों के दौरान हुई हिंसा

[अनुवाद]

2331. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दसवीं लोक सभा के चुनावों के दौरान चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय और मान्यता प्राप्त दलों, दोनों के कितने प्रत्याशी मारे गए ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

खाद्यान्नों के लिए दी गई सब्सिडी वापस लेना

2332. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खाद्यान्नों के लिए दी गई सब्सिडी वापस लेने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

गन्ने का उत्पादन

[हिन्दी]

2333. **श्री राम नगीना मिश्र :**
श्री साईमन मरान्डी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान गन्ने का राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में गन्ने का उत्पादन बढ़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कुछ चीनी कारखाने गन्ने की पिराई नहीं कर पाए हैं, यदि हां, तो उन चीनी मिलों के नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार 1990-91 के लिए गन्ने के उत्पादन के राज्यवार अनुमान देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 1990-91 के दौरान गन्ने का उत्पादन 51.4 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है जबकि 1989-90 के दौरान यह 50.6 लाख मीटरी टन था ।

(ग) उत्तर प्रदेश की सभी गन्ना फैक्ट्रियां गन्ना उत्पादकों द्वारा सप्लाई किये गये सम्पूर्ण गन्ने की पिराई करने के पश्चात् अन्तिम रूप से बन्द हो गई हैं ।

विवरण

1990-91 के दौरान गन्ने के उत्पादन का अनुमान (संभावित)—राज्यवार

राज्य	लाख मीटरी टन
आन्ध्र प्रदेश	137.5
असम	21.0
बिहार	70.0
गुजरात	93.0
हरियाणा	85.0
कर्नाटक	194.4
केरल	4.6
मध्य प्रदेश	17.1
महाराष्ट्र	384.2
उड़ीसा	23.7
पंजाब	55.9
राजस्थान	12.0
तमिलनाडु	242.5
उत्तर प्रदेश	990.0
पश्चिम बंगाल	9.0
अन्य	6.7
अखिल भारत	2346.6

12.45 म०प०

लोक सभा 12.45 म०प० पर पुनः समवेत हुई ।

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

12.46 म०प०

इस समय श्री राजवीर सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये । (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा 2.30 म०प० तक के लिए स्थगित होती है ।

12.47 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा 2.30 म०प० तक के लिए स्थगित हुई ।

2.31 म०प०

लोक सभा 2.31 म०प० पर पुनः समवेत हुई ।

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

2.31 म०प०

इस समय श्री फूल चन्द वर्मा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये । (व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा 5 बजे म०प० तक के लिए स्थगित होती है ।

2.32 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा 5 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई ।

5.00 म०प०

लोक सभा 5 बजे म०प० पर पुनः समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

इस समय श्री फूल चन्द वर्मा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 11.00 म०पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

5.01 म०प०

तत्पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, 9 अगस्त, 1991/18 श्रावण, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

प्रभासमुनी—504/लोक सभा नई दिल्ली/91—3-2-92—225 प्रतियां ।